कानपुर नगर निगम

मा० कार्यकारिणी समिति की बैठक जो दिनांक 26-02-2015 को सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त

सायं 04.00 बजे

स्थानः नगर निगम समिति कक्ष, मोतीझील ,कानपुर

कार्यालय सचिव नगर निगम,
नगर निगम, कानपुर

पत्र संख्याः डी/246/सचिव (न.नि.)/13–14 दिनांक : 11-03-2015

सेवामें

मा0 श्री/श्रीमती/...,

पार्षद वार्ड सं0........./सदस्य कार्यकारिणी

महोदय/महोदया,

नगर निगम कार्यकारिणी समिति की दिनांक 26.02.2015 दिन गुरूवार को सम्पन्न हुई बैठक, का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक : कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 60 तक।

(राम बली पाल)
सचिव
नगर निगम,कानपुर

प्रतिलिपिः

1. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त (आर/वी) महोदय को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/विभागाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

दिनांक–26.02.2015 दिन गुरूवार को अपरान्ह 04:00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित समिति कक्ष में कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति

1.	श्री जगतवीर सिंह द्रोण	महापौर / सभापति
2.	श्री हाजी सुहैल अहमद	उप सभापति / सदस्य
3.	श्री आलोक दुबे	पार्षद / सदस्य
4.	श्री राकेश साहू	पार्षद / सदस्य
5.	श्री मदन लाल	पार्षद / सदस्य
6.	श्री कैलाश नाथ पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
7.	श्री आदर्श दीक्षित	पार्षद / सदस्य
8.	श्री आशुतोष त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
9.	श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
10.	श्री नवीन पण्डित	पार्षद / सदस्य
11.	श्रीमती पूनम द्विवेदी	पार्षद / सदस्य
12.	श्री महेन्द्र नाथ शुक्ला	पार्षद / सदस्य

अधिकारीगण

1.	श्री उमेश प्रताप सिंह	नगर आयुक्त
2.	श्री अजय प्रताप सिंह	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
3.	श्री गंगा प्रसाद चौधरी	मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी
4.	श्री पंकज श्रीवास्तव	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
5.	श्री विनोद कुमार गुप्ता	उप नगर आयुक्त
6.	श्री राकेश कुमार गुप्ता	उप नगर आयुक्त
7.	श्री तरूण कुमार शर्मा	मुख्य अभियंता ''सिविल''
8.	श्री राकेश मोहन अस्थाना	मुख्य अभियंता ''वि0 / यॉ0''
9.	श्री जवाहर राम	महाप्रबन्धक, जलकल
10.	श्री ए. के. शुक्ला	वित्त अधिकारी, जलकल
11.	श्री राघवेन्द्र कुमार	सचिव, जलकल
12.	डा0 ए. के. सिंह	पशु चिकित्साधिकारी

ह0......महापौर

अपरान्ह 04:00 बजे बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

सभापति ने कार्यकारिणी की बैठक में प्रतिभाग कर रहे सभी सदस्यों एवं अधिकारियों का स्वागत करते हुये नगर आयुक्त से कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि अध्यक्ष महोदय सर्वप्रथम कार्यकारिणी समिति में पूर्व में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवगत कराया जाये। स्वच्छकार बस्तियों में डूडा विभाग से सामुदायिक केन्द्र आवंटन हेतु विचार किया जाये।

श्री आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि पूर्व की कार्यकारिणी में श्रीमती गीता जायसवाल के क्षेत्र में रू0 24–24 लाख के कार्यो के सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद भी इन प्रस्तावों को जो सदन की स्वीकृति हेतु अग्रसारित किया गया है, इसके सम्बन्ध में अनुरोध करना चाहता हूँ कि क्षेत्रों में कार्य कराये जाने में समानता लाई जाये।

श्री राकेश कुमार गुप्ता, उप नगर आयुक्त ने प्रस्ताव सख्या–722 एवं 743 के सम्बन्ध में अवगत कराया कि उक्त प्रस्तावों को कार्यकारिणी समिति के निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन को संदर्भित कर दिया गया है।

सभापति ने कहा कि क्षेत्रों में समानता के आधार पर कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट करना चाहता हूँ कि विकसित क्षेत्रों में और अविकसित क्षेत्रों में विकास कार्यो की समानता नही हो सकती है। क्योंकि पॉश इलाकों में पूर्व से ही अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध रहती है, जबकि अविकसित क्षेत्रों में नही तथा 24 लाख के कार्यो को सदन को अग्रसारित करने के सम्बन्ध में भी अवगत कराना चाहता हूँ कि नगर निगम अधिनियम में वित्तीय सीमा निर्धारित है, तद्नुसार रू0 10.00 लाख तक के कार्यो की स्वीकृति नगर आयुक्त, रू0 15.00 लाख तक के कार्यो की स्वीकृति महापौर, रू0 20.00 लाख तक के कार्यो की स्वीकृति कार्यकारिणी समिति, रू0 30.00 लाख तक के कार्यो की स्वीकृति सदन एवं रू0 30.00 लाख से ऊपर के कार्यो की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन में निहित है। इसके अनुपालन में ही कार्यो को स्वीकृत या अग्रसारित किया जाता है। अवगत कराना चाहता हूँ कि पूर्व में अपने मध्य आसीन एक सदस्य ने आकर मुझसे अपने क्षेत्र में रू0 20–20 लाख के कार्य कराने का अनुरोध किया था, जबकि तालिका प्राप्त कर तद्नुसार उनकों अवगत कराया कि उनके क्षेत्र में रू0 48.00 लाख के कार्य स्वीकृत हो चुके है। अतः विकास कराये जाने हेतु वित्तीय सीमा न निर्धारित की जाये, साथ ही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णयों की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से चर्चा की जायेगी, फिर भी अवगत कराना है कि वर्ष 1950 में अपने देश ने गणतन्त्र अपनाया था, जिसमें निर्णयों के अनुपालन के सम्बन्ध में बताना है कि विधायिका द्वारा निर्णय लिये जाते है, जिसका अनुपालन करने/कराने का दायित्व कार्यपालिका में निहित है और नगर निगम में अधिकारी वर्ग अपने कर्तव्यों के प्रति सजग है तभी तो इनकों स्वच्छता पर उत्तम पुरस्कार मिला है, जबकि 12000 सफाई कर्मचारियों के स्थान पर मात्र 4500 सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई कराई जाती है। जी.आई.एस. में भी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है और भविष्य में संसाधनों को सुनिश्चित करेंगे तभी विकास मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे। अपेक्षा है कि कार्यसूची के प्रथम बिन्दु के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 के मूल बजट पर चर्चा की जाये।

श्री आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि दिनांक–12.01.2015 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में आपने आश्वस्त किया था कि बजट की प्रतियाँ एक सप्ताह पूर्व सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दी जायेंगी, परन्तु ऐसा नही हुआ।

ह0......महापौर

सभापति ने सभी सदस्यों को अवगत कराया कि प्रश्नगत बैठक जिसमें पुनरीक्षित बजट पारित किया गया था, उसके लिये मैंने आश्वस्त किया था। आज जबकि वित्तीय वर्ष 2015–16 का मूल बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, उसके सम्बन्ध में भी बताना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार भी अपने मूल बजट को लीक न होने के दृष्टिगत बैठक के समय ही प्रस्तुत करती है। उसी अनुसार आज बजट प्रस्तुत किया जा रहा है।

नगर आयुक्त ने बताया कि मेरे पास कार्य की अधिकता एवं समय–समय पर शासन–प्रशासन की बैठकों में भाग लेने के कारण कार्यकारिणी समिति एवं सदन के निर्णयों की समीक्षा समय से नही कर पाता हूँ। अतः मा0 सभापति महोदय जी से अनुरोध है कि स्वयं ही बैठकों की तिथि निर्धारित कर समीक्षा करने का कष्ट करें।

सभापति ने समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि प्रत्येक मंगलवार को जलकल विभाग में जलकल से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान हेतु बैठक होगी और इसी प्रकार नगर निगम की समस्याओं के सम्बन्ध में भी बैठक हेतु कोई तिथि निर्धारित कर आप लोगों को अवगत कराया जायेगा।

सभापति के निर्देश पर नगर आयुक्त ने नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 146 के अन्तर्गत मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को वर्ष 2015–16 के मूल बजट की प्रतियाँ सभी सदस्यों एवं अधिकारियों को वितरित कराने एवं तदानुसार प्रस्तुत करने के लिये कहा।

प्रस्ताव संख्या–767

नगर निगम, कानपुर
आय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक आय 2013-14 तक	पुनरीक्षित 2014-15	वास्तविक आय जनवरी 2015 तक	प्रस्तावित धनराशि 2014-15
	Revenue Income		राजस्व आय					
1101	Tax Revenue	1101	करो से आय	3	7841.22	11101.50	8620.04	11601.50
1201	Assigned Revenues & Compensations	1201	कर्तव्यों के अधीन आय	3	2.26	5.00	0.94	2.00
1301	Rental Income from Properties	1301	नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय	3	104.81	120.50	89.21	123.50
1401	Fees & User Charges	1401	शुल्कों से आय	5	766.30	1510.50	697.35	1083.00
1501	Sale & Hire Charges	1501	बिक्री एवं भाड़े से आय	5	89.76	165.00	92.77	133.00
1701	Income from Investments	1701	विनियोगों से आय	5	31.64	51.00	1.77	51.00
1801	Income from Interest	1801	ब्याज से आय	6	1679.12	2107.00	1153.66	2107.00
1901	Other Income	1901	अन्य आय	6	59.62	77.10	66.53	87.10
1601	Revenue Grants & Contribution	1601	राजस्व अनुदान एवं अंशदान	6	36272.69	42753.00	41951.39	42753.00
	TOTAL-(A)		**योग (अ)**	6	**46847.42**	**57890.60**	**52673.67**	**57941.10**
	Capital Income		**पूँजीगत आय**					

ह0......महापौर

3111	Earmarked Funds	3111	**कार्य विशेष निधियाँ**					
3111	Finance Commission Thirteenth	3111	वित्त आयोग : तेरहवाँ	7	9827.00	7300.00	1815.49	5300.00
3111	Special Fund: Infrastructure Fund:	3111	अवस्थापना निधि	7	2866.35	11650.00	9347.85	9050.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्य विशेष निधियाँ	7	498.57	765.00	0.00	315.00
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	7	0.00	4.00	0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	8	0.00	106.00	0.00	106.00
	TOTAL-B-		**योग (ब)**		**13191.92**	**19825.00**	**11163.35**	**14775.00**
	Reserve Fund (JNNURM)		**रिजर्व फण्ड (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)**					
3311	Unsecured Loans	3311	राज्य सरकार परिक्रमि निधि ऋण (रिवालविंग फण्ड)	8	6899.94	9003.97	2312.75	6737.41
3111	JNNURM Scheme	3111	जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना प्राप्तियाँ	8	15115.46	24822.10	9321.59	11663.12
3121	Reserve against Work in Progress	3121	निर्माणाधीन कार्य के सापेक्ष संचय	9	9000.37	61399.44	0.00	72243.58
	TOTAL-C-		**योग (ध)**	9	**31015.77**	**95225.51**	**11634.33**	**90644.11**
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Income (A+B+C)		**कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड आय (अ+ब+स)**	9	**91055.11**	**172941.11**	**75471.35**	**163360.21**
4502	Opening Balance	4502	प्रारम्भिक अवशेषः-	9	15977.43	14855.93	32946.55	21639.14
	Grand Total		**महायोग**	9	**107032.54**	**187797.04**	**108417.89**	**184999.35**

व्यय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक व्यय 2013-14	पुनरीक्षित 2014-15	वास्तविक व्यय जनवरी 2014 तक	प्रस्तावित धनराशि 2015-16
	Revenue Expenses		**राजस्व आय**					
2101	Establishment Expenses	2101	अधिष्ठान व्यय	10	23760.50	26770.00	19937.68	27860.00
2201	Administrative Expenses	2201	प्रशासनिक व्यय	11	1857.79	1474.00	3336.97	2040.00
2301	Operation & Maintenance	2301	अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण	13	8208.54	23558.00	10697.35	25066.00
2401	Interest & Financial Charge	2401	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	14	314.57	408.00	271.94	408.00
4101	Fixed Assets	4101	स्थाई सम्पत्तियाँ	17	402.70	1588.00	356.10	1845.00

ह0......महापौर

	TOTAL –D-		**योग (द)**		**34544.10**	**53798.00**	**34600.04**	**57219.00**
	Capital Expenses		**पूँजीगत व्यय**					
3111	**Earmarked Fund**	3111	**कार्य विशेष निधियाँ**					
3111	Finance Commission		वित्त आयोग	14	3068.70	7000.00	3933.95	6800.00
3111	Infrastructure Fund		अवस्थापना निधि	14	2574.69	8500.00	2565.15	11500.00
3111	Other Earmarked Fund		अन्य कार्य विशेष निधियाँ	15	464.44	1543.33	445.07	1266.00
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	15	0.00	4.00	0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	15	0.00	107.00	0.00	107.00
	Total –E-		**कुल योग (य)**		**6107.83**	**17154.33**	**6944.17**	**19677.00**
	Reserve Fund (JNNURM)		**रिजर्व फण्ड (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)**					
3112	ULB Share Transfer (JNNURM)	3112	निकाय अंश हस्तान्तरण	17	6899.94	9003.97	2312.75	6737.41
4121	Work in Progress Under JNNURM Projects	4121	जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर	17	9000.38	61399.45	1159.10	72243.58
4604	JNNURM Scheme Advance	4604	जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना अग्रिम	18	14903.26	24802.15	6120.62	11643.12
	TOTAL –F-		**योग (र)**		**30803.58**	**95205.57**	**9592.47**	**90624.11**
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Income (D+E+F)		**कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय (द+य+र)**	18	**71455.51**	**166157.90**	**51136.68**	**167520.11**
3401	Less:- Outstanding dues/Suspenses	3401	घटायें :- देयतायें/उचन्त खाते	18	-2630.48	0.00	-3259.66	0.00
	Net Revenue & Capital Expenses		**शुद्ध राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय**	18	**74085.99**	**166157.90**	**54396.34**	**167520.11**
4502	Closing Balance	4502	अन्तिम अवशेषः-	18	32946.55	21639.14	54021.55	17479.24
	Grand Total		**महायोग**	18	**107032.54**	**187797.04**	**108417.89**	**184999.35**

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि मूल बजट में अंत्येष्टि स्थल एवं धोबी घाट तथा सफाई के दृष्टिगत कूड़ा उठान हित में गाड़ियों की खरीद का क्या प्राविधान किया गया है ?

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार से अंत्येष्टि स्थलों एवं धोबी घाट के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये है, तद्नुसार ही कार्यवाही की जायेगी। 2000 हाथ कूड़ा गाड़ियों एवं अन्य बड़ी गाड़ियों के खरीदने की व्यवस्था की जा चुकी है।

सभापति ने अवगत कराया कि ए–टू–जेड संस्था के कारण नगर निगम असहाय हो गया था तथा चारों तरफ शहर में गन्दगी व्याप्त हो रही थी, जिसके दृष्टिगत नगर निगम द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट निस्तारण हेतु हाथ कूड़ा गाड़ियों की खरीद एवं कूड़ा उठाने के लिये

ह0......महापौर

बड़े–बड़े मशीनी उपकरण क्रय किये गये है। अब नगर निगम को स्वयं तय करना है कि समय से झाड़ू लगाई जाये और कूड़े का उठान सुनिश्चित किया जाये तथा समय के उपरान्त कूड़ा डालने वालों के ऊपर अर्थ दण्ड आरोपित किया जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि ए–टू–जेड के फेल होने की दशा में सफाई के लिये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश निर्गत किया जायेगा और उसी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि खेलों के मैदान के सम्बन्ध में प्रस्तावित धनराशि में वृद्धि की जाये।

सभापति ने कहा कि नानाराव पार्क को उच्चीकृत किया जा रहा है, उसी प्रकार आधुनिकता के दृष्टिगत बृजेन्द्र स्वरूप पार्क को भी खेल के मैदान के रूप में विकसित/उच्चीकृत किया जाये।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने पूछा कि बजट में गौशाला रख–रखाव के मद में जो धनराशि प्राविधानित तथा आवारा जानवरों को पकड़ने एवं उनके रख–रखाव का क्या प्राविधान है। इसके सम्बन्ध में अवगत कराया जाये।

नगर आयुक्त ने बताया कि पूर्व में भौंती स्थित गौशाला के सम्बन्ध में कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में गायों के भोजन हेतु भूंसा के खरीदने की धनराशि का भुगतान नगर निगम द्वारा किया जाता रहा है, जिसका बकाया चला आ रहा है, उसी के भुगतान की धनराशि को प्राविधानित किया गया है। चूँकि दर्शनपुरवा स्थित कांजी हाउस में सीमित जगह होने के कारण आवारा जानवरों को पकड़ कर भौंती गौशाला भेजा जाता था और समझौते के तहत जानवरों को जीवित रखने के लिये भूंसे की धनराशि का भुगतान किया जाता रहा है। वर्तमान में जिलाधिकारी महोदया द्वारा गंगा बैराज के पास गौशाला हेतु भूमि आवंटित करने के लिये आश्वस्त किया गया है। भूमि आवंटित होने पर भविष्य में तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी। जाजमऊ में भी आवारा जानवरों को पकड़ कर रखने की व्यवस्था की जा रही है।

सभापति ने स्पष्ट किया कि पशु चिकित्साधिकारी को मैंने पूर्व मे ही निर्देशित किया है कि दर्शनपुरवा स्थित कांजी हाउस में जितना स्थान हो उसी के अनुसार पशुओं को पकड़ा जाये और उनको भूखा न रखा जाये। इसके दृष्टिगत इस 2305909 मद की प्राविधानित धनराशि में वृद्धि की जाये तथा पूर्व में मेरे द्वारा प्रत्येक वार्ड में बारातशाला निर्माण कराने का निर्णय लिया जा चुका है, उसके दृष्टिगत भी 4102005 मद में प्राविधानित धनराशि रू0 5.00 लाख कम है।

श्री महेन्द्र शुक्ला ने कहा कि नगर निगम द्वारा निर्मित बारातशालाओं के रख–रखाव एवं संचालन हेतु समितियाँ भी बना दी जाये, जिससे उनका सही ढंग से साफ–सफाई इत्यादि होती रहे।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि ग्रीष्म ऋतु से पूर्व प्रत्येक वार्ड में एक–एक हैण्डपम्प अधिष्ठापन की व्यवस्था की जाये।

सभापति ने नगर निगम द्वारा जलकल विभाग को प्रत्येक वार्ड में दो–दो हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु अवमुक्त की गई धनराशि 1.78 करोड़ के सापेक्ष अधिष्ठापित हैण्डपम्पों की कार्यवाही से भी अवगत कराया जाये।

नगर आयुक्त ने समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि जल निगम द्वारा जिला योजना के तहत विधायक निधि से हैण्डपम्प अधिष्ठापन की व्यवस्था है तथा तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत नगर निगम से अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 242 में से 223 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये जा चुके है, 19 हैण्डपम्प अवशेष है। आवश्यकतानुसार तालिका महाप्रबन्धक, जलकल को उपलब्ध करा दी जाये, जिससे हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये जा सके।

ह0......महापौर

.... वित्तीय वर्ष 2015–16 के मूल बजट में आय के पक्ष में 163360.21 लाख एवं प्रारम्भिक अवशेष रू0 21639.14 लाख के साथ कुल धनांक रू0 184999.35 लाख की धनराशि तथा व्यय के पक्ष में गौशाला रख–रखाव मद 2305909 में प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 लाख में आवारा पशुओं हेतु रू0 90.00 लाख की वृद्धि करते हुये रू0 100.00 लाख, गेस्ट हाउस का निर्माण मद 4102005 में प्राविधानित धनराशि रू0 5.00 लाख में रू0 195.00 लाख की वृद्धि करते हुये रू0 200.00 लाख एवं कूड़ा निस्तारण मद 2308001 में रू0 210.00 लाख की कटौती करते हुये रू0 790.00 लाख एवं अन्य अनुरक्षण व्यय मद 2308007 में प्राविधानित धनराशि रू0 150.00 लाख में 75.00 लाख की कटौती करते हुये रू0 75.00 लाख का संशोधन करते हुये अन्तिम अवशेष रू0 17479.24 लाख के साथ कुल रू 184999.35 लाख की धनराशि को स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

इसी क्रम में नगर आयुक्त ने जलकल विभाग के मूल बजट 2015–16 को भी स्वीकृत करने हेतु कार्यकारिणी समिति से अनुरोध किया। तदनुक्रम में जलकल विभाग के वित्त अधिकारी श्री ए.के.शुक्ला द्वारा निम्नवत् बजट प्रस्तुत किया गया :–

प्रस्ताव संख्या–768

जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर

प्रस्तावित वार्षिक बजट वर्ष 2015-16

(रू० लाख में)

लेखा कोड	क्रम सं०	मद विवरण	वास्तविक आय 2013-14	प्रस्तावित आय 2014-15	वास्तविक आय दिसम्बर, 2014	प्रस्तावित आय 2015-16
	अ–	**राजस्व आय –**				
1100201		जलकर	4405.94	5260.00	2882.65	6510.00
1501011		अतिरिक्त जलमूल्य/न्यूनतम प्रभार	1448.86	1530.00	1062.4	1660.00
1100301		सीवर कर एवं न्यूनतम प्रभार	1843.27	2205.00	950.26	2615.00
1408002		अन्य प्राप्तियाँ	18.22	20.00	17.13	30.00
1408001		अधिभार	6.86	10.00	6.24	10.00
1401502		नियमितीकरण	15.46	15.00	4.18	15.00
1401401		विकास शुल्क	112.09	120.00	116.61	160.00
		योग राजस्व –	**7850.70**	**9160.00**	**5039.47**	**11000.00**
	ब–	**असंचालन आय–**				
3111301		डिपाजिट कार्य	158.83	-	4068.52	-
3112301		अनुदान (विद्युत मद)	-	2940.00	-	3000.00
		कुल आय –	**8009.53**	**12100.00**	**9107.99**	**14000.00**

ह0......महापौर

3311001	स-	ऋण से प्राप्ति	-	-	-	-
		कुल योग (अ+ब+स)	**8009.53**	**12100.00**	**9107.99**	**14000.00**

जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर

प्रस्तावित वार्षिक बजट वर्ष 2015-16

(रू० लाख में)

लेखा कोड	क्रम सं०	मद विवरण	वास्तविक आय 2013-14	प्रस्तावित आय 2014-15	वास्तविक आय दिसम्बर, 2014	प्रस्तावित आय 2015-16
	अ-	**संचालन व्यय -**				
2101001	1	अधिष्ठान व्यय	5728.38	6950.00	4488.87	7780.00
2302001	2	विद्युत एवं ऊर्जा	271.34	2940.00	12.02	3000.00
2303004	3	पूर्तियाँ	346.87	550.00	180.96	560.00
2308007	4	अन्य व्यय	29.96	63.00	26.60	65.00
2305006	5	रख-रखाव व्यय	636.12	850.00	524.90	925.00
2208003	6	जनरल टैक्स	235.87	-	230.00	250.00
		योग संचालन व्यय -	**7248.54**	**11353.00**	**5463.35**	**12580.00**
	ब-	**असंचालन व्यय -**				
4104007	1	जल मापक यंत्रों का क्रय	-	2.00	-	2.00
4106001	2	मशीनों तथा यंत्रों का क्रय	-	40.00	-	40.00
4107001	3	फर्नीचर तथा कम्प्यूटर क्रय	6.80	10.00	1.25	10.00
4105001	4	वाहन, ट्रैक्टर, टैंकर क्रय	-	10.00	-	10.00
4102001	5	भवन निर्माण एवं भूमि	-	15.00	-	15.00
4107006	6	आकस्मिक पूँजीगत व्यय	-	80.00	-	30.00
4103101	7	नई नलिकायें बिछाना (जल/सीवर)	-	20.00	-	20.00
4103201	8	ट्यूबवेल/पम्प हाउस	6.11	45.00	-	45.00
4104003	9	नये पम्पिंग/मोटर पम्प सेट का क्रय	12.72	20.00	2.43	20.00
3311001	10	ऋण एवं ब्याज का भुगतान	-	6.00	-	6.00
3111301	11	डिपाजिट कार्य का भुगतान	102.24	-	1027.52	-
		योग असंचालन व्यय -	**127.87**	**248.00**	**1031.20**	**198.00**
		कुल योग (अ ब) व्यय	**7376.41**	**11601.00**	**6494.55**	**12778.00**
		कुल योग आय	**8009.53**	**12100.00**	**9107.99**	**14000.00**
		अवशेष	**633.12**	**499.00**	**2613.44**	**1222.00**

ह0......महापौर

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि पृष्ठ संख्या–07 में सीवर के सम्बन्ध में लेखा कोड 2305007 में प्रस्तावित धनराशि रू0 80.00 लाख अत्यन्त कम दिखाई पड़ रही है। अतः विभिन्न वार्डो की सीवर समस्याओं के समाधान हेतु इसमें वृद्धि की जाये।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि सम्पवेलों एवं 13 नलकूपों में से 08 नलकूपों की देखरेख हेतु एक ही ठेकेदार को निविदा स्वीकृत की जा चुकी है, जिसके तहत ठेकेदार द्वारा न ही उन सम्पवेलों की सही ढंग से देखरेख की जा रही है और न ही कर्मचारियों को समय से वेतन आदि का भुगतान किया जा रहा है।

सभापति ने श्री नवीन पण्डित के कथन से सहमति व्यक्त करते हुये आपत्ति व्यक्त की और निर्देशित किया कि इस प्रकरण को नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक द्वारा स्वयं देखा जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि यदि कर्मचारियों के वेतन भुगतान की शिकायत है तो श्रम न्यायालय में शिकायत की जा सकती है।

श्री सुहेल अहमद ने कहा कि परेड जैसे पॉश इलाके में सीवर सिस्टम नही है, इस पर भी विचार करते हुये कोई नीति निर्धारित की जाये।

नगर आयुक्त ने कहा कि स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार प्रश्नगत स्थल पर 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत सीवर लाइन के कार्य को प्रस्तावित किया जायेगा।

श्री आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि वार्ड–41 में भी कई स्थलों पर सीवर लाइन नही है तथा कुछ जगहों पर मेरे द्वारा अपने धन से कार्य कराया गया है। इसका भी संज्ञान लिया जाये।

.... आय के पक्ष में दर्शाई गई धनराशि रू0 14000.00 लाख तथा व्यय के पक्ष में दशाई गई धनाशि रू0 12778.00 लाख एवं अवशेष रू0 1222. 00 लाख कुल रू0 14000.00 लाख की धनाशि को स्वीकृति प्रदान कर सदन को अग्रसारित किया गया।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने कहा कि एकाउण्टेन्ट फर्म मेसर्स डी0 गांगुली एण्ड कम्पनी द्वारा आडिट उपरान्त कानपुर नगर निगम द्वारा तैयार की गई दिनांक 01.04.2008 को प्रारम्भिक बैलेन्स शीट का अन्तिम विवरण मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत है :–

प्रस्ताव संख्या–769

प्रारम्भिक बैलेन्स शीट दिनांक 01.04.2008

(धनराशि लाखों में)

दायित्व	धनराशि	सम्पत्ति	धनराशि
निधि एवं संचय	344304.23	स्थायी सम्पत्तियाँ एवं प्रगति	322193.66
अनुदान एवं अंशदान	9070.47	विनियोग	250.00
ऋण	248.24	रहतिया एवं बकाया	13161.49
देयताए	368.02	अवशेष एवं अग्रिम	18385.81

ह0......महापौर

योग	353990.96	योग	353990.96

उपरोक्त प्रारम्भिक अवशेषों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2008–09, 2009–10 एवं 2010–11 के लेखों को अन्तिम रूप देते हुये दिनांक 31.03.2009, 31.03.2010 एवं 31.03.2011 की बैलेन्स शीट तैयार करते हुये चाटर्ड एकाउण्टेन्ट फर्म मेसर्स डी0 गांगुली एण्ड कम्पनी द्वारा आडिट उपरान्त अन्तिम विवरण इस प्रकार है।

आय–व्यय विवरण

(धनराशि लाखों में)

व्यय	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	आय	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011
अधिष्ठान व्यय	14241.08	15008.73	17700.41	कर	5412.90	5463.97	5975.83
प्रशासनिक व्यय	520.29	284.15	978.00	सम्पत्तियों से किराया	108.19	81.18	98.36
अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण व्यय	3694.88	3112.73	5461.80	फीस एवं उपभोक्ता शुल्क	2144.15	1487.51	1421.78
ब्याज एवं करों पर छूट	238.64	122.95	325.54	बिक्री एवं भाड़ा	11.61	12.05	10.22
सम्पत्तियों पर हास आदि	2937.70	2871.38	2814.48	अनुदान एवं अंशदान	13853.30	13441.21	15704.96
				विनियोग एवं ब्याज से आय	226.70	760.80	757.88
				अन्य	225.32	114.67	91.06
व्यय पर आय का अधिक्य	349.58	00.00	00.00	आय का व्यय पर अधिक्य	00.00	38.55	3220.15
कुल योग	**21982.17**	**21399.94**	**27280.24**	**कुल योग**	**21982.17**	**21399.94**	**27280.24**

बैलेन्स शीट

दायित्व	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	सम्पत्ति	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011
निधि एवं संचय	349034.22	357669.75	372854.76	स्थायी सम्पत्तियाँ एवं प्रगति	324273.14	332018.29	351626.49

ह0......महापौर

अनुदान एवं अंशदान	18254.56	23473.20	24926.20	विनियोग	270.48	293.85	293.85
ऋण	3298.47	7503.63	13506.30	रहतिया एवं बकाया	23499.97	17584.73	30380.94
देयताए	1575.05	2149.79	3069.92	अवशेष एवं अग्रिम	24118.71	40899.50	32055.90
कुल योग	**372162.30**	**390796.37**	**414357.18**		**372162.30**	**390796.37**	**414357.18**

.... उपरोक्तानुसार उल्लिखित बैलेन्स शीट को अंगीकृत करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

नगर आयुक्त ने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार विज्ञापन नियमावली संशोधित कर मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत है :–

प्रस्ताव संख्या–770

कानपुर नगर निगम
संशोधित प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0–2 सन् 1959) की धारा 172 की उपधारा (2) के खण्ड (ज), धारा 192, 193, 194, 195, 196, 219, 305, 306, 540 की उपधारा (1),541(48) एवं 550 में दिये गये प्राविधानो के अर्न्तगत तैयार की गयी कानपुर नगर निगम (विज्ञापन पर कर का निर्धारण व वसूली नियमावली, 2014) को दिनांक 30.08.2014 को **प्रस्ताव संख्या 671** के माध्यम से मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया जिस पर मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा दिये गये निर्णय कि 30 दिन के अन्दर आपत्तियों का निस्तारण कराने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देशो के अनुपालन में प्रश्नगत नियमावली के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि के अन्दर आपत्तियॉ आमंत्रित की गयी प्राप्त आपत्तिय्रों का निस्तारण करने हेतु गठित समिति द्वारा आपत्तियों की सुनवाई हेतु आपत्तिकर्ताओ को दिनांक 23.01.2015 को व्यक्तिगत रूप से सुनने के पश्चात व उनके द्वारा इंगित नियमों पर विधिक पहलुओ एवं नगर निगम अधिनियम 1959 में दी गयी व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये आपत्तियों के निस्तारण उपरान्त कानपुर नगर निगम (विज्ञापन पर कर का निर्धारण व वसूली नियमावली, 2014) का संशोधित प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

कानपुर नगर निगम (विज्ञापन पर कर का निर्धारण व वसूली नियमावली, 2014)

1–संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1 (1) यह नियमावली कानपुर नगर निगम (विज्ञापन पर कर निर्धारण व वसूली नियमावली, 2014 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार कानपुर नगर निगम के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनाँक से प्रवृत्त होगी।

2–परिभाषाएं 2(I) (1) जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(1) ''अधिनियम'' का तात्पर्य **उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम–1959** से है।

(2) ''विज्ञापनकर्ता'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे इस नियमावली के अधीन कोई विज्ञापन या विज्ञापनपट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, सुनाने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो, और ऐसे

ह0......महापौर

व्यक्ति में उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है।

(3) ''विज्ञापन प्रतीक'' का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजन के लिए या तत्संबंध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति, लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिए किसी सतह या संरचना या ध्वनि से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टान्त अनुप्रयुज्य हों जो द्वार के भीतर या बाहर, किसी भी रीति, से संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो, या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापनपट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो,

(4) ''विज्ञापन'' का तात्पर्य विज्ञापन प्रतीक के माध्यम से विज्ञापन करने तथा अधिनियम की धारा–2 की उपधारा (1), धारा–172 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) औरा धारा–192 में यथापरिभाषित विज्ञापन से हैं,

(5) ''गुब्बारा'' का तात्पर्य गैस से भरे हुए ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी फरहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो,

(6) ''बैनर'' का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य वस्तु से है जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते हैं,

(7) ''बैनर प्रतीक'' का तात्पर्य किसी प्रतीक से है जो अपने संप्रदर्शन की सतह के रुप में किसी झण्डी का उपयोग कर रहा हो,

(8) ''समिति'' का तात्पर्य नियम–3 के अधीन गठित स्थल चयन समिति से हैं,

(9) ''निगम'' का तात्पर्य कानपुर नगर निगम से है,

(10) ''विद्युतीय प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसमें विद्युतीय साज–सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग हैं, प्रयुक्त किये जाते हैं,

(11)''गैन्ट्री प्रतीक'' का तात्पर्य सड़क के दोनों ओर लोहे का मजबूत पिलर गाड़कर उसके ऊपर न्यूनतम निर्दिष्ट ऊँचाई पर आयताकार विज्ञापन प्रतीक से हैं,

(12) डिजिटल स्क्रीन का तात्पर्य यह है कि ऐसे विज्ञापन पट जिसमें एक या उससे अधिक विज्ञापन प्रदर्शित किये जाते हों।

(13) ''भू विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो, और जो भूमि पर या किसी खम्भे, स्क्रीन, बाड़ा या विज्ञापनपट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिए दृश्य हो,

(14) ''प्रदीप्त प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो,जिसमें स्थानीय टी0वी0चैनल /छविगृहों में प्रदर्शित किये जाने वाला व्यवसायिक(Commercial) विज्ञापन में शामिल है।

(15) ''शमियाना विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शमियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो,तथा जो भवन की दीवार एवं भवन सीमा रेखा से बाहर की ओर हो और अस्थायी रूप सेसंप्रदर्शित किया गया हो,

(16) ''प्रक्षेपित प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो,

(17)'मार्ग अधिकार'' का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है,

(18) ''छत विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर परिनिर्मित हो या रखा गया हो जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित,है।

(19) ''अनुसूची'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है,

(20) बस सायबानों (शेल्टर) पर विज्ञापन'' का तात्पर्य किसी बस संचालन के अधीन बस सायवान के ऊपर अथवा भीतर की ओर से प्रकाशित किये गये,टागे गये,अथवा चित्रित किये गये विज्ञापन प्रतीक से है,

(21) पुष्प पात्र (फ्लावर पॉट) स्टैण्ड विज्ञापन ''का तात्पर्य शहर के अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अन्तिम छोर पर

ह0......महापौर

पर्यावरण की दृष्टिकोण से अनुकूल मौसमी पौधे लगाने के पश्चात फलावर पॉट स्टैण्ड पर अनुमन्य/विहित आकार का विज्ञापन पट लगाये जाने से है,

(22) जनसुविधा स्थान पर विज्ञापन ''का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी जनसुविधा स्थान के ऊपर /पास अथवा उसके भीतर किसी भी रीति से लगाये गये विज्ञापन से है,

(23) ट्रैफिक /पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड पर विज्ञापन''का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किस ट्रैफिक /पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड के ऊपर अथवा उसके चारों ओर लगाया/लटकाया/चित्रित किया जाए,

'(24) 'प्रतीक संरचना'' का तात्पर्य किसी ऐसी सरंचना से है जिससे को प्रतीक अवलम्बित हो,

'(25) कर'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा–172 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) में निर्दिष्ट विज्ञापन कर से है,

(26) 'अस्थायी विज्ञापन'' का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनों हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिए वॉंछित किसी विज्ञापन, झण्डा या वस्त्र, कैनवैश, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढॉंचा से या उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है,

(27) ट्री गार्ड विज्ञापन''का तात्पर्य अनुमन्य डिवाइडरो पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अतिंम छोर पर पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल पौधे लगाने के पश्चात ट्री गार्ड पर अनुमन्य/विहित आकार के संप्रदर्शित विज्ञापन प्रतीक से है,

(28) ''बरांडा प्रतीक'' का तात्पर्य किसी बरांडा से सम्बद्ध, उससे संयोजित या उससे टॉंगे गये किसी विज्ञापन से है,

(29) ''दीवार प्रतीक'' का तात्पर्य किसी क्षेपण प्रतीक से भिन्न ऐसे किसी विज्ञापन से है जो किसी भवन की बाह्य सतह या उसके संरचनात्मक भाग से सीधे सम्बद्ध हो या उस पर चित्रित किया गया या चिपकाया गया हो,

(30) ''मैदान'' का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार की खुली भूमि (Open Ground), पार्क (Park) अथवा खेल के मैदान (Play Ground) से है।,

2(II) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदो के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हों।

3–स्थल चयन के लिए समिति का गठन

(1) नगर आयुक्त अथवा अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन या विज्ञापन पट के लिए उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिए और उसके आकार, ऊँचाई, और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करने एवं प्रतिबन्धित स्थलों के चयन के लिए एक समिति का गठन किया जायेगा।

(2) समिति में निम्नलिखित होंगे :–

(1) नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त	अध्यक्ष
(2)सचिव कानपुर/संयुक्तसचिव,विकास प्राधिकरण	
(3) परियोजना निदेशक,भारतीय राष्ट्रीय	सदस्य
राजमार्ग(जहॉ स्थल भारतीय राष्ट्रीय	सदस्य
राजमार्ग प्राधिकरण से सम्बन्धित हो)	
(4) अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (जहॉ स्थल लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित हो),	सदस्य
(5) नगर मे यातायात का प्रभारी राजपत्रित अधिकारी (यातायात पुलिस विभाग)	

ह0......महापौर

(6) क्षेत्रीय प्रबन्धक,उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम(जहॉ स्थल बस शेल्टर के आवंटन से सम्बन्धित हो), — सदस्य
(7) मुख्य अभियन्ता, नगर निगम — सदस्य
(8) निगम का यातायात अभियंता या कोई अधिकारी जो अधिशाषी अभियंता की श्रेणी से निम्न न हो। — सदस्य
(9) भारतीय रेल का एक प्रतिनिधि(जहॉ स्थल रेलवे से सम्बन्धित हो), — सदस्य
(10) प्रभारी अधिकारी(विज्ञापन) — सदस्य / सचिव
(11) सम्बन्धित जोन का जोनल अधिकारी — सदस्य

टिपण्णी – नगर आयुक्त, किसी अन्य सदस्य को जैसा वह उचित समझे सहयोजित कर सकता है।

(3) समिति द्वारा परिलक्षित स्थलो पर अनुज्ञा प्रदान करने के लिये नगर आयुक्त द्वारा कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार पत्रों के माध्यमं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेगे। विज्ञापन मे प्रत्येक प्रस्तावित स्थल के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम प्रीमियम विनिर्दिष्ट होनी चाहिए।

(4) स्थलों की पहचान और समिति की संस्तुति के पश्चात् ही विज्ञापनों और विज्ञापन पटों की अनुज्ञा दी जायेगी।

4–निषेध (1) **नगर आयुक्त से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना :**

कोई व्यक्ति नगर निगम सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, रेलवे प्रशासन की ऐसी दीवाल या सम्पत्ति की सतह के किसी भाग के जो किसी सड़क के सामने पड़ती हो, उपरिगामी सेतु या समस्त संलग्न भूमि या ट्री गार्ड, नगर प्राचीर, बाउण्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा, न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा या न सुनायेगा।

(2) निगम की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी, अध्यासी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न सम्प्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा, न सुनायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने देगा, न प्रदर्शित, न सम्प्रदर्शित, न लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या न लटकाने देगा, न सुनवाने

देगा, यदि ऐसा विज्ञापन किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो अथवा सार्वजनिक रुप से दृश्य हो।

(3) कोई विज्ञापन पट इस रीति से प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।

(4) कोई विज्ञापन पट, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के दाहिनी ओर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के वाहन मार्ग (carriage way), छोर से 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

(5) कोई विज्ञापन पट नियम के अधीन यथा विनिर्दिष्ठ मार्गों के सिवाय अन्य मार्गों के छोर के 10 मीटर के भीतर नहीं प्रतिष्ठापित की जायेगी।

5–विज्ञापनकर्ताओ का पंजीकरण एवं नवीनीकरण

(1)

(2) पंजीकृत विज्ञापन एजेन्सियॉ ही विज्ञापन हेतु अनुमन्य होगी।

(3) विज्ञापनकर्ता/विज्ञापन एजेन्सी को 'अ''श्रेणी में पंजीकरण हेतु रू0 50.000.00(पचास हजार) पंजीकरण शुल्क एवं 2,00,000,00(दो लाख रूपये) धरोहर धनराशि,''ब'' श्रेणी में पंजीकरण हेतु रू0 30.000.00(तीस हजार) पंजीकरण शुल्क एवं 1,50,000,00(एक लाख पचास हजार रूपये)धरोहर धनराशि, ''स''श्रेणी में पंजीकरण हेतु रू0 20.000.00(बीस हजार) पंजीकरण शुल्क एवं 1,00,000,00(एक लाख रूपये)धरोहर धनराशि,''द'' श्रेणी में पंजीकरण हेतु रू0 15.000.00(पन्द्रह हजार) पंजीकरण शुल्क एवं 75,000,00(पछत्तर हजार रूपये))धरोहर धनराशि जमा करना होगा।

(4) पंजीकरण कराने हेतु प्रत्येक आवेदन अनुसूची–3 में विनिर्दिष्ट चिन्हित प्रपत्र में किया जायेगा जिसे रु0 500/–भुगतान करके नगर निगम कानपुर के विज्ञापन विभाग से प्राप्त किया जायेगा या निगम के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, तथापि आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

पंजीकरण का नवीनीकरण वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के साथ 07 दिन के भीतर करना अनिवार्य होगा। नवीनीकरण शुल्क ''ए'' श्रेणी हेतु रु0 30,000/–, ''बी'' श्रेणी हेतु रु0 20,000/– एवं ''सी'' श्रेणी हेतु रु0 10,000/– व ''द'' श्रेणी हेतु 5000/– होगा।

5(ब)–अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया

(1) . अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट चिन्हित प्रपत्र में किया जायेगा जिसे रु0 500/–भुगतान करके नगर निगम कानपुर के विज्ञापन विभाग से प्राप्त किया जायेगा। आवेदन–पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

ह0......महापौर

(2) उपनियम–(1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के संम्बन्ध में विस्तृत सूचना निहित होगी, जहाँ ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित विज्ञापन या विज्ञापन पट पर निर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, सम्प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, उद्‌घोषित किया जाना वाँछित हो और उसमें निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी।

(क) प्रत्येक भू–विज्ञापन पट्‌ट की भूमितल से ऊँचाई, अवस्थिति, ढाँचे की बनावट आदि की विशिष्टियों को आवंटन समिति द्वारा तय किया जाएगा और उसी के अनुरूप आवश्यक अभिकल्प संगण आवेदन पत्र में प्रस्तुत की जाएगी।

(ख) पूर्ववर्ती विज्ञापनों के अतिरिक्त छत–विज्ञापनों, प्रक्षिप्त विज्ञापनों या भू–विज्ञापनों के मामले में सहायक क्रिया विधियाँ और स्थिरक–स्थानों के समस्त घटक और यदि नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित, हो तो आवश्यक अभिकल्प संगणनाएं आवेदन पत्र में प्रस्तुत की जायेंगी,

(ग) कोई अन्य विशिष्टियाँ, जो नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो,

(घ) गुब्बारा विज्ञापनों के मामले में नगर आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जाएगी।

(3) यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के पार्श्व भाग पर या किसी निजी परिसर में कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वाँछित हो तो ऐसे आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा–

(क) विज्ञापन और प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण,

(ख) नगर आयुक्त द्वारा सम्यक रुप से अनुमोदित संरचना अभियंता से सम्बन्धित भवन की सुदृढ़ता सम्बन्धी रिपोर्ट।

(ग) भू/भवन स्वामी की सहमति का अनुबन्ध– पत्र,

आवेदन, आवश्यक चित्रों और संरचना–संगणनाओं सहित नगर आयुक्त द्वारा सम्यक रुप से अनुमोदित संरचना अभियंता के माध्यम से किया जायेगा। अभिकल्प संगणनाओं में लिया गया वायुभार राष्ट्रीय भवन संहिता–2005 के भाग–4 ''संरचना अभिकल्प धारा–1 भार, बल और प्रभाव के भाग–4 अनुसार होगा।

(4) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी निजी भूमि या भवन या उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना, चित्रित किया जाना या लटकाया जाना वाँछित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन पत्र में ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुज्ञा/निष्पादित अनुबन्ध की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(5) उपनियम **(4)** में निर्दिष्ट भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को लिखित रूप में वचन देना होगा कि किसी व्यतिक्रम की स्थिति में वह विज्ञापनकर्ता हेतु देय कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा। नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विज्ञापन पट्‌ट हटाने हेतु परिसर में प्रवेश का अधिकार होगा।

(6)

यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि पर विज्ञापन सम्प्रदर्शित करना चाहें तो उसे आवेदन पत्र के साथ विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी होगी और इस नियमावली के अधीन अनुज्ञा लेनी होगी।

ह0......महापौर

(7) यदि कोई व्यक्ति ट्री–गार्ड/फ्लावर पॉट को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ट्री–गार्डो/फ्लावर पॉट पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या सम्प्रदर्शित करता है तो वह इस नियमावली के अधीन कर भुगतान करने का दायी होगा।

(8) अनुज्ञा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये प्रदान की जायेगी जो नगर आयुक्त द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जायेगी।

(9) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित सम्पूर्ण प्रीमियम अथवा नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रथम किश्त की धनराशि संलग्न करनी होगी, परन्तु यह कि प्रीमियम की अवशेष धनराशि नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर जमा करना होगी।

6–क अनुज्ञा प्रदान करने की शर्तें

(1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने, उद्घोषित करने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी कि–

(क) अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो, परन्तु यह कि कर या प्रीमियम सहित कर, इस नियमावली के अनुसार संदत्त और जमा किया गया हो।

(ख) विज्ञापन या विज्ञापन पट पट्ट पर ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जायेगा, चिपकाया जाएगा, समुद्धृत किया जाएगा, चित्रित किया जाएगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाये और विज्ञापन पट्ट, चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो, की ऊँचाई 6,2 मीटर से अधिक नहीं होगी। दो सन्निकट विज्ञापन पटों के मध्य की दूरी 10 मीटर से कम नही होगी। यूनीपोल लगाए जाने की दशा में दो यूनीपोल के मध्य की दूरी 15 मीटर से कम नही होगी,

(ग) विज्ञापन या विज्ञापन पट को समुचित दशाओं में सम्पूर्ण अनुज्ञा अवधि में रखा एवं अनुरक्षित किया जायेगा,

(घ) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी,

(ङ) विज्ञापन या विज्ञापन पट की विषय वस्तु या उसका विवरण नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नही किया जाएगा,

(च) विज्ञापन कर्ता ऐसी अवधि जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देंगे या उसे मिटा देंगे,

(छ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेगें, सम्प्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे,

(ज) मार्ग/फुटपाथ के लिए खुली छोड़ी गई भूमि पैदल चलने वालों, साइकिल वालों आदि के लिए सुरक्षित रूप में चलने के लिए उपलब्ध रहेगी,

(झ) भवनों, यदि कोई हो, जो प्रतीकों और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो, के प्रकाश और वातायन किसी भी रूप में बाधित नही होंगे,

(ञ) लोकहित में नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञापत्र को निलम्बित कर दे जिसके पश्चात् विज्ञापनकर्ता विज्ञापनों को हटा देगा,

ह0......महापौर

(ट) विज्ञापनकर्ता को इस नियमावली और नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित विनियमावली का अनुपालन करना होगा,

(ठ) विज्ञापनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार के विज्ञापन हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक का प्रयोग निषिद्ध होगा,

(ड) भवन से सम्बन्धित विज्ञापन पट्टों से भिन्न विज्ञापन पट्ट ऐसे भवनों यथा चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थानों, न्यायालयों, सार्वजनिक कार्यालयों, सग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निमित्त अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष प्रदर्शित करने की अनुज्ञा नहीं होगी,

(ढ) विज्ञापनों का अनुरक्षण और निरीक्षण तथा उनके अवलम्ब नियम 24 के अनुसार होगें,

(ण) समस्त विज्ञापन नियम 16 ''समस्त विज्ञापनों के लिए सामान्य अपेक्षायें'' में दी गयी सामान्य अपेक्षाओं के अनुरुप होगें,

(त) विज्ञापन को वृक्षो या काष्ठमय पेड़ पौधे में गाड़ा,बॉधा नही जायेगा।

(2) नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उनका नवीनीकरण तत्काल स्वतः समाप्त हो जाएगा,

(क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किन्ही अन्य कारणों से गिर जाता है,

(ख) यदि कोई परिवर्द्धन, उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर नगर आयुक्त के निर्देश के अधीन किया जाता है,

(ग) यदि बिना सूचना दिये विज्ञापन या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है,

(घ) यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित किया गया हो और यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन में विज्ञापन पट्ट या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है, या

(ड़) यदि ऐसा भवन या संरचना, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित, नियत या अवरुद्ध हो, भंजित या नष्ट हो जाती है।

प्रीमियम 6–ख (1) नगर आयुक्त प्रत्येक स्थल के लिये स्थल के महत्व के अनुसार न्यूनतम प्रीमियम की धनराशि नियत करेगा,

(2) मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम सात दिन का समय दिया जायेगा।

(3) प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित न्यूनतम प्रीमियम की पूर्ण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर चेक संलग्न होनी चाहिए। प्रीमियम की शेष धनराशि प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात् नगर आयुक्त द्वारा यथा निर्दिष्ट अवधि के अंदर जमा करनी होगी।

7–आवंटन समिति (1) नगर आयुक्त की अध्यक्षता में निगम में एक आवंटन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगें–

(एक)नगरआयुक्तद्वारा नामित अपर नगर आयुक्त — सदस्य

(दो) निगम में तैनात यातायात सेल(ट्रेफिकसेलका अभियन्ता) — सदस्य

ह0......महापौर

(तीन) सम्बन्धित जोन का जोनल अधिकारी

(चार) प्रभारी अधिकारी, विज्ञापन एवं विज्ञापन पट्ट जो सहायकनगर आयुक्त/कर निर्धारण अधिकारी की श्रेणी से निम्न न हो — सदस्य

सदस्य–सचिव

टिप्पणीः **नगर आयुक्त, किसी अन्य सदस्य को सहयोजित कर सकता है जैसा वह उचित समझे**

(2) **(एक)** समिति सार्वजनिक भूमि/नगर निगम में निहित भूमि (गली, फुटपाथ, डिवाइडर, तिराहा, चौराहा, आईलैण्ड पार्क, या कोई सार्वजनिक स्थल) पर स्ट्रक्चर निर्मित करने हेतु उस स्थल के व्यावसायिक महत्व एवं उस स्थल के माध्यम से होकर गुजरने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम की न्यूनतम धनराशि निर्धारित करेंगी

(दो) समिति इस नियमावली में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार आवेदन पत्रों, प्रस्तावों की संवीक्षा करेगी और तद्नुसार अनुमोदित करेगी।

(3) नियम–26 के अधीन कर सहित प्रीमियम की पूर्ण प्रस्तावित धनराशि जमा करने के पश्चात् उच्चतम प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान करेगी।किसी विज्ञापन स्थल के लिये एक से अधिक समान प्रीमियम की धनराशि के प्रस्ताव प्राप्त होने पर सभी समान दर उद्धत करने वाले आवेदको से पुनः मोहर बन्द प्रस्ताव आंमत्रित करके,उच्चतम प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

(4) सदस्य, सचिव समिति द्वारा सम्यक रुप से अनुमोदित अनुज्ञा आदेश जारी करेगा।

(5) यदि उच्चतम प्रीमियम प्रस्तावित करने वाला आवेदक किन्ही कारणों से अनुमोदित प्रीमियम एवं विज्ञापन कर की धनराशि जमा नही करता हैं और निविदा से अपना प्रस्ताव वापस लेता है तो उसके द्वारा नीलामी/निविदा के लिए जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

(6) विस्तृत सूचना, अनुदेश और निबंधन एवं शर्ते अनुज्ञा आदेश में उल्लिखित की जाएगी।

(7) विज्ञापन (यथा–होर्डिंग, यूनीपोल, बस शेल्टर, गैन्ट्री इत्यादि) के लिए प्रत्येक स्थल की नीलामी या निविदा एवं विद्युत, टेलीफोन खम्भों, ट्री–गार्ड/फ्लावर पॉट पर विज्ञापन की नीलामी/निविदा एक ही रुप में उपर्युक्त रीति से की जाएगी।

(8) यदि कोई विज्ञापन निजी भूमि या भवन पर सम्प्रदर्शित किया जाना वाँछनीय हो तो अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक विज्ञापन कर, विज्ञापन कर्ता द्वारा संदेय होगा।

(9) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी सार्वजनिक मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग को छोड़कर अनुज्ञा न हो) या इससे संलग्न भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान विद्युत या टेलीफोन खम्भों या ट्री–गार्ड या चहारदीवारी पर सम्प्रदर्शित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना या प्रदर्शित किया जाना हो, तो अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक कर और उच्चतम प्रीमियम की धनराशि आवेदक द्वारा संदेय होगी।

8–आवेदनपत्रों की अस्वीकृति के

नियम–4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है यह किः–

ह0......महापौर

आधार

(क) आवेदन पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हो या वह इस नियमावली के अनुरुप न हो,

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स या आपत्तिजनक प्रकृति का, या नगर निगम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से सम्प्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील, नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्तता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

(ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शान्ति या प्रशान्ति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो,

(घ) प्रस्तााावित विज्ञापन से तूफान या अधंड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो,

(ड़) प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में अशांति या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो,

(च) प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों से असंगत हो।

(छ) विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वाँछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के सम्बन्ध में धारा–172 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनाँक को असंदत्त हो।

(ज) अन्य कोई कारण जिसे नगर आयुक्त नगर निगम के हित व जनहित में उचित समझे।

9–अनुज्ञा प्रदान करने की रीति

किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने चित्रित करने या हस्तान्तरित करने हेतु आवंटन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना नगर आयुक्त के लिए विधि सम्मत होगा–

(एक) सार्वजनिक नीलामी द्वारा,

(दो) निविदा आमंत्रित करने के द्वारा

(तीन) निर्धारित नियमों एवं शर्तो के अधीन पूर्व में प्रदान की गई अनुज्ञा के नवीनीकरण द्वारा किन्तु अनुज्ञा किसी भी दशा में नही दी जाएगी, जिससे यातायात एवं फुटपाथ पर पैदल चलने में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो

(चार) निजी स्थल/भवन पर विज्ञापन की अनुमति परिसर के मालिक की सहमति पर इस नियम के अन्य उपबन्धों के अधीन दी जा सकती हैं,

10–अनुज्ञा की अवधि

अनुज्ञा, की अवधि वही होगी जो अनुज्ञा पत्र मे विनिर्दिष्ट है। वार्षिक अनुज्ञा,अनुज्ञा के दिनाँक स`एक वर्ष की अधिकतम अवधि या उस वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक,जिसमें अनुज्ञा स्वीकार की गयी,इनमें जो भी पहले हो,होगी।

नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रीमियम/नवीनीकरण शुल्क एवं सम्पूर्ण विज्ञापन कर जमा करने के पश्चात अनुज्ञा का नवीनीकरण नियम 6(3)

ह0......महापौर

11– अनुज्ञा का नवीनीकरण

के अधीन किया जा सकता है। इसके लिये विज्ञापनकर्ता को अनुसूची–1 के रूप मेंसंलग्न विहित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुज्ञाके नवीनीकरण होने के पश्चात देय प्रीमियम/नवीनीकरण शुल्क एवं विज्ञापन कर जमा करना होगा।

12–विज्ञापन या विज्ञापन पट हटाने की शक्ति

(1) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट इस नियमावली के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, सम्प्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, सुनाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशान्ति का कारण हो तो नगर आयुक्त, विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकती है या मिटा सकती है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकती हैः–

(क) ऐसे हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय, और

(ख) ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट ऐसे उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, सम्प्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित किया गया था या लटकाया गया था, के लिए क्षतियों की धनराशि।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन नगर आयुक्त द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणामस्वरुप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन सम्प्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को नगर आयुक्त के समाधान पर्यन्त ठीक किया जायेगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग /सड़क/फुटपाथ यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो विज्ञापन कर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जाना चाहिए।

13–विज्ञापन पर निर्बन्धन

(1) किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी के प्रतिकूल होते हुए भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट परिनिर्मित नहीं किया जायेगा, प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, सम्प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, लगाया नहीं जायेगा, चिपकाया नहीं जायेगा, लिखा नहीं जायेगा, चित्रित नहीं किया जायेगा या लटकाया नहीं जायेगा, यदि–

(एक) यह आकार में 12..2 मीटर x 6..2 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 02मी0 से कम हो,

(दो) यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुए मार्ग से मापे गये 20 मीटर के अन्तर्गत किसी स्थान पर अवस्थित हो,

(तीन) यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे यानीय या पैदल चलने वाले यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो,

(चार) समिति की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट के लिए अनुपयुक्त हो,

(पाँच) यह मार्ग के उस पार एवं मार्ग पटरी/पगडण्डी पर रखा गया हो,

(छः) यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों सार्वजनिक भवनों और दीवारों, चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं,न्यायालयों,सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के चारों ओर अवस्थित हो

ह0......महापौर

(सात) स्थल नियम–22 के अधीन इस प्रयोजनार्थ निगम या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर पड़ता हो,

(आठ) जर्जर स्थिति में हो जिसके ऑधी–पानी (बरसात) में गिरने की सम्भावना हो,

(2) विज्ञापनों और विज्ञापन पटों को निम्नलिखित रुप में अनुज्ञा नहीं दी जाएगी–

(एक) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे कि यातायात के पहुँचने, संविलीन होने या प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता हो,

(दो) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के दायीं ओर मार्ग के भीतर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के यान मार्ग के छोर के 10 मीटर के भीतर,एवं समस्त प्रमुख चौराहों की दूरी 20 मीटर के भीतर

(तीन) किसी लोक प्राधिकरण यथा यातायात प्राधिकरण, लोक परिवहन प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेशों के अधीन मार्ग से होते हुए यातायात के विनियमन के लिए परिनिर्मित किसी साइन बोर्ड के 50 मीटर के भीतर,

(चार) ऐसे रुप में जिससे लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियंत्रण के लिए परिनिर्मित किसी चिन्ह, संकेतक या अन्य युक्ति के निर्वचन में विध्न व्यवधान उत्पन्न हो,

(पाँच) किसी मार्ग के पार लटकाए गये पटो, भित्ति पत्रकों, वस्त्र–झण्डियों या पत्रक पर जिनसे चालक का ध्यान विचलित होता हो, और इसलिए परिसंकटमय हो

(छः),ऐसे रुप में जिससे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो और चौराहे पर उनकी दृश्यता बाधित हो,

(सात) जब इनसे स्थानीय व जन सुविधायें प्रभावित हो।

(3) (एक) निजी भवनों पर पोस्टर चिपकानें अथवा वॉल राइटिंग के पूर्व भवन स्वामी की लिखित अनुमति आवश्यक होगी। सार्वजनिक भवनो,दिशा–शूचकों और महत्व सूचनाओं/नोटिस वाले विज्ञापन–पटो पर पोस्टर लगाना अथवा कुछ लिखना पूर्णतः प्रतिबन्धित एवं दण्डनीय अपराध होगा।

(दो) सड़क पर क्रास बैनर पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा,

(तीन) गैन्ट्री प्रतीको के लिए यह आवश्यक होगा कि गैन्ट्री के दोनो छोरो पर स्थान बोधक,दिशासूचक शब्द एवं दूरी का उल्लेख किया जाय जो विज्ञापन के कुल आकार का न्यूनतम 30 प्रतिशत से कम नही होगा। गैन्ट्री की सड़क से न्यूनतम ऊँचाई इस प्रकार रखी जायेगी कि समान लदा हुआ भारी ट्रक नीचे से आसानी से गुजर सके,

(चार) फ्लावर पॉट में मौसमी पुष्पों वाले पौधे ही लगाए जा सकेंगे। कैक्टस वाले फलावर पॉट अनुमन्य नही होगे,

(पॉच) सड़क के किनारे अथवा डिवाइडर पर लगे किसी भी बड़े वृक्ष जो स्वावलम्बी हो चुके है एवं बड़े वृक्ष के नीचे ट्री–गार्ड /फ्लावर पॉट

लगाकर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाना निषिद्ध होगा,

(छः) किसी भी पोल पर अधिकतम दो कियॉस्क जिनके पार्श्व भाग आपस मे इस प्रकार सटे होगे जिसमें एक दिशा से एक ही कियॉस्क दृश्य होगा, अनुमन्य होगे।

(4) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पटों की अनुज्ञा नहीं होगी–

(एक) विज्ञापन और विज्ञापन पट जिनमें जनसेवा सूचना यथा समय,ताप मौसम या दिनांक इंगित करने वाले प्रकाशों को छोड़कर कोई चौधने वाले आंतरायिक या गतिमान प्रकाश अन्तर्विष्ट है,सम्मिलित है या जो उनके द्वारा प्रदीप्त है,

(दो) ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन पट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चालन क्रिया में विघ्न पड़ता हो,

(तीन) विज्ञापन और विज्ञापन पट , जो इस रुप में प्रदीप्त हों जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट, युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।

14–छत के ऊपर के विज्ञापन पटो के सम्बन्ध में निर्बन्धन

(1) किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या सम्प्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पटों के मामले में केवल प्लास्टिक की विनायल या वस्त्र पत्रक अनुमन्य है,

(2) नियम–6 और नियम–13 के अधीन रहते हुए किसी भवन की छत पर विज्ञापन या विज्ञापन पट की ऊँचाई, अधिकतम 6..2 मीटर से अधिक नही होगी और चौड़ाई किसी भी दशा मे भवन की क्षैतिज चौड़ाई से अधिक नही होगी।

15– विज्ञापन पटो क प्रकार

1. विज्ञापन पट निम्नलिखित प्रकार के हैं–

क) वैद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन,/वैद्युत, डिजिटल विज्ञापन
(ख) भू–विज्ञापन,
(ग) छत विज्ञापन,
(घ) बरामदा विज्ञापन,/दुकान विज्ञापन
(ड़) दीवार विज्ञापन,
(च) प्रक्षिप्त विज्ञापन,
(छ) शामियाना विज्ञापन
(ज) आकाशीय विज्ञापन
(झ) विविध और अस्थायी विज्ञापन,
(ञ) ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड विज्ञापन
(ट) जनसुविधा स्थान पर विज्ञापन
(ठ) विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन
(ड) पताका/झण्डी विज्ञापन,द्वार विज्ञापन,गुब्बारा विज्ञापन,
(ढ) ट्री गार्ड/फ्लावर पॉट डिस्प्ले
(ण) गैन्ट्री विज्ञापन,
(त) बिल्डिंग ग्लास,फसाडवॉल रैप,वाटर अैक विज्ञापन

क– <u>वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन</u>

ह0......महापौर

क–1 वैद्युत विज्ञापन की सामग्री, जहाँ विज्ञापन पूर्णतः पुंज प्रकाश युक्त विज्ञापन हो, उसे छोड़कर प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन पट अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

क–2 **वैद्युत विज्ञापनों और प्रदीप्त विज्ञापनों का स्थापन–**

प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन को राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 भाग–8, भवन सेवायें, धारा–2 विद्युत एवं समवर्गी स्थापन, के अनुसार स्थापित किया जायेगा।

क–3 लाल, तृणमणि जैसा या हरे रंग में कोई प्रदीप्त विज्ञापन, किसी प्रदीप्त यातायात विज्ञापन के 10 मीटर की क्षैतिज दूरी के भीतर परिनिर्मित या अनुरक्षित नही किया जायेगा।

क–4 दो मंजिल से कम की ऊँचाई पर या पगडण्डी से 6.2 मीटर ऊपर जो भी अधिक हो,पर सफेद प्रकाश से भिन्न प्रकाश द्वारा प्रदीप्त समस्त विज्ञापन पट समुचित रुप से प्रदर्शित किये जायेंगे जिससे कि यातायात के नियंत्रण में विज्ञापन पट या संकेतक से होने वाले किसी प्रकार के व्यवधान को सन्तोषजनक रुप में रोका जा सके।

क–5 **गहन प्रदीप्त–**

कोई व्यक्ति ऐसा कोई विज्ञापन परिनिर्मित नहीं करेगा जो ऐसे गहन प्रदीप्त का हो जिससे कि संलग्न या समीपवर्ती भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो। ऐसे परिनिर्माण के लिए दी गयी किसी अनुज्ञा के होते हुये भी किसी ऐसे विज्ञापन, जो परिनिर्माण के पश्चात् नगर आयुक्त की राय में ऐसी गहन प्रदीप्त का हो जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के अध्यासियों को व्यवधान उत्पन्न हो, को नगर आयुक्त के आदेश के आधार पर सम्बन्धित स्थल के स्वामी द्वारा ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जैसा कि नगर आयुक्त विनिर्दिष्ट करें, के भीतर समुचित रुप में परिवर्तित कर दिया जाएगा या उसे हटा दिया जायेगा।

क–6 **परिवर्तन अवधि–**

नगर आयुक्त की राय में, जन सुख सुविधा,स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में, आवश्यक विज्ञापन से भिन्न कोई वैद्युत विज्ञापन, मध्यरात्रि और सूर्योदय के मध्य प्रचलित नहीं किया जायेगा।

क–7 **चौधने वाला, औझल करने वाला और जीवंतता प्रदान करने वाला–**

कोई चौंधने वाला, ओझल करने वाला और जीवंतता परक विज्ञापन पट्टिका, जिसकी बारम्बारता प्रति मिनट 30 चौंध से अधिक हो, इस प्रकार परिनिर्मित की जाएगी कि ऐसे विज्ञापन पटों का न्यूनतम छोर भूतल से 9 मीटर से ऊपर से कम न हो।

क–8 विमानपत्तनों के निकट प्रदीप्त विज्ञापनों के लिए विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

ख–भू विज्ञापन

ख–1 **सामग्री–**

ह0......महापौर

ढाँचों, अवलम्बों और पट्टी सहित 06 मीटर से अधिक ऊँचाई वाला प्रत्येक भू–विज्ञापन, नियम–16 के उपनियम (4) में दी गयी सामग्री को छोड़कर अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा।

ख–2 <u>आयाम–</u>

कोई भी भू विज्ञापन भूमि से ऊपर 06 मीटर से अधिक की ऊँचाई में परिनिर्मित नहीं किया जायेगा। प्रकाश परावर्तन विज्ञापन के अग्रभाग या मुख्य भाग से ऊपर जा सकता है।

ख–3 **<u>अवलम्ब और स्थिरक स्थान–</u>**

प्रत्येक भू–विज्ञापन को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जाएगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित काष्ठ के होगें या संक्षारण रोध या चिनाई या कंक्रीट हेतु संसाधित धातु के होंगे।

ख–4 **<u>स्थल सफाई –</u>**

किसी स्थल जिस पर कोई भू–विज्ञापन परिनिर्मित हो, का स्वामी नगर आयुक्त के अनुमोदन हेतु स्थल के ऐसे भाग, जो मार्ग से दृश्य हो को स्वच्छ, साफ, निर्मल और समस्त गन्दे पदार्थों तथा कुरुप स्थितियों से मुक्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

ख–5 **<u>यातायात में आपत्ति –</u>**

ऐसा कोई भू–विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जायेगा जिससे कि किसी भवन में मुक्त प्रवेश में या उसके निकास में व्यवधान उत्पन्न हो,

ख–6 <u>तल निर्बाधन</u> के समस्त भू–विज्ञापनों का तल आधार भूमि से कम से कम 2 मीटर ऊपर होगा किन्तु अंतरावर्ती स्थान का जालदार कार्य या वेदी सजावटी व्यवस्था से पूरा किया जा सकता है।

ख–7 भू–चित्रित विज्ञापन, जहाँ प्रयोज्य हों, वहाँ नियम–16 की अपेक्षाओं के अनुरुप होंगे।

ग–छत विज्ञापन

ग–1 <u>सामग्री–</u>

नियम–16 के उपनियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर ढाँचों, अवलम्बों और पट्टियों सहित प्रत्येक छत विज्ञापन पट्टिका को अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा। समस्त धात्विक पुर्जों के वैद्युत भू–आच्छादन की व्यवस्था की जाएगी और जहाँ ज्वलनशील सामग्रियाँ अक्षरों या अन्य साज–सज्जों में अनुज्ञात हो वहाँ समस्त लेख और नलिकाएं उसमें मुक्त और रोधित रखी जायेंगी।

ग–2 **<u>अवस्थितिः</u>**

(क) किसी भवन के छत पर कोई छत विज्ञापन, इस प्रकार नही रख जाएगा जिससे कि छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश मे व्यवधान उत्पन्न हो।

(ख) कोई छत विज्ञापन किसी भवन के छत पर या उसके ऊपर तब तक नही रख जाएगा जब तक सम्पूर्ण छत का निर्माण

ह0......महापौर

अज्वलनशील सामग्री का न हो।

ग–3 **<u>क्षेपण :</u>** कोई छत विज्ञापन भवन के विद्यमान भवन लाइन जिस पर यह परिनिर्मित हो के परे/प्रक्षेपित नहीं होगा अथवा वह छत के ऊपर किसी भी दशा में नहीं बढ़ेगा।

ग–4 **<u>अवलम्ब और स्थिरक :</u>** प्रत्येक छत विज्ञापन को पूर्णतया सुरक्षित रखा जाएगा और उसे ऐसे भवन, जिस पर या जिसके ऊपर यह परिनिर्मित हो, पर स्थिर किया जाएगा। सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में सुरक्षित रुप में संवितरित होंगे।

ग–5 विमानपत्तनों के समीप छत विज्ञापनों हेतु विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

ग–6 चित्रित छत विज्ञापन, जहाँ प्रयोज्य हो, नियम–16 '' समस्त विज्ञापनों हेतु सामान्य अपेक्षाएं'' के अनुरुप होंगे।

घ–बरामदा

घ–1 **<u>सामग्री–</u>** प्रत्येक बरामदा विज्ञापन नियम–16 के उपनियम–(4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर पूर्णतः अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

घ–2 **<u>आयाम–</u>** कोई बरामदा विज्ञापन ऊँचाई में 01 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी बरामदा से लटकाया जाने वाला कोई बरामदा विज्ञापन लम्बाई में 2.5 मीटर और मोटाई में 50 मिली मीटर से अधिक नहीं होगा, इसके सिवाय विज्ञापन के प्रमुख अग्रभागों के मध्य मापित और पूर्णतया धातुगत तार युक्त शीशे से निर्मित मोटाई में 200 मीटर से अनधिक मापवाला बरामदा बाक्स विज्ञापन, परिनिर्मित किया जा सकता है।

घ–3 **<u>सरेखण–</u>** प्रत्येक बरामदा विज्ञापन, भवन लाइन के समान्तर स्थापित किया जाएगा। इसके सिवाय किसी बरामदा से लटकने वाले ऐसे किसी विज्ञापन को भवन लाइन के समकोण पर स्थापित किया जाएगा।

घ–4 **<u>स्थान–</u>** बरामदा पट्टिका को जो लटकाने वाले विज्ञापन पट से भिन्न हो, निम्नलिखित स्थान पर लगाया जायेगा–

(एक) बरामदा, छत की ओरी के ठीक ऊपर ऐसी विधि से कि वह छत के गटर के पिछले भाग से बहिर्निष्ट न हो,

(दो) बरामदा, मुंडेर या आलम्ब के सामने किन्तु उसके ऊपर या नीचे नहीं, परन्तु ऐसी मुंडेर या आलंब ठोस हो और विज्ञापन पट्टिका ऐसी मुंडेर या आलंब के बाहरी अग्रभाग से 20 से0मी0 से अधिक बहिर्निष्ट न हो,

(तीन) पेन्ट किये हुये विज्ञापन पट्टिकाओं की दशा में बरांडा धरनों या मुंडेरों पर।

घ–5 **<u>लटकते हुये बरांडा विज्ञापन पट्टिकाओं की ऊँचाई–</u>** किसी बरांडा से लटकता हुआ प्रत्येक बरामदा विज्ञापन पट्टिका इस प्रकार लगायी जायेगी कि ऐसी पट्टिका का सबसे निचला भाग खड़ंजा से कम से कम 2.5 मीटर ऊपर हो।

घ–6 **<u>प्रक्षेपण–</u>** घ–4 में यथा उपबंधित के सिवाय कोई भी बरांडा विज्ञापन पट्टिका उस लाइन से, जिससे वह लगी हो, बाहर निकली हुई नहीं होगी।

ङ–दीवार विज्ञापन

प्रत्येक दीवार विज्ञापन पट्ट 3 गुणे 3 मीटर को एक यूनिट मानते हुए बिना किसी ज्वलनशील पदार्थ के परिनिर्मित किया जाएगा।

ह0......महापौर

(क) प्रतिबन्धित क्षेत्रों /सार्वजनिक कार्यालयों, न्यायालयों, धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थाओं, राष्ट्रीय स्मारकों आदि की दीवारों पर विज्ञापन प्रतिषिद्ध रहेगा।

(ख) नगर/स्थल के कलात्मक सौंदर्य व अन्य विशिष्टयों के मामले में दीवार विज्ञापन के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

च– प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाए **च–1** सामग्रीः प्रत्येक प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका और उसका अवलम्ब एवं चौखटा पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगा।

च–2 **प्रक्षेपण एवं ऊँचाई** कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका अपने अवलम्ब या चौखटे के किसी भाग में भवन के बाहर 02 मीटर से अधिक प्रक्षिप्त नहीं होगी किन्तु यह मार्ग के सामने भूखण्ड लाइन के बाहर प्रक्षिप्त नहीं होगी, जब यह मार्ग में प्रक्षिप्त होती हो तो यह सड़क से 2.5 मीटर की स्पष्ट ऊँचाई पर होगी।

(क) समस्त प्रक्षेपण पट्टिकाओं के अक्ष भवन के मुख्य अग्रभाग के दाहिने कोण पर होंगे। जहां अग्रभाग के लिए वी–निर्माण किया गया हो वहां भवन के सामने विज्ञापन पट्टिका का आधार कुल प्रक्षेपण की सीमा से अधिक नहीं होगा।

(ख) कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका छत की ओरी के ऊपर या भवन आकृति के उस भाग, जिससे वह लगी हो, के ऊपर नहीं निकली होगी।

(ग) किसी प्रक्षेपण पट्टिका की अधिकतम ऊँचाई 06 मीटर होगी।

च–3 अवलम्ब एवं संलग्नः प्रत्येक प्रक्षेपण पट्टिका किसी भवन से सुरक्षित रूप से लगी होगी जिससे किसी भी दिशा में उसके संचलन का संक्षरण रोधी धातु दीवारगीर, रॉड्स, ऐकर्स, अवलम्ब, चेन्स या वायरोप्स, जो इस प्रयोजन के लिए निर्मित हो, द्वारा रोका जा सके और इस प्रकार व्यवस्थित की जा सके कि इस प्रकार लगाये जाने की आधी युक्तियाँ परिस्थितिवश विज्ञापन पट्टिका को थाम सकें। स्टैपल्स या कीलों का प्रयोग किसी भवन के किसी प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका को कसने के लिए नहीं किया जायेगा।

च–4 अतिरिक्त भार ऐसी प्रक्षेपण संबंधी संरचनाएं जो किसी सीढ़ी पर या अन्य सेवाई युक्ति में, चाहे वह सेवाई युक्त के लिए विशेष रूप से बनाई गयी है या न हो, किसी व्यक्ति का थामने के लिए प्रयोग में लायी जा सकती हो, पूर्वानुमानित अतिरिक्त भार को थामने के लिए सक्षम होगी किन्तु किसी भी दशा में कल्पित रूप से भार डालने के बिन्दु पर या अत्याधिक उल्केन्द्रीय भार डालने के बिन्दु पर डाला गया केन्द्रित क्षैतिज भार 500 किलोग्राम से और ऊर्ध्वधर केन्द्रित भार 1500 किलोग्राम से कम के लिए सक्षम नहीं होगी। भवन संघटक, जिससे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका लगाई जाय, इस प्रकार निर्मित होगा कि वह अतिरिक्त भार को थाम सके।

छ–शामियाना विज्ञापन पट्टिका

छ–1 **सामग्री :** शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएं पूर्ण रूप से धातु या अन्य अनुमोदित अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होगी।

छ–2 **ऊँचाईः** ऐसे विज्ञापन पट्टिकाएं 02 मीटर से ऊँची नहीं होगी और न तो वे शामियाना की पट्टी से नीचे और ने पगडंडी के ऊपर 2.5 मीटर से नीचे होंगी।

छ–3 **लम्बाईः** शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएं पूरी लम्बाई से अधिक हो सकती है किन्तु वे किसी भी दशा में शामियाना के छोर से बाहर प्रक्षिप्त नहीं होंगी।

ज–आकाश विज्ञापन पट्टिका–

आकाश विज्ञापन पट्टिकाओं के मामलें में ऐसी आकाश विज्ञापन पट्टिका की ऊँचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होगी। न्यूनतम ऊँचाई ऐसी होनी चाहिए कि उससे वाहन या पैदल संबंधी आवागमन में अवरोध या बाधा उत्पन्न न हो।

झ–अस्थाई विज्ञापन पट्टिका

झ–अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं सचल सर्कस विज्ञापन पट्टिकाएं, मेला विज्ञापन पट्टिकाएं एवं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट।

झ–1 **प्रकार झ–.2** के अनुसार यथा परिनिर्मित अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं से भिन्न निम्नलिखित विज्ञापन पट्टिकाओं में से कोई विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित नहीं की जाएगी।

(क) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो बरांदा के स्तम्भों पर या उनके बीच पेंट की या लगायी गयी हो।

(ख) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो किसी बरामदा या बालकनी की किसी पट्टी बेयरर, बीम या आलम्ब के ऊपर या नीचे प्रक्षिप्त हो।

(ग) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो प्रदीप्त या प्रकाशमान हो और जो किसी बरांदा या बालकनी के किसी ढाल या गोल किनारे के पट्टी, बेयरर, बीम या आलम्ब पर लगायी गयी हो।

(घ) किसी सड़क के आर–पार परिनिर्मित कोई पताका विज्ञापन पट्टिका।

ह0......महापौर

(ड़) विज्ञापन पट्टिका का एक दिशा से दूसरी दिशा में लटकने से रोकने के लिए कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो सुरक्षित रूप से न लगी हो।

(च) कपड़े, पेपर मैच या समान या सदृश सामग्री से निर्मित कोई विज्ञापन पट्टिका किन्तु उनके अर्न्तगत होर्डिंग या घरों के लाइसेंस प्राप्त पेपर विज्ञापन पट्टिकाएं नहीं है।

(छ) अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए गए या प्रयोग किए जाने के लिए आशायित किसी भूखण्ड पर कोई विज्ञापन पट्टिकाएं जो किसी ब्रास प्लेट या बोर्ड से भिन्न हो और अधिमानतः 600 मिलीमीटर गुणे 450 मिलीमीटर से अधिक न हो व किसी आवास की दीवार या प्रवेश द्वार या दरवाजे या गेट पर लगी हो और फ्लैट के किसी ब्लाक के मामलें में प्रवेश हाल के दीवार या किसी फ्लैट के किसी प्रवेश द्वार पर लगी हो, और

(ज) पेड़ों चट्टानों या पहाड़ियों या तत्समान प्राकृतिक स्थलों पर कोई विज्ञापन पट्टिका।

झ–2 <u>अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाओं की आवश्यकता</u>

(एक) सभी अस्थायी विज्ञापन, सचल सर्कस और मेला चिन्ह और पट्टिकाएं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार होंगे और इस प्रकार परिनिर्मित होंगे कि उससे किसी रास्ते में अवरोध न पहुंचे और आग के जोखिम को कम करने में बाधा न पहुंचे।

(दो) ऐसी किसी विज्ञापन पट्टिका पर अंकित विज्ञापन केवल कारोबार, उद्योग या किसी ऐसे अन्य व्यवसाय से संबंधित होगा जो उस परिसर पर या उसके भीतर किया जा रहा हो जिस पर विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित या लगायी गयी हो। अस्थायी विज्ञापन पट्टिका को जैसे ही वह फट जाय या क्षतिग्रस्त हो जाय, यथाशीघ्र और किसी भी दशा में, परिनिर्माण के पश्चात, जब तक विस्तारित न किया जाय, 14 दिन के भीतर हटा दिया जायेगा।

(तीन) नगर आयुक्त किसी अस्थायी विज्ञापन पट्टिका या सजावट को तत्काल हटाने का आदेश, यदि उसकी राय में ऐसी कार्यवाही सार्वजनिक सुविधा और सुरक्षा के हित में आवश्यक हों, देने के लिए सशक्त होगा।

(चार) पोल विज्ञापन पट्टिका : पोल विज्ञापन पट्टिकाएं पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगी और यथास्थिति, भूमि या छत की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी, ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएं स्ट्रीट लाइन के बाहर तक बढ़ाई जा सकती है, यदि वे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाओं के उपबन्धों के अनुकूल हों।

(पांच) झण्डी या कपड़े की विज्ञापन पट्टिकाएं : किसी भवन से संलग्न या उससे लटकने वाली अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाएं और झण्डियां जो कपड़े या ज्वलनशील पदार्थ से निर्मित हो, सुदृढ़ रूप से बनी होगी और अपने अवलंब से सुरक्षित रूप से लगी होगी। जैसे ही वे फट जाय या क्षतिग्रस्त हो जाये, उन्हें, यथाशीघ्र और परिनिर्माण के अधिकतम 14 दिन के पूर्व ही हटा लिया जायेगा, सिवाय उस दशा के जब वे किसी सायबाल या शामियाना से लटकाये जाने के लिए अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाओं को अनुमति प्राप्त हो, 10 दिन की अवधि तक लटकाए जाने के लिए अनुमति प्राप्त हो।

(छः) अधिकतम आकार : अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं क्षेत्रफल में 10 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगी।

(सात) प्रक्षेपण : कपड़े की अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं और ज्वलनशील निर्माण किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान के ऊपर या उसके अन्दर 300 मिलीमीटर से अधिक नहीं बढ़ेगी सिवाय उस दशा के जब ऐसी चिन्ह पट्टिकाएं बिना फ्रेम के निर्मित होने पर किसी सायबान या शामियाना के सामने अवलम्ब के रूप में लगाई जा सकती है या उसकी निचली पट्टी से लटकाई जा सकती है किन्तु वे फुटपाथ के 2.5 मीटर से अधिक निकट तक नहीं बढ़ी होनी चाहिए।

(आठ) विशेष अनुमति : भवन से लटकती हुई या पोल पर लटकती हुए सभी ऐसी अस्थाई झण्डियां जो मार्ग या सार्वजनिक स्थलों के आर–पार बढ़े, नगर आयुक्त के अनुमोदन के अधीन होगी।

(नौ) नगर निगम द्वारा स्थापित किए गए बिल फलक को अस्थाई इश्तहारों, विज्ञापन पट्टिकाओं, प्रतीकों, मनोरंजन आदि के लिए प्रयोग में लाया जायेगा जिससे कि नगर की दीवारें विरूपित न हों।

ह0......महापौर

टिप्पणी : मनोरंजन और अन्य कार्यक्रमों से संबंधित इश्तहार को इश्तहार फलक से भिन्न भवन पर नहीं लगाया जाएगा। ऐसे इश्तहार और पोस्टरों के लिए उत्तरादायी संगठन ऐसे विरूपण और विज्ञापन पट्टिकाओं को न हटाने के लिए उत्तरादायी मानें जायेंगे।

16 **सभी विज्ञापन पट्टिकाओं के लिये सामान्य आवश्यकताएं**

16(1) **भार :** विज्ञापन पट्टिकाएं इस प्रकार निर्मित होंगी कि वे भाग–6 संरचनात्मक अभिकल्प खण्ड–1, राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भार, बल और प्रभाव में दिये गये आँधी, डेड से इंस्मिक और अन्य लोड को सुरक्षित रूप से सहन कर सके।

(2) **प्रदीप्त :** कोई भी विज्ञापन पट्टिका जो विद्युत साधन और विद्युत युक्तियां या वायरिंग से भिन्न हों, राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग–8, भवन सेवाएं खण्ड–2, विद्युत और सम्बद्ध संस्थापना की अपेक्षाओं के अनुसार संस्थापित या प्रकाशित नहीं की जायेगी। किसी भी दशा में कोई खुली चिंगारी या दीप्ति प्रदर्शन के उद्देश्यों के लिए तब तक नही इस्तेमाल की जाएगी, जब तक वह नगर आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित न हो।

(3) **विज्ञापन पट्टिकाओं की डिजाइन और स्थान :–**

(क) किसी भी विज्ञापन पट्टिकाओं से पदयात्रियों के आवागमन, अग्नि से बचाव, निकास या अग्नि शमन प्रयोजनों के साधन के रूप में प्रयुक्त दरवाजे या खिड़की या द्वार में रूकावट नहीं आएगी।

(ख) किसी भी पट्टिका से प्रकाश व संवातन के द्वार में किसी प्रकार या ढंग से रूकावट नही होगी।

(ग) यदि संभव हो, विज्ञापन पट्टिकाओं को एक साथ सम्मिलित रूप में एकल की जानी चाहिए। भू–दृश्य में अव्यवस्थित विज्ञापन पट्टिका से बचना चाहिए।

(घ) अनावश्यक खंभों को कम करने और विज्ञापन पट्टिकाओं को प्रकाशित करने को सुगम बनाने के लिए पट्टिकाएं लाइटिंग फिक्स्चर से युक्त होनी चाहिए।

(ङ) सूचना विज्ञापन पट्टिकाएं स्वाभाविक सभा स्थलों पर लगाई जानी चाहिए और उन्हें दर्शनीय फर्नीचर के अभिकल्प में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(च) जहां विज्ञापन पट्टिकाओं से पैदल आवागमन में बाधा पहुँचे वहां विज्ञापन पट्टिकाओं को लगाये जाने से बचना चाहिए।

(छ) विज्ञापन पट्टिकाएं इस प्रकार लगानी चाहिए जिससे कि सामने से और पीछे से पदयात्रियों का आवागमन संभव हो सके।

(ज) जहाँ तक सम्भव हो दृष्टिहीन और आंशिक रूप से दृष्टिहीनों के लिए पठनीय बनाने के लिए विज्ञापन पट्टिका के किनारे बेल पट्टियां लगाई जानी चाहिए या उभरे हुए अक्षरों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(झ) कोई भी विज्ञापन पट्टिका किसी भी वृक्ष या झण्डी में नहीं लगायी जानी चाहिए।

(4) **दहनशील पदार्थों का प्रयोग –**

(एक) सजावटी विशिष्टता : ढलाई, ढक्कन लगाने, ब्लाक्स, अक्षरों व जाली के लिए जहां अनुमति हो और पूर्णतः सजावटी विशिष्टता वाले विज्ञापन पट्टिकाओं के लिए प्रयोग किये जा सकने वाले लकड़ी के सदृश दहनशील विशेषता वाले लकड़ी या प्लास्टिक या अन्य पदार्थ।

(दो) विज्ञापन पट्टिका का फलक : विज्ञापन पट्टिका का अग्रभाग अनुमोदित दहनशील पदार्थ से बना होना चाहिए, परन्तु प्रत्येक अग्रभाग का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और विद्युत लाइटिंग की वायरिंग धातु की नली में बन्द होनी चाहिए और फलक से 5 सेंटीमीटर से अन्यून के निकास के साथ संस्थापित होनी चाहिए।

(5) **विज्ञापन पट्टिकाओं को हटाये जाने से नुकसान या विरूपण :**

जब भी कोई विज्ञापन पट्टिका हटाई जाय चाहे यह कार्य नगर आयुक्त की नोटिस या उसके आदेश के कारण हो अन्यथा हो, ऐसे भवन या स्थल जिस पर या जिससे ऐसी विज्ञापन पट्टिका प्रदर्शित की गयी थी, में किसी नुकसानी या विरूपण की क्षतिपूर्ति नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप से की जाएगी। यदि विज्ञापन पट्टिका के हटाये जाने के दौरान सड़क की सतह/फुटपाथ/यातायात सिग्नल या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवा को क्षति पहुँचती है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर देनी चाहिए अथवा तत्काल मरम्मत करा देना चाहिए।

(6) **अनुज्ञा–पत्र के ब्यौरे का प्रदर्शन :**

अनुज्ञा–पत्र का ब्यौरा और अनुज्ञा की समाप्ति का दिनांक प्रत्येक विज्ञापन पट्टिका पर इस प्रकार लगाया जाएगा कि उसे नग्न नेत्रों से देखा व पढ़ा जा सके।

17. **दुकानों पर विज्ञापन –**

किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन नगर आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर और कर के पूर्व भुगतान के बिना दफ्ती लटकाकर, स्टीकर चस्पा करके, पेंटिंग, लेखन द्वारा फ्लेक्स या ग्लोसाइन बोर्ड द्वारा या किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

ह0......महापौर

स्पष्टीकरण –

(एक) यदि सामग्री बेचे जाने वाली दुकानों के नाम, फलक लटकाकर, पेंटिंग द्वारा या किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किए जाए तो उन्हें विज्ञापन नहीं माना जायगा और वे इस नियमावली के अधीन कराधेय नहीं होगा।

(दो) परन्तु यदि कोई विज्ञापन लटकाकर, चिपकाकर अथवा किसी अन्य रीति से इस प्रकार संप्रदर्शित किया जाए कि उसमें विक्रय की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख हो और गुण आदि का विवरण हो तथा वह सामान्य जनता का ध्यान विज्ञापन के रूप से आकर्षित कर रहा हो तो वह इस नियमावली के अधीन कराधेय होगी।

18 मार्गाधिकार (राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग छोड़कर)के भीतर अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन –

सम्बन्धित मार्ग की क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौन्दर्यबोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित विज्ञापन को मार्गाधिकार के भीतर, राष्ट्रीय राज्यमार्ग/राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, अनुज्ञा प्रदान की जायेगी :–

(1) <u>मार्ग प्रकाश के खम्भों पर विज्ञापन</u> –

(एक) **अभिकल्प :** विज्ञापन फलक का आकार चौड़ाई 0.79 मीटर x 1.2 मीटर से अधिक नही रखी जाएगी और विज्ञापन के निचले तल की ऊँचाई 2.5 मीटर से कम नही रखी जाएगी। किसी भी दशा में विज्ञापन फलक वाहन मार्ग में प्रक्षिप्त नहीं होगा।

(2) <u>बस सायबानों पर विज्ञापन :</u>

अभिकल्प : बस सायबानों के विज्ञापन फलक पर क्षेत्र व मार्ग नम्बर को देखने के लिए 1.5 मीटर फलक की लम्बाई को छोड़ते हुए, विज्ञापन की अनुज्ञा प्रदान की जाएगी। बस सायबानों पर विज्ञापन पट्ट की लम्बाई सायबान की कुल लम्बाई से अधिक न होगी तथा अधिकतम ऊँचाई 0.90 मीटर रखी जाएगी। प्रत्येक बस सायबान निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी डिजाइन के अनुसार ही निर्मित कराया जाएगा तथा उस पर नगरीय परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किराया सूची, सिटी बसों का रूट नम्बर एवं उसके निर्धारित मार्ग का विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित विज्ञापनकर्ताओं जिसे बस सायबान पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुज्ञा प्रदान की गई हो, उसे बस सायबान का अनुरक्षण स्वंय के व्यय पर समय–समय पर करानी अनिवार्य होगा।

(3) <u>स्थानों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापन :</u> नियम –13 में विहित यातायात सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों के पहचान को सुगम बनाने के लिए नगर आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण मार्ग जंक्शनों पर 2 मीटर × 0.35 मीटर आकार की पट्टी से युक्त मानक रूप में फलक लगाये जा सकते हैं। विज्ञापनकर्ता को नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार फलक की पट्टियों पर संस्तुत रंग व आकार में नामों, दूरी व दिशा आदि पेन्ट करने की अनुज्ञा होगी।

(4) <u>यातायात रोटरी/सड़क :</u>

नगर आयुक्त यातायात विभाग (राजपत्रित अधिकारी/यातायात प्रभारी) के परामर्श से आवंटन समिति की संस्तुति पर यातायात रोटरी/सड़क/यातायात बूथों के विकास व रख–रखाव की अनुज्ञा दे सकते हैं। यातायात रोटरी/आईलैण्ड/यातायात पुलिस बूथ उसकी कुल चौड़ाई एवं ऊँचाई से अधिक का विज्ञापन प्रदर्शित नही किया जाएगा तथा विज्ञापन की ऊँचाई अधिकतम 0.90 मीटर रखी जाएगी। इसके लिए विज्ञापनकर्ता को नियमावली में विहित दरों पर विज्ञापन कर तथा आवंटन समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रीमियम जमा करना होगा।

(5) <u>मैदानों/पगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियां</u>

नगर आयुक्त अभिकरण को मैदान/पगडंडी के किनारे रक्षक पट्टियों की व्यवस्था करने एवं उनका रख रखाव करने के साथ–साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथाअनुमोदित पट्टियों पर नाम/उत्पाद का संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। अभिकरण रक्षक पट्टी के अभिकल्प के लिए नगर आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने और नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप में समय–समय पर रक्षक पट्टी/विभाजक का रख–रखाव करने और मुख्यतः पेन्ट करने के लिए आबद्धकर होगा। इस पर लगने वाले विज्ञापन पट का अधिकतम आकार 0.45 मीटर x 0.75मीटर होगा तथा सड़क से न्यूनतम ऊँचाई 2.5 मीटर होगी।

(6) **<u>वृक्ष रक्षक (ट्री गार्ड) :</u>** नगर आयुक्त किसी चयनित अभिकरण को पौधों के चारों तरफ अनुमोदित अभिकल्प के वृक्ष रक्षक की व्यवस्था एवं रख–रखाव करने के साथ–साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित वृक्ष रक्षकों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा दे सकते हैं परन्तु 0.60 मीटर से कम चौड़े डिवाईडरो पर ट्री गार्ड लगाये जाने की अनुमति नही होगी।

ह0......महापौर

(7) **पुष्प पात्र स्टैण्डस :** नगर आयुक्त किसी अभिकरण को सड़क विभाजक पर अनुमोदित अभिकल्प के पुष्प पात्र स्टैण्ड की व्यवस्था एवं रख–रखाव करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। दो पुष्प पात्र स्टैण्डों के मध्य कम से कम 05 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अधिकतम 0.45 मीटर × 0.75 मीटर माप के विज्ञापन पट्‌टी अपने दो ओर संप्रदर्शित किये जा सकते हैं, परन्तु सड़क सतह के ऊपर विज्ञापन पट्‌टी के निचले भाग का उर्ध्व निकास 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

परन्तु यह कि विज्ञापन पट्‌टी की चौड़ाई दोनों ओर के विभाजकों की चौड़ाई से 0.25 मीटर कम होगी और पुष्प पात्र को उसके संरेखण (विभाजक के दिशा के समानान्तर) में रखा जायगा।

19– छूट (1) इस नियमावली की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्‌टों पर लागू नहीं होगीः–

(एक) यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो।

(दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।

(तीन) किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट, सिग्नल्स, यातायात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिसें, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट, परन्तु उनकी माप 0.6 मीटर × 0.6 मीटर से अधिक न हो।

(पाँच) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाय किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।

(छः) यदि किसी ऐसी भूमि या भवन जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय या बैठक या मनोरंजन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार, आमनीबस या अन्य वाहन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से संबंधित हो, परन्तु यह 1.2 वर्गमीटर से अधिक न हो।

(सात) इसके अतिरिक्त नियम 19 के उप नियम (1) से (6) के अर्न्तगत आच्छादित विज्ञापन पट्टों के लिये किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ऐसी छूट से यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि विज्ञापन पट्ट का स्वामी इस नियमावली के अनुपालन में परिनिर्माण या रख–रखाव के उत्तरादायित्व से निर्मुक्त है।

(2) दीवार विज्ञापन पट्ट : नीचे सूचीबद्ध दीवारों के लिए किसी अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होगी :–

(एक) **भण्डारण विज्ञापन पट्ट :** किसी प्रदर्शन खिड़की के ऊपर किसी भण्डारण या कारोबार अधिष्ठान के दरवाजे के ऊपर परिनिर्मित या अप्रकाशित विज्ञापन पट्ट, जो मालिक के नाम और उसमें संचालित कारोबार की प्रकृति को घोषित करते होंः विज्ञापन पट्ट 01 मीटर से ऊँचे और कारोबार अधिष्ठान की चौड़ाई से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(दो) **सरकारी भवन विज्ञापन पट्ट :** किसी नगर पालिका, राज्य या केन्द्रीय सरकार के भवन पर परिनिर्मित ऐसे विज्ञापन पट्ट जो अध्यासन के नाम, प्रकृति या सूचना को घोषित करते हो।

(तीन) **नाम पट्ट :** किसी भवन या संरचना पर परिनिर्मित कोई ऐसा विज्ञापन पट्ट, जो भवन के अध्यासी के नाम को इंगित करता हो और जो क्षेत्रफल में 0.5 वर्ग मीटर से अधिक न हो।

(चार) ऐसे विज्ञापन पट्‌ट तो किसी यात्रा मार्ग, स्टेशन या सार्वजनिक सुविधा से के स्थानो की ओर इंगित करते हो।

(3) अस्थाई विज्ञापन पट्‌ट :

(एक) निर्माण स्थल संकेत : निर्माण संकेत, इंजीनियर एवं वास्तुविद के संकेत और अन्य समान संकेत जो निर्माण अभियान के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किए जाए।

(दो) विशेष संप्रदर्शन संकेत : अवकाशों, सार्वजनिक प्रदर्शन या नागरिक कल्याण की प्रोन्नति या धमार्थ प्रयोजन के लिए प्रयोग किए जााने वाले विशेष सजावटी संप्रदर्शन, जिस पर कोई वाणिज्यिक विज्ञापन न हो, परन्तु यह कि नगर आयुक्त किसी परिणामिक नुकसान के लिए उत्तरदायी नही है। (नियम–15 झ(2) अस्थाई विज्ञापन पट्‌ट के लिए आवश्यकता देखिए)

ह0......महापौर

20 विशेष विज्ञापन

(1) यदि अनुसूची–2 जिसके अन्तर्गत प्रतिषिद्ध क्षेत्र भी है द्वारा कोई विशेष या सार्वजनिक हित का विज्ञापन आच्छादित नहीं है तो नगर आयुक्त उसे ऐसे निर्बन्धन एवं शर्तों पर और ऐसी दर पर, जिसे वह उचित समझे, कर के भुगतान पर परनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने चस्पा करने, लिखने, रेखांकन करने या लटकाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं।

(2) प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा के दिनांक से एक माह तक के लिये विधिमान्य होगी। ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रतर एक माह के लिये बढ़ाया जा सकता है। यदि अनुज्ञा की आवश्यकता किसी अग्रेतर अवधि के लिये हो तो नगर आयुक्त के समक्ष स्वीकृत का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

21. विशेष नियंत्रण क्षेत्र

(1) जब कभी नगर आयुक्त की राय में इस नियमावली में निबन्धनों के अनुसार अन्यथा अनुज्ञान विज्ञापन युक्ति से नियम के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्षति पहुँचने या उसके निरूपित होने की संभावना हो तो वह ऐसे क्षेत्र को विशेष नियन्त्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। पालों और भूमि को भी विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

(2) उप नियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी विज्ञापन का परनिर्माण औ प्रदर्शन निषिद्ध किया जायेगा या किसी प्रकार से सीमित किया जायेगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा आवश्यक समझा जाये। नगर आयुक्त निगम की अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार पत्रों में, ऐसे क्षेत्र को घोषणा करने के सम्बन्ध में अपने आशय को प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति का कोई स्वामी, जो ऐसी घोषणा से व्यथित अनुभव करे ऐसे क्षेत्र की घोषणा के विरूद्ध ऐसे प्रकाशन से एक माह के भीतर नगर आयुक्त को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय निर्णायक होगा।

(3) किसी बरामदा विज्ञापन की शब्दावली विशेष नियन्त्रण के किसी क्षेत्र में नगर आयुक्त द्वारा अनुमत हो, स्वामी या फर्म के नाम तक सीमित होगा जो उस परिसर का अध्यासी हो। भवन या संस्था या फर्म के नाम तक सीमित होगा जो उस परिसर का अध्यासी हो। भवन या संस्था के नाम चलाये जा रहे साधारण व्यवसाय या व्यापार का नाम जैसे कि ज्वैलर्स कैफे, ''डांसिंग' या भवन के प्रवेश की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना हो सकती है या सिनेमा या नाटक कार्यक्रम के सम्बध में या इसी प्रकार की कोई सूचना हो सकती है। किसी भी बरामदे के विज्ञापन में विशेष नियंत्रण के किसी क्षेत्र में व्यापार की किसी विशिष्ट वस्तु का विज्ञापन नहीं होगा और न ही मूल्य या मूल में कमी से सम्बन्धित ऐसा कोई विज्ञापन होगा।

(4) विशेष नियंत्रण के क्षेत्र से तीस मीटर दूरी के भीतर, उप नियम (3) में दिये गये के सिवाय सामान्यतः कोई अन्य विज्ञापन पट्ट नहीं होगा।

22. निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा

निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापनपटों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन लगाना, चिपकाना लेखन, आरेक्षण या लटकाने के लिये निषिद्ध घोषित करेगा।

23. झण्डियों पर रोक

(1) कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी/बैनरों का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन या लटकाने का कार्य नहीं करेगा।

(2) कोई भी अनुज्ञा नियम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस नियमावली के अधीन प्रदान नहीं की जायेगी।

(3) इस नियमावली के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई कोई भी व्यक्ति ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो नगर आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाये और वह प्रति झण्डी/बैनर दो सौ रूपये से कम नहीं होगी।

(4) नगर आयुक्त इस नियम में निर्दिष्ट झण्डी/बैनर को हटा सकता है और उसे समयहृत या विनष्ट कर सकता है।

ह0......महापौर

24 **अनुरक्षण और निरीक्षण**

(1) अनुरक्षण : सभी विज्ञापन जिनके लिये अनुज्ञा अपेक्षित है अविलम्बो, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जो कि ढांचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं होंगे तो उन पर मोर्चा लगने से रोकने के लिये रंग–रोगन समय–समय पर किया जायेगा।

(2) सुव्यवस्था : प्रत्येक विज्ञापन के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन द्वारा छेके गये परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(3) निरीक्षण : प्रत्येक विज्ञापन, जिसके लिए परमिट जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान विज्ञापन जिसके लिये कोई परमिट अपेक्षित हो, का निरीक्षण प्रत्येक पंचांग वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा।

25. **प्रवेश और निरीक्षण की शक्तिः**

नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा अधिकृत कोई निगम अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या जॉच करने के प्रयोजन के लिये या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिये जो इस नियमावली द्वारा या तद्धीन प्राधिकृत के या जो किसी प्रयोजन के लिये आवश्यक हो या इस नियमावली के किसी उपबंध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है, परन्तु–

(एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय और अध्यासी को युक्तियुक्त नोटिस दिये बिना या यदि भूमि या भवनों के स्वामी हेतु कोई अध्यासी न हो तो इस प्रकार प्रवेश नहीं की जायेगी।

(दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो, को हट सकने के लिये पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

(तीन) जहॉ तक ऐसे प्रयोजन की अत्यावश्यकताओं के अनुरूप हो, जिसके लिये प्रवेश किया गया है। प्रविष्ट की गयी भूमि या भवन के अध्यासियों के सामाजिक और धार्मिक उपयोगिताओं की ओर सम्यक,ध्यान दिया जायेगा।

26– **कर भुगतान की रीति**

(1) अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक कर एकल किश्त में अथवा दो समान किश्तों में संदेय होगा। बिना देय धनराशि जमा किये एवं बिना अनुज्ञा प्राप्त किये कोई विज्ञापन पट या विज्ञापन परिनिर्मित/संप्रदर्शित नही किया जायेगा। प्रथम किश्त वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने अथवा स्वीकृत के समय जो पूर्वतर हो, तथा दूसरी किश्त 30 सितम्बर के पूर्व देय होगी।

(2) यदि कोई विज्ञापन छः माह से कम अवधि हेतु प्रदर्शित किया जाता हैं तो विज्ञापन कर अनुसूची–2 में अंकित दरों की 50 प्रतिशत धनराशि के बराबर देय होगा।

(3) किसी विशेष प्रयोजन हेतु यदि किसी विज्ञापन को तीन माह अथवा उससे कम अवधि हेतु प्रदर्शित करता हैं तो कर की दरें अनुसूची–2 में अंकित दरो पर मासिक आधार पर एक किस्त में देय होगी।

27– **क्षेत्रों का वर्गीकरण**

विज्ञापनों पर कर के प्रयोजनार्थ प्रतिषिद्ध क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों के वर्गीकरण का विनिश्चय नगर आयुक्त द्वारा निम्नलिखित वर्गो में किया जाएगा–

(एक) निषिद्ध श्रेणी क्षेत्र

(दो) प्रवर श्रेणी क्षेत्र

(तीन) ''अ'' श्रेणी क्षेत्र

(चार) ''ब'' श्रेणी क्षेत्र

(पाँच) ''स'' श्रेणी क्षेत्र

(छः) ''द'' श्रेणी क्षेत्र

ह0......महापौर

(एक) **<u>सर्वोचित वर्ग :–</u>** 1. मरे कम्पनी ब्रिज से परेड चौराहे तक, 2. मेघदूत तिराहे से स्टॉक एक्सचेन्ज क्रासिंग तक, 3. आदर्श व्यायामशाला से कचहरी होते हुये लाल इमली क्रासिंग तक 4. उपरोक्त क्षेत्र के आन्तरिक मार्गों पर।

(दो) **<u>'अ' वर्ग :–</u>** 1. परेड क्रासिंग के बाद से चुन्नीगंज होते हुये बकरमण्डी ढाल तक (लाल इमली चौराहे के आस–पास छोड़कर), 2. स्टॉक एक्सचेन्ज क्रासिंग के बाद से वी0आई0पी0 रोड होते हुये रावतपुर तिराहे तक, 3. घन्टाघर चौराहे से हालसी रोड होते हुये परेड चौराहे के पहले तक, 4. बिरहाना रोड, मेस्टन रोड तथा लाटूश रोड।

(तीन) **<u>'ब' वर्ग :–</u>** 1. बकरमण्डी चौराहे से मेडिकल कालेज चौराहा होते हुए रावतपुर तक, 2. तिलकनगर, स्वरुपनगर व आर्यनगर क्षेत्र, 3. घन्टाघर चौराहे से किदवईनगर बाईपास तक, 4. किदवईनगर से बारादेवी रोड गोबिन्दनगर, चावला मार्कट क्रासिंग तक, 5. जरीब चौकी से विजयनगर क्रासिंग तक कालपी रोड, 6. विजयनगर से डबल पुलिया होते हुये रावतपुर क्रासिंग तक, 7. आई हास्पीटल सर्वोदयनगर से गोबिन्दपुरी पुल होते हुये बर्रा बाईपास क्रासिंग तक, 8. विजयनगर से सी0टी0आई0 नहर तक, 9. सी0टी0आई0 से चावला मार्कट तथा सम्पूर्ण गोविन्दनगर क्षेत्र, 10 गंगापुल जाजमऊ से रामादेवी होते हुए जी0टी0 रोड टाटमिल क्रासिंग होते हुए मेडिकल कालेज चौराहे तक, 11. लाल बंगला सम्पूर्ण क्षेत्र, तथा जाजमऊ सम्पूर्ण क्षेत्र 12. बजरिया, पी0रोड व 80 फिट रोड से कबाड़ी मार्केट तक।

(चार) **<u>'स' वर्ग :–</u>** 1. घन्टाघर से डिप्टी पड़ाव होते हुये जरीब चौकी क्रासिंग तक, 2. डिप्टी पड़ाव चौराहे से अफीम कोठी हमीरपुर रोड होते हुये नौबस्ता क्रासिंग, 3. विजयनगर क्रासिंग से पनकी बाईपास तक 4. रावतपुर चौराहे से जी0टी0रोड के माध्यम से गुरुदेव टाकीज क्रासिंग तक 5. हर्षनगर पेट्रोल पम्प से कोका कोला क्रासिंग होते हुये विजयनगर तिराहे तक।

(पाँच) **<u>'द' वर्ग :–</u>** ऐसे क्षेत्र जो ऊपर उल्लिखित नहीं हैं (प्रतिबन्धित क्षेत्रों को छोड़कर)

28– <u>हटाये जाने की लागत</u>

नियम–12 के उपनियम–(1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट को हटाने या साफ किये जाने की लागत निम्नवत होगी–

(क)	6.1 मी0 X 3.05मी0 या उससे कम किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट को हटाने की लागत	रु0 5000/–
(ख)	ऊपर खण्ड (क) में निर्दिष्ट विज्ञापनों या विज्ञापन पटों से भिन्न किसी विज्ञापन एवं विज्ञापन पट को हटाने की लागत	रु0 8000/–
(ग)	किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट को साफ करने की लागत	रु0 2000/–
(घ)	निजी भवन पर (छत के ऊपर) किसी विज्ञापन को हटाने की लागत	रु0 10000/–

29– **<u>अपराधों के लिए दण्ड और उनका प्रशमन</u>**

(1) इस नियमावली के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में, प्रथम उल्लंघन की दोष सिद्धि के पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा, ऐसे जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) उपनियम(1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिए निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

(3) यदि विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा बार–बार नियमावली में दी गयी व्यवस्था के विपरीत कार्य किया जाता है तो उसका पंजीकरण निरस्त करते हुये उसे काली सूची में डाल दिया जायेगा तथा जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

<u>आवश्यकता पड़ने पर नियमावलील में संशोधन–</u> नियमावली में अन्य बातो के होते हुए भी यदि भविष्य में किसी नियम अथवा उसके किसी अंश में अथवा विज्ञापन कर की दरो संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो कार्यकारिणीसमिति/नगर निगम सदन उक्त नियमावली में संशोधन करने के लिये अधिकृत होगी/होगा।

ह0......महापौर

प्रपत्र सं० ....
मूल्य रु० 500/–

अनुसूची – 1

(नियम 6(1) देखें)

विज्ञापन चिन्ह स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन–पत्र

पासपोर्ट आकार का चित्र

1. आवेदक/विज्ञापनकर्ता का नाम ....
2. अभिकरण, प्रतिष्ठान, कम्पनी या संस्था का नाम ....
3. पता ....
4. आवेदित विज्ञापन या विज्ञापन पट का प्रकार ....
5. विज्ञापन या विज्ञापन पट का आकार (लम्बाई x चौड़ाई मी0 में) ....
6. स्थल नक्शा सहित स्थल की अवस्थिति ....
7. भूमि, भवन या स्थान के स्वामी या अध्यासी का नाम ....
8. क्या यह सार्वजनिक स्थल है या व्यक्तिगत भूमि या भवन है?...
9. (एक) यदि व्यक्तिगत स्थल या भवन है तो स्वामित्व प्रमाण–पत्र के साथ भू/भवन स्वामी की लिखित अनुमति संलग्न की जाये।
   (दो) भू/भवन स्वामी द्वारा इस आशय का वचन पत्र, कि विज्ञापनकर्ता की चूक की दशा में यह देय कर के भुगतान का दायी होगा, संलगन करें।
   (तीन) नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित संरचना अभियन्ता द्वारा दिया गया भवन के भार वहन क्षमता सम्बन्धी रिपोर्ट
10. (एक) अनूसूची–2 के अनुसार वार्षिक कर..........................
    (दो) किश्त की धनराशि ....
11. देय प्रीमियम/नवीनीकरण शुल्क..
12. कोई अन्य विवरण ....

....

संलग्नक :
दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर
दूरभाष नं०
मोबाइल नं०

<u>विज्ञापन एजेन्सी दाता की घोषणा</u>

मै शपथ पूर्वक घोषणा करता /करती हूँ कि मेरे द्वारा दिये गये सारे विवरण सही है मै नगर निगम कानपुर (समाचार पत्रो में प्रकाशित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापन पर कर का निर्धारण व वसूली) नियमावली 2014 से भली भॉति अवगत हूँ। निगम स्वामित्व के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर विज्ञापन पट लगायें जाने हेतु मेरे द्वारा सम्बन्धित से अनुमति प्राप्त कर ली है। मेरे द्वारा विज्ञापन पट स्थल पर इस प्रकार लगाये जायेगें कि किसी प्रकार से यातायात में कोई बाधा उत्पन्न नही होगी। यदि मेरे द्वारा स्थापित विज्ञापन पट से किसी प्रकार की दुर्घटना होती है,तो उसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।

ह0......महापौर

मेरे द्वारा दी गयी कोई सूचना असत्य पायी जाती है या नियमावली का उल्लंघन किया जाता है तो नगर निगम को यह अधिकार होगा कि वह मुझे विज्ञापन की अनुमति न दे अथवा निरस्त कर दें या नियमानुसार कार्यवाही करें। मै शासन द्वारा जारी विज्ञापन कर/शुल्क के सम्बन्धित नीवनतम अधिनियम/शासनादेश तथा निगम निर्देशो का अनुपालन करने हेतु बाध्य रहूँगा।

घोषणकर्ता का नाम..
हस्ताक्षर..

(निजी भूमि व भवन पर विज्ञापन पट लगाये जाने की दशा में)
भूमि/भवन स्वामी की घोषणा

मै शपथ पूर्वक घोषणा करता /करती हूँ कि मेरी निजी भूमि व भवन पर लगे विज्ञापन पट के सम्बन्ध में किसी व्यतिक्रम की स्थिति में वह विज्ञापनकर्ता हेतु देय कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा। मेरे द्वारा सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी को विज्ञापन पट लगाने की लिखित अनुज्ञा स्वेच्छा से दी गयी है तथा नगर निगम सम्पत्ति कर नियमावली के अर्न्तगत निर्धारित देय सामान्य कर के भुगतान का दायी हूँगा। यदि मेरे भूमि/भवन पर स्थापित विज्ञापन पट से किसी प्रकार की दुर्घटना होती है,तो उसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी। नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विज्ञापन पट हटाने हेतु परिसर में प्रवेश का अधिकार होगा।

घोषणकर्ता का नाम..
हस्ताक्षर..

कानपुर नगर निगम

विज्ञापन एजेन्सियों का पंजियन/ नवीनीकरण हेतु आवेदन

अनुसूची –3

(नियम 5 देखें)

विज्ञापनकर्ताओ का पंजीकरण एवं नवीनीकरण

1 आवेदक का नामः–
2 विज्ञापन एजेन्सी/फर्म का नामः–
3 आवेदित श्रेणी...
4. आवेदक का स्थायी पताः– ....
5. फर्म का पताः– ....
6. मोबाईल /टेलीफोन न0..
7 फर्म का प्रकार(साझेदारी/एकल फर्म) :–

ह0......महापौर

8. अधिकृत हस्ताक्षरी का नाम ....
9. आयकर पैन नम्बर..
10. सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन न0..
11. फर्म के बैक का नाम ....
12. बैक खाता सख्याः–.
13 विगत वर्ष के बकाया की स्थिति
14. पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क का विवरण ....(नकद/डिमान्ड ड्राफ्ट)
15. निर्धारित धरोहर धनराशि एन0एस0सी/राष्ट्रीयकृत बैको की सावधि जमा रसीद (एफ0डी0आर0) के रूप में जमा करना होगा। जो मुख्य वित एवं लेखाधिकारी,कानपर नगर निगम के नाम बन्धक होगी एवं जो रिफन्डवुल होगी का विवरण........................

मै/हम घोषित करता/करते है/हूॅ कि हमारा कोई निकट का सम्बन्धी नगर निगम कानपुर में किसी पद पर कार्यरत नहीं है। कार्य करने की दशा में उनका नाम मय पद तथा विभाग सहित नीचे दे रहा हूॅ/है।निकट सम्बन्धी से तात्पर्य (परिवार की परिभाषा के अर्न्तगत है)।

तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता हूॅ कि उपरोक्त दी गयी समस्त सूचना पूर्ण रूप से सत्य है। कोई सूचना छुपाई नही गयी है। असत्य पाये जाने पर मेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा। मुझे निविदा एवं कार्य नियमावली का पूर्ण ज्ञान है एवं मै नियमावली एवं निविदा शर्तो के अनुसार कार्य करूॅगा। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेरा श्रेणी..........................में पंजीकृत/नवीनकरण करने का कष्ट करें।

(आवेदक के हस्ताक्षर/मोहर)
नाम :–
पता :–
कार्यरत दूरभाष संख्या :–

शर्ते:– (1) पंजीकृत विज्ञापन एजेन्सियॉ अपने से एक श्रेणी निम्न में निविदा/आफर में भाग ले सकेगी परन्तु निम्न श्रेणी के पंजीकृत विज्ञापन एजेन्सियॉ अपने से उच्च्य श्रेणी में निविदा/आफर में भाग नही ले सकेगी।
(2)यदि विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा बार–बार नियमावली में दी गयी व्यवस्था के विपरीत कार्य किया जाता है तो उसका पंजीकरण निरस्त करते हुये उसे काली सूची में डाल दिया जायेगा तथा जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
(3) विगत वित्तीय वर्ष की बकाया की स्थिति में विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण/नवीनीकरण अनुमन्य न होगा।

15. विज्ञापनकर्ताओं को चार वर्गो में वर्गीकरण किया गया है जो निर्धारित सीमा के अर्न्तगत ही कार्य करेगे।

श्रेणी	**विज्ञापन क्षेत्र वर्गमीटर में**	पंजीकरण शुल्क	धरोहर धनराशि	नवीनीकरण धनराशि
''अ''	1000 वर्गमीटर से अधिक	रू0 50.000.00 (पचास	2,00,000,00 (दो लाख रूपये)	रू030,000

ह0......महापौर

		हजार)		(तीसहजाररूपये),
''ब''	600 वर्गमीटर तक	रू0 30.000.00 (तीस हजार)	1,50,000,00 (एक लाख पचास हजार रूपये)	रु0 20,000 (बीसहजाररूपये),
''स''	400 वर्गमीटर तक	रू0 20.000.00 (बीस हजार	1,00,000,00 (एक लाख रूपये)	रु0 10,000/– (दस हजार)
''द''	100 वर्गमीटर तक	रू0 15.000.00 (पन्द्रह हजार)	75,000,00 (पछत्तरहजार रूपये)	रू0 5000/– (पॉच हजार)

अनुसूची–2

(नियम 26 देखें)

विज्ञापन और विज्ञापन पट पर कर की दरें

1. निगम द्वारा स्वामित्वाधीन .... भूमि, दीवाल और भवन, सार्वजनिक स्थ्लों और सड़कों पर विज्ञापन या विज्ञापन पट के निर्माण और प्रदर्शन के लिए –

प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष प्रवर श्रेणीः		रू0 2000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''अ'' श्रेणी	:	रू0 1500/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''ब'' श्रेणी	:	रू0 1200/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''स'' श्रेणी	:	रू0 1000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''द'' श्रेणी	:	रु0 800/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

2. इलेक्ट्रानिक/एल0ई0डी0 अथवा अन्य डिजीटल माध्यम से प्रकाशित/संचालित विज्ञापनपटों हेतु (1) में निर्दिष्ट दरों पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त दरें देय होंगी।

2. (1) निजी भूमि/भवनों पर प्रदर्शित विज्ञापनों हेतु उपरोक्त (1) व (2) की 75 प्रतिशत धनराशि देय होगी।

3. ऐसे विज्ञापन या विज्ञापन पट जो विद्युत प्रकाश युक्ति (बैक लिट/फ्रन्ट लिट) द्वारा प्रतिबिम्बित हो तो मद (1) में विनिर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरें देय होगीं।

3. (1) शक्ति चालित चार पहिया वाहन पर विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)

हल्का वाहन	:	रू0 500/– प्रतिमाह प्रति वाहन या 5000 रूपया प्रतिवर्ष प्रति वाहन
भारी वाहन	:	रू0 2000/– प्रतिमाह प्रति वाहन या 20000 रूपया प्रतिवर्ष प्रति वाहन

(2) सड़क प्रदर्शन निम्नलिखित दर पर –

(एक) तीन पहिया	:	रू0 100/– प्रति दिन
(दो) चार पहिया	:	रू0 500/– प्रति दिन
(तीन) छः पहिया	:	रू0 1000/– प्रति दिन

4. यूनीपोल (एक स्तम्भ)

1. प्रवर श्रेणी	:	रु0 3000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
2. ''अ'' श्रेणी	:	रु0 2500/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
3. ''ब'' श्रेणी	:	रु0 2000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

ह0......महापौर

4. ''स'' श्रेणी : रू0 1500/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
5. ''द'' श्रेणी : रू0 1200/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

.5.विद्युत तथा अन्य खम्बों पर विज्ञापन पट –

प्रवर श्रेणी : रू0 2500/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''अ'' श्रेणी : रू0 2000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''ब'' श्रेणी : रू0 1500/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''स'' श्रेणी : रू0 1200/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''द'' श्रेणी : रू0 1000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

6. पोस्टर रू0 300/– प्रति सैकड़ा
7. परचा रू0 600/– प्रति हजार
8. पताका (बैनर) रू0 100/– प्रति बैनर
9. गुब्बारे रू0 500/– प्रति गुब्बारा प्रति दिन
10. छतरी (कैनोपी) रू0 500/– प्रति छतरी (कैनोपी) प्रतिदिन
11. ट्री गार्ड मद(1) के अनुसार
12. जन सुविधा स्थान पर विज्ञापन मद(1) के अनुसार

13.पुलिस बूथ/ट्रैफिक आइलैण्ड/कैन्टीलीवर पोल (ट्रैफिक सिग्नल)

1. प्रवर श्रेणी : रू0 4500/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
2. ''अ'' श्रेणी : रू0 3500/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
3. ''ब'' श्रेणी : रू0 2500/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
4. ''स'' श्रेणी : रू0 1500/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
5. ''द'' श्रेणी : रू0 1000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

14. बस सायबान(बस शेल्टर)

1. प्रवर श्रेणी : रू0 4000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
2. ''अ'' श्रेणी : रू0 3000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
3. ''ब'' श्रेणी : रू0 2500/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
4. ''स'' श्रेणी : रू0 2000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
5. ''द'' श्रेणी : रू0 1000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

15. गैन्ट्री/कैन्टीलीवर पोल

01. प्रवर श्रेणी : रू0 3500/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
02. ''अ'' श्रेणी : रू0 3000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
03. 'ब'' श्रेणी : रू0 2500/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

ह0......महापौर

04. ''स'' श्रेणी : रु0 2000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
05. ''द'' श्रेणी : रु0 1000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

16. आटो रिक्शा थ्री व्हीलर : रू0 1000/– प्रतिवर्ष प्रति आटो
17. बसो पर : रु0 2000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
18. दीवारो पर वॉल राइटिंग – विज्ञापन कर की दर मद संख्या 1 के अनुसार
19. रेलवे की जमीन पर लगने वाली होर्डिंग जिस का भाग सड़क सम्मुख होने की दशा मे अनुसूची–2 में अंकित विज्ञापन की दरों के क्रमांक 1 के अनुसार देय होगा।
20. उत्सव, मेला, प्रदर्शनी, सर्कस तथा इस प्रकार जनता को आकर्षित करने वाले प्रदर्शन पर न्यूनतम 03 माह का विज्ञापन कर मद सं0–1 के अनुसार लिया जायेगा।
(क)रेडियो चैनल से उद्घोषणा द्वारा विज्ञापन दर – रु0 1.00 प्रति सेकेण्ड
21. ध्वनि विस्तारक यंत्र रु0 100/– प्रति बाक्स/स्पीकर प्रतिदिन
22. जिन मदों का उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, उनका विज्ञापन कर मद–1 के अनुसार देय होगा।
23. निजी भूमि / भवन पर स्ट्रैक्चर लगाने से पूर्व भवन की मजबूती , स्ट्रैक्चरल इंजीनियर से भवन की गुणवत्ता सुदृढीकरण का प्रमाण पत्र सम्बन्धित को प्रस्तुत करना होगा।
24. इस अनुसूची के निर्दिष्ट कर की दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें यह नियमावली प्रवृत्त हुई हो, के दो वित्तीय वर्षों की समाप्ति के बाद 10 प्रतिशत तक बढ़ी हुई समझी जायेंगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगी।
25. कर अग्रिम रूप से संदेय योग्य होगा।

स्पष्टीकरण :

01. यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 3 माह से अधिक अवधि के लिए प्रदर्शित करना चाहता है तो नगर आयुक्त निर्देश दे सकते है कि कर मासिक आधार पर आगणित होगा सम्पूर्ण धनराशि एक बार में जमा करायी जाएगी।
02. कर के सभी अवशेष अधिनियम के अध्याय इक्कीस के अनुसार वसूली योग्य होंगे।
03. इसके अतिरिक्त भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित देय कर भी विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा देय होगे।

नगर आयुक्त ने कहा कि विज्ञापन की दरों के सम्बन्ध में 27 आपत्तियाँ प्राप्त हुयी थी, जिनके अनुसार उपरोक्त विज्ञापन नियमावली संशोधित कर प्रस्तुत की जा रही है, इससे नगर निगम के राजस्व में वृद्धि होगी। पूर्व की दरों में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में नगर निगम द्वारा किसी एजेन्सी को बिल नही दिया गया है। यूनीपोल लगाये जाने हेतु जो रू0 3000/– प्रति वर्गमीटर की दर प्रस्तावित की गई है, उसके सम्बन्ध में जानना चाहता हूँ कि विज्ञापनदाता एजेन्सियाँ रू0 15000/– से 20000/– प्रतिवर्गमीटर के हिसाब से कमाती है और यह भी नियमावली में कहा गया है कि 10 प्रतिशत मुनाफा एजेन्सियों को होता है, तो इसके बीच के अन्तर के विषय में अवगत कराया जाये। गैन्ट्री से आज तक नगर निगम द्वारा कोई शुल्क नही वसूला गया है। इसके सम्बन्ध में भी नीति निर्धारित की जाये।

श्री आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि कानपुर नगर में अवैध होर्डिंग्स बहुत लगी है, उनका निरीक्षण करवा कर तद्नुसार वैद्यता प्रदान करते हुये वसूली की जाये।

नगर आयुक्त ने समिति को अवगत कराया कि माह जुलाई से पूर्व विज्ञापनदाता एजेन्सियों का नवीनीकरण हो चुका था तद्नुसार नगर निगम द्वारा वसूली की जा रही है। फिर भी 05 टीमें लगाकर परीक्षण कर रहा हूँ।

ह0......महापौर

अपर नगर आयुक्त ने कहा कि यदि सदस्यों को लग रहा है कि दरें कम है तो बढ़ाकर प्रस्ताव को स्वीकृत प्रदान कर दी जाये। विज्ञापन नियमावली में लखनऊ नगर निगम के समान दरें रखने का प्रयास किया गया है।

सभापति ने पूँछा कि किस आधार पर लखनऊ नगर निगम से तुलना करते हुये कानपुर नगर निगम की नियमावली बनाई जा रही है। 13 वर्षो बाद 50 प्रतिशत की वृद्धि न्यायोचित नही है, जबकि अन्य शुल्कों की वृद्धि अधिक मात्रा में हो चुकी है।

.... विज्ञापन नियमावली की दरों के निर्धारण हेतु अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यी समिति गठित की जाती है, जिससे नगर निगम की आय पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ें। समिति में श्री हाजी सुहेल अहमद, श्री आदर्श दीक्षित एवं श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी सदस्य होंगे। समिति विज्ञापन पटों की संख्या एवं क्षेत्र तथा पारदर्शिता के दृष्टिगत विज्ञापन की दरें निर्धारित करते हुये अपनी आख्या के साथ अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत करेगी।

<u>प्रस्ताव संख्या–771</u>

नगर आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या 1265/3/प दिंनाक 23.02.2015 को अधिनियम की धारा 148 एवं 221 के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रेषित

<u>प्रस्ताव</u>

नगर निगम सीमान्तर्गत भवन एवं सम्पत्तियों पर आरोपित एवं देय सामान्य कर (गृहकर) की दरें विगत वर्षो की भॉति वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु निम्न प्रकार से प्रस्तावित हैः–

1. रू0 1,200.00 वार्षिक मूल्य तक की सम्पत्तियों पर गृहकर की दरें वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत
2. रू0 1,201.00 एवं इससे अधिक वार्षिक मूल्य तक की सम्पत्तियों पर गृहकर की दरें वार्षिक मूल्य का 15 प्रतिशत होगा।
3. नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित सम्पत्तियों के ऐसे भवन/अध्यासी जिनके द्वारा प्रति वर्ष नियमित रूप से नगर निगम का गृहकर भुगतान किया जाता है के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुये नगर निगम के वसूली अभियान में गति लाने तथा ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसे करदाता जिन पर सामान्य कर (गृहकर) के मद में दिनांक 31.03.2015 तक कोई अवशेष न हो उनको आगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 की चालू मांग पर अप्रैल 2015 से जून 2015 तक तथा इसके पश्चात् छूट की अवधि एक–एक माह, जो अधिकतम 30,नवम्बर 2015 तक होगी, का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–772</u>

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी./172/नगर आयुक्त/प्रोजेक्ट सेल/2014–15 दिनांक 30.12.2014 के क्रम में मा. कार्यकारिणी समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

:–प्रस्ताव –

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर नगर की सीवरेज योजना डिस्ट्रिक्ट –IV & Part-III शासनादेश संख्याः 6807/नौ–5–2014–60सा /2011 नगर विकास अनुभाग–5, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 के अनुसार कानपुर नगर की स्वीकृति सीवरेज योजना डिस्ट्रिक्ट –IV & Part-III (मूल परियोजना लागत रू. 20736.00 लाख को पुनरीक्षित करते हुए लागत रू. 25177.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसके अनुसार

ह0......महापौर

बढ़ी हुई लागत रू. 4441.00 लाख में से राज्य सरकार द्वारा 70 प्रतिशत रू.3108.87 लाख तथा निकाय को 30 प्रतिशत रू. 1332.30 लाख वहन किया जाना है। जिसे नगर निगम द्वारा अपने स्रोतो से वहन किया जाना सम्भव नहीं है। जनहित में शहर के सीवरेज कार्य सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार के **नया सवेरा विकास** योजनान्तर्गत रिवालिवंग फण्ड से व्याज रहित ऋण के रूप में प्राप्त किये जाने हेतु मा. कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन के विचारार्थ/ स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

.... स्वीकृति हेतु सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–773

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी./185/न.आ./प्रोजेक्ट –सेल/14–15 दिनांक 20.01.2014 के क्रम में मा. कार्यकारिणी समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

:–प्रस्ताव –:

कानपुर नगर स्थित जाजमऊ में 36 एम.एल.डी. सी.ई.टी.पी. के संचालन एवं रखरखाव पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत नगर निगम द्वारा देय धनराशि के सम्बन्ध में मा. उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेशों के अनुक्रम में टेनरी वेस्ट हेतु स्थापित प्लान्ट के संचालन एवं रखरखाव हेतु महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ.प्र. जल निगम, कानपुर के पत्र संख्याः 3564/एसी–1/228 दिनांक 01.12.2014 के क्रम में जनहित एवं आवश्यकता की दृष्टि से नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 30.12.2014 को उक्त कार्य हेतु रूपया 50,00,000.00 की धनराशि महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ.प्र. जल निगम कानपुर को अवमुक्त/भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी, जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

.... स्वीकृति हेतु सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–774

नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी/ 205/ न.आ./प्रोजेक्ट–सेल /14–15 दिनांक 18.02.2015 के क्रम में मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव सूचनार्थ प्रेषित।

:– प्रस्ताव –:

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर नगर की सीवरेज योजना पार्ट–1 (इनर ओल्ड एरिया) शासनादेश संख्याः 6364/नौ–56–14–60 सा 2014–60सा /2011 दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के क्रम में कानपुर नगर की पूर्व स्वीकृत सीवरेज योजना पार्ट–1 (मूल परियोजना लागत रू. 19088.22 लाख) को पुनरीक्षित करते हुए लागत रू. 24830.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसके अनुसार बढ़ी हुई लागत रू. 5741.78 लाख, जिसमें रू. 2754. 00 लाख सेन्टेज चार्ज भी सम्मिलित है, को राज्य सरकार द्वारा 70 प्रतिशत रू. 4019.25 लाख तथा निकाय को 30 प्रतिशत रू. 1722.53 लाख वहन किया जाना सम्भव नही है। जनहित में शहर के सीवरेज कार्य के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार के नया सवेरा योजनान्तर्गत रिवाल्विंग फण्ड से ब्याज रहित ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

अतः उपरोक्तानुसार निकायांश के रूप में प्राप्त की जाने वाली धनराशि रू. 1722.53 लाख रिवाल्विंग फण्ड से ब्याज रहित के रूप में नया सवेरा विकास योजनान्तर्गत से प्राप्त किये जाने हेतु मा. कार्यकारिणी समिति के माध्यम से मा. सदन के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

.... स्वीकृति हेतु सदन को अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–775

नगर आयुक्त महोदय द्वारा अभियंत्रण खण्ड–1 के अन्तर्गत निम्नाकिंत कार्य की स्वीकृतोपरान्त नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत

ह0......महापौर

मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

:–प्रस्ताव –:

विषयः–जोन–1 वार्ड 40 के अन्तर्गत भाटम बगिया हाता 90/90, 79/30 और 79/32 में गली का सुधार कार्य।

उपरोक्त कार्य की स्वीकृति सक्षम स्तर से दिनांक 16.09.14 को धनांक रू0 18,28,216/– की प्राप्त हो चुकी है, जिसके क्रम में कार्य की निविदायें दिनांक 09.12.14 को आमंत्रित की गई थी। उपरोक्त कार्य की पूर्व में दिनांक 24.11.14 को निविदा आमंत्रित की गई जिसमे प्रगथम बार दो निविदायें प्राप्त हुई, पुनः दिनांक 09.12.14 को दरूसरी बार निविदायें आमत्रित की गई जिसमें तीन निविदा प्राप्त हुई प्राप्त वैद्य निविदा में से सर्वन्यून निविदादाता मै0 देवा ट्रेडर्स की निविदा आगणन से 0.25प्रतिशत निम्न पर धनांक रू0 118,23,646.00 की प्राप्त हुई है। दरें उचित एवं कार्यहित में स्वीकृत योग्य है।

अतः न्यूनतम निविदादाता मै देवा ट्रेडर्स की निविदा आगणन से 0.25 प्रतिशत निम्न पर धनांक रू0 18,23,646.00 की स्वीकृति योग्य है। कार्य की स्वीकृति हेतु मा0 कार्यकतारिणी समिति के समक्ष नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत निविदा स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

.... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>प्रस्ताव संख्या–776</u>

नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी./657ए/अ0अ0–6 दिनांक 09.01.15 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5) के अर्न्तगत मा. कार्यकारिणी समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

:–प्रस्ताव –:

जोन–6 वार्ड 63 के अन्तर्गत गीता नगर में राधेश्याम के मकान से तारा चन्द्र श्रीवास्तव के मकान तक सड़क व नाली का सुधार कार्य हेतु निविदा धनांक रूपया 15,59,462.00 का आया है जिसे बजट हेड राज्य वित्त आयोग से कराया जाना प्रस्तावित है। जनहित में कार्य कराया जाना आवश्यक है।

अतएव उक्त निविदा धनांक रूपया 15,59,462.00 के व्यय की स्वीकृति मा0 कार्यकारिणी समिति के माध्यम से नगर निगम सदन से अपेक्षित है।

.... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित––(जोन–2)

प्र0 सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/फर्म का नाम	निर्णय
777	जोन–2 वार्ड 77 के अर्न्तगत श्याम नगर ई ब्लाक श्याम नगर फ्लाई ओवर कर्ल्वट से ई 129 तक प्लान्ट द्वारा रोड सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	1480698.00	1576943.00	आगणन दर से 6.50 % उच्च जस्टीफिकेशन से 0.15% निम्न	मे0 डेल्टा इरेक्सटर्स	स्वीकृत
778	वार्ड 77 श्याम नगर के सी0 ब्लाक में भवन सं0 सी0 448 से भवन सं सी0 512 तक केसी नाली एवं हॉटमिक्स प्लान्ट द्वारा सडक सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	2991756.00	3018553.00	आगणन दर से 9.00 % उच्च जस्टीफिकेशन से 0.08% निम्न	मे0 जगदम्बा इं0 प्रा0	स्वीकृति हेतु सदन को अग्रसारित
779	जोन–2 वार्ड 77 श्याम नगर ई ब्लाक में एच0 आई0 जी0 49 से एच0आई0जी0 99 तक एवं एच0आई0जी0 46 से ई–66 तक केसी नाली एवं इंटरलॉकिग द्वारा सडक सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	2027892.00	2109012.00	आगणन दर से 4.00 % उच्च जस्टीफिकेशन से 0.19% निम्न	मे0 जगदम्बा इं0 प्रा0	स्वीकृति हेतु सदन को अग्रसारित

ह0......महापौर

780	जोन–2 वार्ड 77 श्याम नगर में फेरीनीति के अर्न्तगत बनाये गये चबूतरों के आवागमन हेतु इंटरलॉकिग द्वारा पाथ–वे का निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1413805.00	1208662.00	आगणन दर से 14.51 % निम्न	में0 अन्नपूर्णा कान्सं0 कं0	स्वीकृत
781	वार्ड 53 दहेली सुजानपुर मकान नं0 डी/139 से 18 मी0 मोड होते हुये डी/165 तक केसी नाली एवं हॉटमिक्स प्लान्ट द्वारा सडक सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	2583423.00	2651253.00	आगणन दर से 9.00 % उच्च जस्टीफिकेशन से 0.32% निम्न	में0 जगदम्बा इ0 प्रा0	स्वीकृति हेतु सदन को अग्रसारित
782	वार्ड 29 सफीपुर के अर्न्तगत धाउखेडा बस्ती में राजवीर के मकान से राधे चौरसिया व राजेन्द्र पाल एंव शिव प्रकाश सविता के मकान तक नाली एंव इंटरलॉकिग का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1450912.00	1268097.00	आगणन दर से 12.60 % निम्न	मे0 क्षत्रिय कान्सं0 कं0	स्वीकृत
783	वार्ड 86 जाजमऊ उत्तरी के अर्न्तगत 88/74 हिन्दुस्तान कम्पाउड में एक्मे टेनरी से श्री साबिर हुसैन के मकान नं0 67 होते हुये अषफाक के मकान/मोहमदिया मस्जिद तक नाली एवं सडक निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1882280.00	1844635.00	आगणन दर से 2.00 % निम्न	मे0 एच0आर0टेड्र्स	स्वीकृत
784	वार्ड 95 के अर्न्तगत सुजातगंज सीओडी रोड पर षहषाह फर्नीचर से केषा हाउस तक फुटपाथ का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	2974889.00	2588154.00	आगणन दर से 13.00 % निम्न	मे0 बजरंग इ0 प्रा0	स्वीकृति हेतु सदन को अग्रसारित
785	जोन–2 वार्ड 70 के अर्न्तगत वाजिदपुर में सिद्धादेवी मंदिर रोड पर नदीम टेनरी से वाजिदपुर पुलिया तक रोड का निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग	2404464.00	2404646.00	आगणन दर से 0.01 % निम्न	मे0 अमिताभ उपक्रम	स्वीकृति हेतु सदन को अग्रसारित
786	वार्ड 53 दहेली सुजानपुर मे ई–413 से ई–408 तक ई–38 से ई–395 तक एवं ई–2/250 से भवन सं0 1061 के सामने तक केसी नाली एवं इंटरलॉकिग का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	2608589.00	2217561.00	आगणन दर से 14.99 % निम्न	मे0 अन्नपूर्णा कान्स0कं0	स्वीकृति हेतु सदन को अग्रसारित
787	वार्ड 28 के अर्न्तगत राजकुमार प्रजापति के मकान सं भवन सं0 2/1 डी से नेताजी नगर में इंटरलॉकिग लगाने का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1638647.00	1409072.00	आगणन दर से 14.00 % निम्न	मे0 राधे–राधे कान्स0	स्वीकृत
788	जोन–2 वार्ड 77 श्याम नगर के अर्न्तगत बी0 ब्लाक में भवन सं0 बी0 68 से बी0 137 तक के0 सी0 नाली का निर्माण एवं हॉटमिक्स प्लान्ट द्वारा सडक सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	2086911.00	2082192.00	आगणन दर से 5.00 % उच्च जस्टीफिकेशन से 0.39% निम्न	मे0 जगदम्बा इ0 प्रा0	स्वीकृति हेतु सदन को अग्रसारित
789	वार्ड 77 ई ब्लाक में भवन सं0 एल0 आई0 जी0 415 से विपिन षुक्ला के मकान तक एवं ट्रासफार्मर से मकान नं0 20 तक केसी नाली एवं हॉटमिक्स प्लान्ट द्वारा सडक सुधार का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1801052.00	2027258.00	आगणन दर से 12.00 % उच्च जस्टीफिकेशन से 0.33% निम्न	मे0 जगदम्बा इ0 प्रा0	स्वीकृति हेतु सदन को अग्रसारित
790	वार्ड 77 के अर्न्तगत केडीए मार्केट में मकान नं0 201–128,105–85,62–41 में इंटरलॉकिग लगाने का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1745613.00	1483945.00	आगणन दर से 14.99 % निम्न	मे0 क्षत्रिय कान्स0कं0	स्वीकृत
791	वार्ड 77 के अर्न्तगत म0 नं0 331/332/ई से पी0ए0सी0 दक्षिणी गेट होते हुये चाणक्यपुरी चौराहा तक सडक सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	2725157.00	3018061.00	आगणन दर से 11.00 % उच्च जस्टीफिकेशन से 0.41% निम्न	मे0 जगदम्बा इ0 प्रा0	स्वीकृति हेतु सदन को अग्रसारित
792	वार्ड 53 दहेजी सुजानपुर में नेषनल हाइवे से सिद्धनाथ चौराहे होते हुये एस–223 तक हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सडक का सुधार कार्य	राज्य वित्त आयोग	2966974.00	3061339.00	आगणन दर से 10.00 % उच्च जस्टीफिकेशन से 0.05% निम्न	मे0 जगदम्बा इ0 प्रा0	स्वीकृति हेतु सदन को अग्रसारित
793	वार्ड 53 दहेली सुजानपुर मकान नं0 डी/139 से 18 मी0 मोड होते हुये डी/165 तक केसी	राज्य वित्त	2583423.00	2651253.00	आगणन दर से 9.00 %	मे0 जगदम्बा इ0 प्रा0	स्वीकृति हेतु

	नाली एवं हॉटमिक्स प्लान्ट द्वारा सडक सुधार कार्य।	आयोग			उच्च जस्टीफिकेशन से 0.32% निम्न		सदन को अग्रसारित
794	वार्ड 10 के अर्न्तगत मेन सीवेज कैनाल चैनेज 535 चैनेज 795 मी0 तक हॉटमिक्स प्लान्ट द्वारा सडक सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1404687.00	1481945.00	आगणन दर से 5.50 % उच्च जस्टीफिकेशन से 0.44% निम्न	मे0 अखिलेश एसोसिएट	स्वीकृत
795	जोन–2 वार्ड 77 श्याम नगर मे फ्लाई ओवर के निकट फेरीनिति के अर्न्तगत 85 प्लेटफार्म का निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1402839.00	1374783.00	आगणन दर से 2.00 % निम्न	मे0 मॉ मैहर टेड्रर्स	स्वीकृत
796	जोन–2 वार्ड 70 ताड बगिया मलिन बस्ती में आर एजूकेशन सेन्टर से शीतला प्रसाद त्रिपाठी के मकान एवं चार गलियो का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1314000.00	1288640.00	आगणन दर से 1.93 % निम्न	मे0 अमिताभ उपक्रम	स्वीकृत
797	जोन–2 वार्ड 77 श्याम नगर मे फ्लाई ओवर के निकट फेरीनिति के अर्न्तगत 85 प्लेटफार्म का निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1322212.00	1295768.00	आगणन दर से 2.00 % निम्न	मे0 मॉ मैहर टेड्रर्स	स्वीकृत
798	जोन–2 वार्ड 70 के अर्न्तगत तिवारीपुर जे0के0 कालोनी में 110/3, 114/3, 107/3,106/3,291/6,146/3, 168/2, 165/6 से 163 तक नाली एवं इंटरलॉकिग टाइल्स द्वारा रोड का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1497902.00	1497753.00	आगणन दर से 0.01 % निम्न	मे0 अमिताभ उपक्रम	स्वीकृत
799	जोन–2 वार्ड 28 के अर्न्तगत कृष्णा नगर गेट से कृष्णा नगर चौराहा होते हुये सडक एंव फुटपाथ का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	2968623.00	2735289.00	आगणन दर से 7.86 % ानिम्न	मे0 इण्डिया टेड्रर्स	स्वीकृति हेतु सदन को अग्रसारित
800	जोन–2 वार्ड 19 सनिगवां के अर्न्तगत छतमरा मुख्य मार्ग से टिकरिया गॉव के रोड के किनारे किनारे आर0सी0सी0 नाले का निर्माण कार्य।	नगर निगम निधि	1961398.00	2206576.00	आगणन दर से 12.50 % उच्च	मे0 अन्नपूर्णा कान्स0 कं0	स्वीकृति हेतु सदन को अग्रसारित
801	जोन–2 वार्ड 86 के अर्न्तगत हिन्दुस्तान कम्पाउन्ड जाजमऊ की आतंरिक गलियों का इंटरलॉकिग टाइल्स का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1381401.00	1298517.00	आगणन दर से 6.00 % निम्न	मे0 एच0आर0टेड्रर्स	स्वीकृत
802	जोन–2 वार्ड 70 के अर्न्तगत तिवारीपुर जे0के0 कालोनी में 110/3, 114/3, 107/3,106/3,291/6,146/3, 168/2, 165/6 से 163 तक नाली एवं इंटरलॉकिग टाइल्स द्वारा रोड का सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	1489366.00	1487579.00	आगणन दर से 0.12 % निम्न	मे0 अमिताभ उपक्रम	स्वीकृत
803	वार्ड 28 पी0ए0 मोड ओवर ब्रिज के नीचे अग्रवाल फुटवियर से शिवम वाच हाउस तक फुटपाथ का सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	1287010.00	1106957.00	आगणन दर से 13.99 % निम्न	मे0 राधे–राधे कान्स0 कं0	स्वीकृत
804	जोन–2 वार्ड 66 के अर्न्तगत डिफेन्स कालोनी में डी 160 से टासफार्मर तक केसी नाली एवं इंटरलॉकिग का कार्य।	नगर निगम निधि	1152199.00	1127657.00	आगणन दर से 2.13 % निम्न	मे0 ए0जे0 टेड्रर्स	स्वीकृत
805	जोन–2 वार्ड 66 डिफेन्स कालोनी के अर्न्तगत म0 न0 एल0 आई0 जी0 12 से 71 एंव एल0 आई0जी0 13 से 24 एंव जावेद आलम के मकान से रिजवी के मकान तक नाली एवं इंटरलॉकिग द्वारा सडक सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	1472522.00	1471050.00	आगणन दर से 0.01 % निम्न	मे0 अभय मंगलम कान्स0	स्वीकृत
806	जोन–2 वार्ड 48 के अर्न्तगत वाई ब्लाक किदवई नगर मे मकान नं0 128/605 वाई से 128/610 वाई एंव क्रियाघर के सामने इंटरलाकिग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	1260933.00	1134966.00	आगणन दर से 9.99 % निम्न	मे0 जी0एस0 इं0 प्रा0	स्वीकृत
807	जोन–2 वार्ड 19 के अर्न्तगत टिकरिया छतमरा गॉव में रन्जीत यादव के मकान से अशोक कुमार व अरविन्द कुषवाहा एवं राकेष सिंह के मकान तक इंटरलॉकिग द्वारा सडक एंव नाली का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1321099.00	1219374.00	आगणन दर से 7.7 % निम्न	मे0 अन्नपूर्णा कान्स0 कं0	स्वीकृत
808	जोन–2 वार्ड 19 के अर्न्तगत टिकरिया छतमरा गॉव में अशोक के मकान से ज्ञानसिंह व	राज्य वित्त	1465178.00	1324521.00	आगणन दर से 9.60 %	मे0 लक्ष्मी इं0 प्रा0	स्वीकृत

ह0......महापौर

	लखनपाल तक इंटरलॉकिग द्वारा सडक एंव नाली का सुधार कार्य।	आयोग			निम्न		
809	जोन–2 वार्ड 19 सनिगवां के अर्न्तगत सजारी गॉव में रज्जन पाल के मकान से वंषी लाल व मोती लाल के मकान होते हुये सिद्धनाथ पाल के मकान तक इंटरलॉकिग द्वारा सडक एंव नाली का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1491237.00	1352525.00	आगणन दर से 9.3 % निम्न	मे0 लक्ष्मी इ0 प्रा0	स्वीकृत
810	जोन–2 वार्ड 86 शीतला बाजार रोड से कुबरी शाह मजार के सामने होते हुये पवन टेनरी तक इंटरलॉकिग द्वारा सडक एंव नाली का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1384740.00	1358015.00	आगणन दर से 1.93 % निम्न	मे0 अक्षत एण्ड कं0	स्वीकृत
811	जोन–2 वार्ड 71 गॉधीग्राम के अर्न्तगत सुखघाम गेट से अनिल गुप्ता के मकान तक इंटरलॉकिग द्वारा सडक एंव नाली का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1212862.00	1212740.00	आगणन दर से 0.01 % निम्न	मे0 आर0के0द्विवेदी इं. 0प्रा0	स्वीकृत
812	जोन–2 वार्ड 70 के अर्न्तगत तिवारीपुर की जे0के0कालोनी की विभिन्न गलियों का इंटरलॉकिग द्वारा सडक एंव नाली का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1464583.00	1461653.00	आगणन दर से 0.20 % निम्न	मे0 अमिताभ उपक्रम	स्वीकृत
813	जोन–2 वार्ड 28 के अर्न्तगत नेताजी नगर 11/81 से रामसिंह के मकान तक एंव 11/7 से 11/90 ए तक इंटरलॉकिग द्वारा सडक एंव नाली का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1107889.00	1107779.00	आगणन दर से 0.01 % निम्न	मे0 एवरग्रीन इं0प्रा0	स्वीकृत
814	जोन–2 वार्ड 37 के अर्न्तगत नरायन लॉन से मकान नं0 135 से शिव मंदिर व 118 डी तक प्लान्ट द्वारा सडक एंव नाली का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	2908540.00	3170309.00	आगणन दर से 9.00 % उच्च जस्टीफिकेशन से 0. 46% निम्न	मे0 जगदम्बा इ0 प्रा0	स्वीकृति हेतु सदन को अग्रसारित
815	जोन–2 वार्ड 29 के अर्न्तगत सफीपुर में डॉ राजीव क्लीनिक से हरिकिश्न शुक्ला के मकान होते हुये आर0एन0वर्मा के मकान तक इंटरलॉकिग द्वारा सडक एंव नाली का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1461900.00	1244977.00	आगणन दर से 15.00 % निम्न	मे0 अशोक कुमार परासर	स्वीकृत

<u>माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित –(जोन–2)</u>

प्र0सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/फर्म का नाम	**निर्णय**
816	जोन–2 वार्ड 70 के अर्न्तगत जे0के0 रियान रोड पर कियाघर का सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	720239.00	734644.00	आगणन दर से 2.00 % उच्च जस्टीफिकेशन से 5.91% निम्न	मेसर्स अमिताभ उपक्रम	पढ़ा गया
817	जोन–2 वार्ड 77 ष्याम नगर में सी ब्लाक मे मकान नं0 407 से 419 तक सडक सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	521561.00,	511130.00	आगणन दर से 2.00 % निम्न	मे0 अनन्या कान्टेक्टर एण्ड सप्ला0	पढ़ा गया
818	जोन–2 वार्ड 44 के अर्न्तगत आन्नद नगर में आलोक अवस्थी के मकान से चौधरी एवं आर0एस0यादव के मकान से अशोक शाक्या के मकान तक इंटरलॉकिग एवं नाली का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	572259.00	502157.00	आगणन दर से 12.25 % निम्न	मे0 रमेश चन्द्र	पढ़ा गया
819	जोन–2 वार्ड 30 मलिन बस्ती में आन्तरिक गलियों का इंटरलॉकिग द्वारा सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	811341.00,	689721.00	आगणन दर से 14.99 %निम्न	मे0 वकील अहमद	पढ़ा गया
820	जोन–2 वार्ड 53 के अर्न्तगत डी ब्लाक में म0नं0108 से 111 तक मानस मंदिर अर्पाटमेन्ट से 49 डी तक नाली एंव इंटरलॉकिग का कार्य।	नगर निगम निधि	942849.00,	818013.00	आगणन दर से 13.33 % निम्न	मे0 जयसवाल इ0 प्रा0	पढ़ा गया
821	जोन–2 वार्ड–66 डिफेन्स कालोनी गौशाला में गुरूहराय वाली सडक की पटरियों पर इंटरलॉकिग का कार्य।	नगर निगम निधि	664332.00,	611185.00	आगणन दर से 8.00 %fनम्न	मे0 अली कान्स0 कं0	पढ़ा गया
822	जोन–2 वार्ड 28 के अर्न्तगत जोनल कार्यालय की मरम्मत कार्य ।	नगर निगम निधि	699749.00	608852.00	आगणन दर से 12.99 % निम्न	मे0 युवराज कान्स0कं0	पढ़ा गया

ह0......महापौर

823	जोन–2 वार्ड 66 डिफेन्स कालोनी के अन्तर्गत 395 से 383 तक इंटरलॉकिग द्वारा सडक की साइड पटरी का कार्य।	राज्य वित्त आयेाग	974580.00	899733.00	आगणन दर से 7.68 % निम्न	में0 रामेश्वर टेड्रर्स	पढ़ा गया
824	जोन–2 वार्ड 30 के अन्तर्गत मछरिया में करन यादव के मकान से महिपाल व सुनील के मकान से राजू के मकान तक नाली एवं इंटरलॉकिग कार्य।	राज्य वित्त आयेाग	658742.00	566452.00	आगणन दर से 14.01 % निम्न	मे0 कमलेश कान्सं0 कं0	पढ़ा गया
825	जोन–2 वार्ड 44 के अन्तर्गत जगईपुरवा आनन्द नगर में सुमन वर्मा के मकान से राधे–राधे के मकान तक तक नाली एवं इंटरलॉकिग कार्य।	राज्य वित्त आयेाग	652925.00	572942.00	आगणन दर से 12.25 % निम्न	मे0 रमेश चन्द्र	पढ़ा गया
826	जोन–2 वार्ड 86 के अन्तर्गत शीतला बाजार रोड से कुबरी शाह मजार के सामने होते हुये पवन टेनरी तक नाली एवं इंटरलॉकिग कार्य।	नगर निगम निधि	611940.00	597813.00	आगणन दर से 5.25 % निम्न	मे0 गगन कान्स0कं0	पढ़ा गया
827	जोन–2 वार्ड 66 के अन्तर्गत प्यारे लाल के मकान से मा0 पार्षद श्रीमती जरीना खातून के मकान के सामने होते हुये रतनू के मकान तक नाली एवं इंटरलॉकिग कार्य।	नगर निगम निधि	688167.00	625889.00	आगणन दर से 9.05 % निम्न	मे0 कमल कान्टेक्टर	पढ़ा गया
828	जोन–2 वार्ड 77 के अन्तर्गत श्याम नगर सी ब्लाक में सिद्धेश्वर पार्क के दोनो तरफ रोड का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयेाग	961898.00	894566.00	आगणन दर से 7.00 % निम्न	मे0अन्यना का0एण्डसप्ला0	पढ़ा गया
829	जोन–2 वार्ड 70 के अन्तर्गत तिवारीपुर में लाल टंकी चौराहे से लखनऊ रोड तक नाले की मरम्मत एवं आर0सी0सी0 पत्थर द्वारा ढकने का कार्य।	नगर निगम निधि	692752.00	692683.00	आगणन दर से 0.01 % निम्न	मे0 अमिताभ उपक्रम	पढ़ा गया
830	जोन–2 में विभिन्न डम्पों पर कवरई स्टोन बैलास्ट की आपूर्ति कार्य ।	राज्य वित्त आयेाग	648273.00	579601.00	आगणन दर से 9.99 % निम्न	मे0 गगन कान्सं0 कं0	पढ़ा गया
831	जोन–2 वार्ड 77 श्याम नगर में म0 नं0 बी–137 से 150 फिट रोड तक एच0एम0पी0 द्वारा सडक का सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	807852.00	864402.00	आगणन दर से 7.00 % उच्च जस्टीफिकेशन से 1.29% निम्न	मे0 मॉ मैहर टेडर्स	पढ़ा गया
832	जोन–2 वार्ड 53 के अन्तर्गत म0 नं0 70 से 89 होते हुये बी0जी0 यादव के मकान तक केसी नाली एंव इंटरलॉकिग का कार्य।	राज्य वित्त आयेाग	825681.00	711737.00	आगणन दर से 13.80 % निम्न	मे0 गणेश एण्ड कं0	पढ़ा गया
833	जोन–2 वार्ड 29 सफीपुर शंकर नगर में शेरशाह सूरी तालाब के बाउन्ड्री वाल, पाथ वे एवं सौन्दरीकरण कार्य।	राज्य वित्त आयेाग	976360.00	976263.00	आगणन दर से 0.01 % निम्न	मे0 एवरग्रीन इं0 प्रा0	पढ़ा गया
834	जोन–2 वार्ड 66 के अन्तर्गत जनता टेन्ट हाउस से आफरीन के घर तक नाली एंव इंटरलॉकिग का कार्य।	नगर निगम निधि	728011.00	640959.00	आगणन दर से 12.00% निम्न	मे0 अली कान्स0कं0	पढ़ा गया
835	जोन–2 वार्ड 44 के अन्तर्गत पोखरपुर में मो0 शरीफ के मकान से 67/17 से मो0 भाई के मकान से जनता टेन्ट हाउस तक नाली एंव इंटरलॉकिग का कार्य।	राज्य वित्त आयेाग	783645.00	783645.00	आगणन दर पर	मे0 आर0के0द्विवेदी इं0 प्रा0	पढ़ा गया

नगर आयुक्त महोदय द्वारा **अभियन्त्रण खण्ड–3** के अन्तर्गत निम्नान्कित कार्यो के स्वीकृतोपरान्त नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5)के अन्तर्गत माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष **सूचनार्थ** प्रस्तुत है।

प्र0 सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा दर	निविदा धनांक	ठेकेदार का नाम	**निर्णय**
836	जोन 3 वार्ड 12 के अन्तर्गत आनन्दपुरी में मकान नं0 133 से मकान नं0 125 तक हॉट मिक्स प्लांट द्वारा सडक एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	993247.00	3.12% निम्न	962257.00	मेसर्स डेल्टा इरेक्टस प्रा0 लि0	पढ़ा गया
837	जोन 03 वार्ड 12 के अन्तर्गत आनन्दपुरी में मकान नं0 94 से मकान नं0 74 तक हॉट मिक्स प्लांट द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	5(3)B	685636.00	3.12% निम्न	664244.00	मेसर्स डेल्टा इरेक्टर्स प्रा0 लि0	पढ़ा गया
838	जोन 03 वार्ड 12 के अन्तर्गत आनन्दपुरी में मकान नं0 105 से स्वदेशी गेट तक हॉट मिक्स प्लांट द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	5(3)B	994383.00	7.00% निम्न	924776.00	मेसर्स अभिषेक ई0 प्रा0	पढ़ा गया

ह0......महापौर

839	जोन 03 वार्ड 25 के अन्तर्गत साई पार्क की बाउन्ड्री से ओ0 पी0 द्विवेदी तक नाली कासिंग एवं इण्टरलाकिंग द्वारा साइड पटरी का कार्य।	5(3)B	821835.00	14.99% निम्न	698642.00	मसेर्स श्वेता ई0 प्रा0	पढ़ा गया
840	जोन 03 वार्ड 25 के अन्तर्गत मकान न0 94/1 विरयानी शाप से मदरसा गोसुलउल मस्जिद से मकान न0 91/8 तक नाली एवं टाइल्स द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	5(3)B	767352.00	7.99% निम्न	706041.00	मेसर्स श्री बॉके बिहारी कान्स0 कं0	पढ़ा गया
841	जोन 03 वार्ड 54 बाबू पुरवा कालानी में ब्लाक नं0 68 से 206 तक इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वार साइड पटरी एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	862739.00	12.00% निम्न	759210.00	मेसर्स मॉ अम्बे ट्रेडर्स	पढ़ा गया
842	जोन 03 वार्ड 54 के अन्तर्गत बाबूपुरवा कालोनी में ब्लाक नं0 148/12 से 145/5, मकान नं0 314 तक इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा साइड पटरी तथा नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	998547.00	11.00% निम्न	888707.00	मेसर्स यूनिटि कान्स0 एण्ड सप्लायर्स	पढ़ा गया
843	जोन 03 वार्ड 54 के अन्तर्गत बाबू पुरवा कालोनी में ब्लाक नं0 131 से 134 तक इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा साइड पटरी एवं पी0 सी0 ब्लाक द्वारा नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	998893.00	13.00% निम्न	869037.00	मेसर्स त्रिकूट ई0 प्रा0	पढ़ा गया
844	जोन 03 वार्ड 55 के अन्तर्गत के मकान नं0 128/797 से मकान न0 128/778 तक साइड पटरी का सुधार कार्य।	5(3)B	854426.00	14.99% निम्न	726347.00	मेसर्स आशु कान्स0 कं0	पढ़ा गया
845	जोन 03 वार्ड 55 के अन्तर्गत के ब्लाक स्थिति मकान नं0 128/429 से 128/483 तक साइड पटरी का सुधार कार्य।	5(3)B	858254.00	10.24% निम्न	770368.00	मेसर्स त्रिकूट ई0 प्रा0	पढ़ा गया
846	जोन 03 वार्ड 55 के अन्तर्गत मकान न0 128/543/4 से मकान नं0 128/543/18 तक साइड पटरी का सुधार कार्य।	5(3)B	1152421.00	14.99% निम्न	979673.00	मेसर्स आशु कान्स0 क0	पढ़ा गया
847	जोन 03 वार्ड 55 के अन्तर्गत के ब्लाक स्थिति मकान नं0 128/314 से 128/214 तक साइड पटरी का सुधार कार्य।	5(3)B	886954.00	9.00% निम्न	807128.00	मेसर्स युवराज कान्स0 कं0	पढ़ा गया
848	जोन 03 वार्ड 55 के अन्तर्गत राधव माधव मन्दिर के पास मकान न0 128/94,128/90 एवं 128/117 से 128/111 एवं मकान नं0 128/96 से 128/102 तक नाली एवं साइड पटरी का सुधार कार्य।	5(3)B	1122961.00	15.00% निम्न	954517.00	मेसर्स कमलेश कान्सं0 कं0	पढ़ा गया
849	जोन 03 वार्ड 55 के अन्तर्गत वाई ब्लाक में मकान नं0 128/976 से 125 मी0 लम्बाई तक सड़क व नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	958922.00	7.88% निम्न	883359.00	मेसर्स इण्डिया ट्रेडर्स	पढ़ा गया
850	जोन 03 वार्ड 55 के अन्तर्गत मकान न0 128/554 से मकान नं0 128/533 तक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	1112241.00	13.00% निम्न	967649.00	मेसर्स त्रिकूट ई0 प्रा0	पढ़ा गया
851	जोन 03 वार्ड 58 के अन्तर्गत पारूल बुटीक से राम बाबू सोनकर के मकान तक नाली एवं इण्टरलागि टाइल्स द्वारा सड़क सुधार का कार्य।	5(3)B	524211.00	14.00% निम्न	450822.00	मेसर्स बाबा गोकरन नाथ	पढ़ा गया
852	जोन 03 वार्ड 80 के अन्तर्गत मकान न0 बी–107 से 120 एवं बी0–76 से बी–93 तक सड़क व नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	676263.00	3.84% निम्न	650295.00	मेसर्स तिवारी एण्ड ब्रदर्स	पढ़ा गया
853	जोन 03 वार्ड 88 के अन्तर्गत कर्रही मलिन बस्ती में लवली टेन्ट हाऊस से शिव मन्दिर तक नाली एवं इन्टर लाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	5(3)B	964080.00	12.00% निम्न	848391.00	मेसर्स ओम ई0 प्रा0	पढ़ा गया
854	जोन 03 वार्ड 108 के अन्तर्गत बेगम पुरवा स्थिति मकान नं0 131/124 से 131/111 एवं ब्लाक नं0 1 व 2 के बीच में 131/159 लल्लू इमाम बाडा के पास आन्तरिक गलियों का सुधार कार्य।	5(3)B	674255.00	0.01% निम्न	674187.00	मेसर्स मून कान्स0	पढ़ा गया

नगर आयुक्त महोदय द्वारा **अभियन्त्रण खण्ड–3** के अन्तर्गत निम्नान्कित कार्यो के स्वीकृतोपरान्त नगर निगम अधिनियम की धारा 132(3)के अन्तर्गत माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष **स्वीकृतार्थ** प्रस्तुत है।

ह0......महापौर

प्र0 सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा दर	निविदा धनांक	ठेकेदार का नाम	निर्णय
855	जोन 03 वार्ड 24 के अन्तर्गत साकेत नगर डम्प के अन्तर्गत विभिन्न सड़कों पर पैच मरम्मत हेतु एस0डी0सी0 की आपूर्ति का कार्य।	5(3)B	944451.00	11.00% उच्च जस्ट्रीफिकेशन से 0.25% निम्न	1048341.00	डी0 एल0 जी0 इन्टरप्राइजेज प्रा0 लि0	स्वीकृत
856	जोन 03 वार्ड 23 के अन्तर्गत एम0 ब्लाक में मकान नं0 133/222 से मकान नं0 133/239 तक सड़क नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।	5(3)B	1278990.00	11.00% निम्न	1138301.00	मेसर्स मॉ अम्बे ट्रेडर्स	स्वीकृत
857	जोन 03 वार्ड 24 के अन्तर्गत डब्लू वन ब्लाक साकेत नगर में पिताम्बरा शक्ति पीठ के सामने मकान न0 27 एच0आई0जी0 डब्लू–1 से शिवकरन अपार्मेन्ट तक हॉट मिक्स प्लान्ट द्वारा सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	1498975.00	3.14% निम्न	1451907.00	मेसर्स लखन कान्स0 कं0	स्वीकृत
858	जोन 03 वार्ड 25 के अन्तर्गत बारादेवी रोड से लाल पैलेस रोड तक नाली एवं इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क सुधार कार्य।(मोहल्ला जूही बारादेवी)	5(3)B	1079962.00	6.99% निम्न	1004473.00	मेसर्स श्री बॉके बिहारी कान्स0 क0	स्वीकृत
859	जोन 03 वार्ड 25 के अन्तर्गत मकान नं0 127/219 विद्यावती के मकान से राहुल के मकान होते हुए धनश्याम गुप्ता से हमीरपुर रोड तक नाली साइड पटरी एवं इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क सुधार कार्य । (मोहल्ला करपात्री नगर)	5(3)B	1719145.00	9.99% निम्न	1547272.00	मेसर्स शिल्पी ई0 प्रा0	स्वीकृत
860	जोन 03 वार्ड 36 के अन्तर्गत बिनगॅवा गॉव में श्री इयाद अली के मकान से श्री राजेन्द्र के मकान तक इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	1319978.00	13.90% निम्न	1136501.00	मेसर्स क्षत्रिय कान्स0 कं0	स्वीकृत
861	जोन 03 वार्ड 55 के अन्तर्गत मकान नं0 128/194/2 से मकान नं0 128/194/20 तक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	1395657.00	14.00% निम्न	1200265.00	मेसर्स बाबा गोकरन नाथ बिल्डर्स	स्वीकृत
862	जोन 03 वार्ड 55 के अन्तर्गत के0 ब्लाक किदवई नगर स्थिति मकान न0 543/62 ए से 543/77 तक सड़क का सुधार कार्य।	5(3)B	1484611.00	12.9% निम्न	1293096.00	मेसर्स साहिल ट्रेडर्स	स्वीकृत
863	जोन 03 वार्ड 55 के अन्तर्गत के ब्लाक स्थित मकान 128/149 से 128/131 के ब्लाक में सड़क व नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	1489649.00	10.04% निम्न	1331092.00	मेसर्स सिंह इंजीनियर	स्वीकृत
864	जोन 03 वार्ड 55 के अन्तर्गत किदवई नगर के ब्लाक स्थिति दुर्गा मन्दिर से अलंकार गेस्ट हाउस चौराहे तक सड़क फुटपाथ का सुधार कार्य।	5(3)B	1538000.00	14.1% निम्न	1321142.00	मेसर्स जगत नारायण गुप्ता	स्वीकृत
865	जोन 03 वा 55 के अन्तर्गत किदवई नगर स्थित मकान नं0 128/413 से मकान नं0 128/408 एवं 128/386 से 128/379 तक सड़क, नाली व फुटपाथ का सुधार कार्य।	5(3)B	2582000.00	14.00% निम्न	2220520.00	मेसर्स जगत नारायण गुप्ता	स्वीकृत कर सदन को अग्रसारित किया गया
866	जोन 03 वार्ड 55 के अन्तर्गत गोर्वधन पुरवा मलिन बस्ती की आन्तरिक गलियों का सुधार कार्य।	5(3)B	1498535.00	7.87% निम्न	1380600.00	मेसर्स सिकन्दर सप्लायस	स्वीकृत
867	जोन 03 वार्ड 55 के अन्तर्गत किदवई नगर के ब्लाक स्थित मकान नं0 128/348 से 128/325 तक सड़क का सुधार कार्य।	5(3)B	1386400.00	15.00% निम्न	1178440.00	मेसर्स कमलेश कान्स0 कं0	स्वीकृत
868	जोन 03 वार्ड 58 नौबस्ता थाना के पीछे मकान नं0 23 से मकान नं0 389 डब्ल–2 तक नाली एवं सड़क सुधार कार्य।	5(3)B	2062000.00	12.1% निम्न	1812498.00	मेसर्स साहिल ट्रेडर्स	स्वीकृत

ह0......महापौर

869	जोन 03 वार्ड 80 के अन्तर्गत एम0आई0जी0 77 से 81 एवं एम0 आई0 जी0 82 से 68 तक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	1179011.00	6.00% निम्न	1108270.00	मेसर्स दर्शिनी ई0 प्रा0	स्वीकृत
870	जोन 03 वार्ड 81 के अन्तर्गत जरौली गांव मलिन बस्ती में मकान नं0 88 से चन्द्र पाल के मकान तक सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	1419094.00	1.93% निम्न	1391706.00	मेसर्स भारत ई0 प्रा0	स्वीकृत
871	जोन 03 वार्ड 83 के अन्तर्गत धोबिन पुलिया से मनकामेंश्वर बाबा धाम मन्दिर खाडेपुर चौराहा तक सड़क सुधार कार्य।	5(3)B	1499906.00	1.00% निम्न	1484907.00	मेसर्स डेल्टा इरेक्टर्स प्रा0 लि0	स्वीकृत
872	जोन 03 वार्ड 90 के अन्तर्गत साइट नं0 01 में ब्लाक नं0 01 से 11 तक सर्विस लेन का सुधार कार्य।	5(3)B	1112995.00	4.68% निम्न	1060907.00	मेसर्स गंगन कान्स0 कं0	स्वीकृत
873	जोन 03 वार्ड 90 के अन्तर्गत एन0 ब्लाक में मकान नं0 213 से मकान नं0 220 तक सड़क नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।	5(3)B	1176495.00	8.80% उच्च जस्ट्रीफिकेश 0.25% निम्न	1280026.56	मेसर्स डेल्टा इरेक्टर्स प्रा0 लि0	स्वीकृत

<u>सूचनार्थ प्रेषित–जोन–6</u>

प्र0सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/फर्म का नाम	निर्णय
874	जोन–6 वार्ड–82 शास्त्री नगर अन्तर्गत ब्लॉक नं0 78 ब्लॉक नं0 13 एवं जवाहर पार्क के सामने फुटपाथ का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	984327.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	836678.00	मे0 विनय कान्ट्रेक्टर एण्ड डेवलपर्स	पढ़ा गया
875	जोन–6 वार्ड– 46 विनायकपुर के अन्तर्गत संजय टेलर्स से प्लाट नं0 211 होते हुये मॉ सरस्वती विद्या मन्दिर स्कूल तक नाली एवं इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सडक का सुधार कार्य पाट –ए	राज्य वित्त आयोग	952305.00	आगणन दर से 14.02 प्रतिशत निम्न	818792.00	मे0 जयराज एण्ड कम्पनी	पढ़ा गया

<u>अभियन्त्रण खण्ड जोन–6 **(स्वीकृतार्थ)**</u>

प्र0सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	दर	निविदा धनांक	ठेकेदार/फर्म का नाम	निर्णय
876	जोन–6 वार्ड–16 ख्योरा अन्तर्गत अवधपुरी में म0न0– एम0आई0जी0–1 से एम0 आई0जी0 –30 तक सड़क एवं नाली सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1420312.00	आगणन दर से 4.07 प्रतिशत निम्न	1362505.00	मे0 ए0आर0 इण्टरप्राइजेज	स्वीकृत
877	जोन–6 वार्ड–8 मसवानपुर के अन्तर्गत सरायं में कलक्टर दिवाकर के मकान से एस0एन0 दीक्षित के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क का सुधार कार्य पार्ट–ए	राज्य वित्त आयोग	1499591.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	1274653.00	मे0 एन0एस0 ट्रेडर्स	स्वीकृत
878	जोन–6 वार्ड–68 रावतपुर गॉव के अन्तर्गत शिवराम सिंह के मकान से म0न0–116/37 तक इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सडक एवं नाली का निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1270760.00	आगणन दर से 4.50 प्रतिशत निम्न	1213576.00	मे0 पैरामाउण्ट इण्टर प्राइजेज	स्वीकृत

ह0......महापौर

879	जोन–6 वार्ड–20 नारामऊ अन्तर्गत दयानन्द बिहार मे ई0डब्लू0एस0 99 से विकास ज्ञान मन्दिर तक सडक नाली एवें फुटपाथ का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1306408.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	1110447.00	मे0 एन0एस0 ट्रेडर्स	स्वीकृत
880	जोन–6 वार्ड–63 के अन्तर्गत गीता नगर विन्ध्यवासिनी देवीमन्दिर से राधेश्याम के मकान तक सडक व नाली का सुधार कार्य पाट–ए	राज्य वित्त आयोग	1499358.00	आगणन दर से 5.00 प्रतिशत उच्च	1574326.00	मे0 जगदम्बा इण्टर प्राइजेज	स्वीकृत
881	जोन–6 वार्ड–46 विनायकपुर के अन्तर्गत एच–857 एस0बी0सिंह से एच–846 होते हुये 830 तक नाली एवे इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सडक का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1234721.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	1049513.00	मे0 रविन्द्र एण्ड ब्रदर्स	स्वीकृत
882	जोन–6 वार्ड–32 नानकारी के अन्तर्गत देवी नगर मलिन बस्ती में टाइल्स एवं नाली का कार्य।	मलिन बस्ती	1449833.00	आगणन दर से 9.99 प्रतिशत निम्न	1304995.00	मे0 ए0जी0 कॉन्स0 कं0	स्वीकृत
883	जोन–6 वार्ड–82 शास्त्री नगर अन्तर्गत ब्लाक नं0 215 से ब्लाक नं0 225 तक इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा फुटपाथ का निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1063860.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	904281.00	मे0 विनय कान्ट्रैक्टर एण्ड डेवलपर्स 15.00 प्रतिशत निम्न	पढ़ा गया
884	जोन–6 वार्ड–46 विनायकपुर आवास विकास के अन्तर्गत सत्यम बिहार से म0न0–584(श्रीविजय यादव) से म0न0–एच–812 तक इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा फुटपाथ का सुधार कार्य पार्ट–ए	राज्य वित्त आयोग	1096727.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	932218.00	मे0 एन0एस0 ट्रेडर्स	पढ़ा गया
885	जोन–6 वार्ड–46 विनायकपुर के अन्तर्गत न्यू सिविल लाइन्स से देवेन्द्र बिल्डिंग मैटोरियल से चौरसिया की दुकान होते होतु हुये म0न0– 123 के पास तक सडक का सुधार कार्य	राज्य वित्त आयोग	1189127.00	आगणन दर से 5.00 प्रतिशत निम्न	1129670.00	मे0 गुप्ता बिल्डर्स	स्वीकृत
886	जोन–6 वार्ड–9 विष्णुपुरी में बैक ऑफ इण्डिया से सब्जी मण्डी रोड एवं जैन मन्दिर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा फुटपाथ का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1489596.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	1266157.00	मे0 ओम साई कॉन्स0 कं0	स्वीकृत
887	जोन–6 वार्ड–46 आवास विकास विनायकपुर के अन्तर्गत म0न0–एच–812 से सत्यम बिहार मे केशव वाटिका मार्ग तक इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा फुटपाथ का सुधार कार्य पार्ट–बी	राज्य वित्त आयोग	1065349.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	905547.00	मे0 मिश्रा कॉन्स0 कम्पनी	पढ़ा गया
888	जोन–6 वार्ड–87 काकादेव के अन्तर्गत हाटमिक्स प्लाट द्वारा डा0 सीमा क्लीनिक से हितकारेश्वर मन्दिर तक सडक का सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	1381717.00	आगणन दर से 7.70 प्रतिशत निम्न	1275325.00	मे0 राय इण्टरप्राइजेज	स्वीकृत
889	जोन–6 वार्ड–82 शास्त्री नगर अन्तर्गत ब्लॉक नं0 332 से ब्लॉक नं0 334 एवं ब्लॉक नं0 356 से ब्लॉक नं0 363 तक इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा फुटपाथ का निर्माण कार्य।	नगर निगम निधि	1013177.00	आगणन दर से 13.786 प्रतिशत निम्न	873500.42	मे0 विनय का0 एण्ड डेवलेपर्स	पढ़ा गया
890	जोन–6 वार्ड–82 शास्त्री नगर अन्तर्गत ब्लॉक नं0 167 से ब्लॉक नं0 169 एवं ब्लॉक नं0 172 से ब्लॉक नं0 174 तक इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा फुटपाथ एवं नाली का निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1442190.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	1225861.00	मे0 पी0के0 इण्टर प्राइजेज	स्वीकृत
891	जोन–6 वार्ड–20 नारामऊ अन्तर्गत दयानन्द बिहार में एल0आई0जी0–171 से एल0आई0जी0–180 एवं मेन रोड तक सडक नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1274029.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत	1082925.00	मे0 पारसनाथ बिल्डर्स	स्वीकृत

ह0......महापौर

				निम्न			
892	जोन–6 वार्ड–16 ख्यौरा अन्तर्गत पंक्षी बिहार गेट से अम्बुज शुक्ला के घर तक इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा फुटपाथ का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1499673.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	1274722.00	मे0 सुभद्रा स्तुति कॉन्स0	स्वीकृत
893	जोन–6 वार्ड–57 नवीन नगर के अन्तर्गत डा0 शुक्ला के मकान से डोरेमान श्री स्कूल होते हुये जितेन्द्र सिंह छोटू के मकान तक चर्च रोड का हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1476782.00	आगणन दर से 4.00 प्रतिशत निम्न	1417710.00	मे0 जगदम्बा इ0प्रा0	स्वीकृत
894	जोन–6 वार्ड–27 शास्त्री नगर कें अन्तर्गत काली मठिया से शास्त्री नगर पुलिस चौकी चौराहा तक हाट मिक्स प्लाट द्वारा सडक का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1481658.00	आगणन दर से 6.60 प्रतिशत निम्न	1383868.00	मे0 राय इण्टर प्राइजेज	स्वीकृत
895	जोन–6 वार्ड–8 मसवानपुर के अन्तर्गत रामकरन सिंह चन्देल के मकान से एस0आर0 मेमोरियल स्कूल होते हुये जगदीश नारायण के मकान तक नाली फुटपाथ एवं हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सडक का सुधार कार्य।	2305004	1299719.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	1104761.00	मे0 एन0 एस0 ट्रेडर्स	स्वीकृत
896	जोन–6 वार्ड–61 लाजपत नगर के अन्तर्गत कौशलपुरी में नजीराबाद थाने से आगरा स्वीट तक नाली एवं इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा साइड पटरी का सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	1482554.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	1260171.00	मे0 पुष्पेन्द्र कुमार द्विवेदी	स्वीकृत
897	जोन–6 वार्ड–9 विष्णपुरी अन्तर्गत बैंक आफ इण्डिया से सब्जी मण्डी रोड तक हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सडक का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1128394.00	आगणन दर से 15.00 प्रतिशत निम्न	959135.00	मे0 जगत नारायन गुप्ता	पढ़ा गया

प्रस्ताव संख्या–898

श्री धर्मनाथ मिश्रा , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:–

प्रस्ताव

विषय:– वार्ड 75 मुन्शीपुरवा कानपुर के निर्मित बारातशाला का नामकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

निवेदन है कि वार्ड नं0 75 मुन्शीपुरवा कानपुर में बारातशाला निर्मित हैं जिसका जीर्णोद्धार पार्षद कोटे में किया जा रहा है।उक्त बारातशाला का नामकरण अभी नही किया गया है ऐसी स्थित में चाहता हूँ कि उक्त बारातशाला का नामकरण स्व0 राज किशोर त्रिपाठी के नाम से चाहता हूँ चुॅकि स्व0 राज किशोर त्रिपाठी समाजसेवी थे।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उपरोक्त बारात शाला का नामकरण स्व0 राज किशोर त्रिपाठी के नाम से किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

.... उपरोक्त बारातशाला का नामकरण राज किशोर त्रिपाठी बारातशाला, नगर निगम, कानपुर किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव संख्या–899

श्री आशुतोष त्रिपाठी , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:–

प्रस्ताव

ह0......महापौर

अवगत कराना चाहता हूँ कि कानपुर नगर निगम के कुछ लोक सेवक वित्तीय अनियमितायेंक रने हेतु संविधान, शासनादेश, उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम और न्यापालिका को भी तक पर रख कर अनैतिक कार्य कर रहे है अतः उन्हे दण्डित करवाने हेतु निम्न विषयों की जानकारी दिलवायें और नियम विरूद्ध होने या भविष्य में नियम विरूद्ध पाये जाने पर कठोर दण्ड की व्यवस्था को आगे बढ़ायेः–

1. मा0 न्यायालय में किसी वाद की सुनवाई के बावजूद और अवगत करवाने के बाद भी क्या कानपुर नगर निगम डिस्प्यूट कमैटी उस वाद की सुनवाई कर सकता है और जानकारी के बावजूद आगे की तारीख दे सकती है ?
2. यदि न्यायालय में वाद की सुनवाई के मध्य कानपुर नगर निगम को सूचना उपरान्त की वाद न्यायालय में लम्बित है अथवा सुना जा रहा है,निस्तारण का अधिकार नही है तो डिस्प्यूट कमेटियों को वही वाद सुनने अथवा कार्यवाही करने का उद्देश्य क्या होता है ?

अतः इस गंम्भीर विषय पर उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 के स्पष्ट निर्देशो का जनहित में सभी को अवगत करावाये ताकि नगर निगम को नियमानुसार चलाने में मदद मिल सके यदि कोई शासनादेश इस बिषय पर हो तो भी समयवद्ध अवगत करावायें।

श्री आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि मा0 न्यायालयों के आदेश की अनदेखी करते हुये अधिकारियों की मिली भगत से जोनों में सम्पत्तियों का नामान्तरण किया जा रहा है।

नगर आयुक्त ने कहा कि यदि कोई प्रकरण विशेष हो तो उसकी शिकायत की जाये, जिसकी जाँच कर कार्यवाही की जायेगी एवं मा0 न्यायालय के आदेशों की अवहेलना पर दोषी होने की दशा में सम्बन्धित के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी।

.... नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

<u>प्रस्ताव संख्या–900</u>

श्री आलोक दुबे , पार्षद द्वारा प्रस्तुत एंव 07 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

प्रस्ताव

विषयः– कमला नेहरू पार्क का अग्रिम भाग जो सीसामऊ बाजार की तरफ जाता है उसके दोनो ओर दुकानों के निर्माण के सन्दर्भ में।

सादर अवगत कराना है कि मेरे वार्ड के अन्तर्गत कमला नेहरू पार्क के अग्रिम भाग में लोगों के द्वारा कब्जा करके दुकाने बना ली है तथा उक्त जगह को वो किराया पर देते है। माननीय यदि नगर निगम के द्वारा पार्क के अग्रिम भाग जो वेशकीमती है उस पर दुकानो के निर्माण से कब्जे हटेगें फुटपाथ की सफाई होगी तथा दुकानो को किराये पर देने से नगर निगम की आय वृद्धि भी होगी। यह कार्य जनहित में नितान्त आवश्यक है।

अतः जनहित मे कार्यकारिणी के माध्यम से पास करके उक्त कार्य के निर्माण का आदेश पारित करें।

.... अतिक्रमण हटाते हुये अतिक्रमित स्थल पर भी सड़क का निर्माण कराया जाये।

<u>प्रस्ताव संख्या–901</u>

श्रीमती रश्मि शाह , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

प्रस्ताव

विषयः– कम्यूनिटि सेण्टर बनवाने के सम्बन्ध में।

ह0......महापौर

विनम्र निवेदन है कि मेरे वार्ड 35 जूही परमपुरवा के अन्तर्गत 60 से 70 हजार आवादी वाला क्षेत्र होने के कारण एक कम्यूनिटि सेण्टर न होने के कारण गरीब जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरे पति स्व0 इकबाल अली शाह पूर्व पार्षद जो गरीबो की सेवा मे समर्पित रहते थे उनके नाम से एक कम्यूनिटि सेण्टर बनवाने की कृपा करे जिससे गरीब जनता को अपने छोटे छोटे काम करने में कठिनाई न हो ।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त कार्य को अतिशीध्र कराये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

.... स्थलीय निरीक्षण कर तद्नुसार कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या–902

श्री हाजी सुहैल अहमद , उप सभापति / पार्षद द्वारा प्रस्तुत एंव 04 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

प्रस्ताव

विषयः– कानपुर नगर निगम के पालिका स्टेडियम के खाली पड़े भाग में समस्त इण्डोर खेलों हेतु एक बड़ा हाल बनाने के सम्बन्ध में।

आपको अवगत कराना है कि शहर के बीचो–बीच ब्रजेन्द्र स्वरूप पार्क में पालिका स्टेडियम का निर्माण कराया गया था। इस स्टेडियम में आउटडोर खेलों जैसे फुटबाल, एथलेटिक्स, वालीवाल, हाकी, क्रिकेट जैसे खेलों की व्यवस्था है किन्तु इन्डोर खेलों में जैसे टेबल टेनिस, कुश्ती, वेट लिफ्टिग, बैडमिन्टन, शतरंज,कराटे, कैरम, ताइक्वान्डो आदि खेलों की व्यवस्था नही है।

अतः कार्यकारिणी के समक्ष मेरा यह प्रस्ताव है कि पालिका स्टेडियम पर एक बड़ा हाल बनाकर इन खेलों को भी कराया जाये जिससे इन खेलों के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपना प्रदर्शन दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। इसी के साथ बास्केटबाल खेल हेतु बने कोर्ट की हालत बहुत खराब है इसको भी ठीक कराया जाये।

.... ब्रजेन्द्र स्वरूप पार्क में पालिका स्टेडियम में आधुनिक सुविधाओं से युक्त इण्डोर स्टेडियम का निर्माण कराया जाये।

प्रस्ताव संख्या–903

श्री राज किशोर यादव , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

प्रस्ताव

विषयः– नगर निगम आर.बी.आर.डी गर्ल्स इण्टर कालेज नवाबगंज की क्षतिग्रस्त बिल्डिंग का पुर्णोद्धार के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि आपके अधीनस्थ वार्ड 45 नवाबगंज मं यह विद्यालय लगभग 100 वर्ष पूर्ण कर चुका है जिसका भवन का एक हिस्सा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त एवं जर्जर हो चुका है भवन के अन्त भाग में किसी भी कमरा का संचालन एवं कोई भी गतिविधि प्रतिबन्धित कर दी गयी है। इस कारण विद्यालय की कक्षायें संचालन में कठिनाई होती है एवं किसी दुर्घटना का भी भय रहता है इस सम्बन्ध में पूर्व में नगर निगम पूर्व पार्षद एवं शिक्षा विभाग को सूचित भी किया जा चुका है पूर्व नगर आयुक्त मा0 राजीव शर्मा जी ने स्थलीय परीक्षण भी किया था और साथ ही अभियंत्रण विभाग द्वारा इसका स्टीमेट भी तैयार कराया था, किन्तु आज तक उक्त क्षतिग्रस्त भवन के सम्बन्ध में कोई प्रत्यक्ष कार्यवाही नही हुई है।

अस्तु आपसे अनुरोध है कि विद्यालय हित में क्षेत्र के प्रतिष्ठित महिला विद्यालय के जर्जर भाग को अति शीध्र नया निर्माण कराने की कृपा करे। इस हेतु विद्यालय परिवार आपका सदैव आभारी रहेगा।

.... निरीक्षण कराकर कार्यवाही कराई जाये।

ह0......महापौर

प्रस्ताव संख्या–904

श्री राकेश साहू , पार्षद द्वारा प्रस्तुत एंव 11 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

प्रस्ताव

विषयः– वार्ड 72 नसीमाबाद पार्क का नाम पूर्व सभासद मुन्ना लाल गुप्ता (मन्ना बाबा) के नाम किये जाने के सम्बन्ध में।

सदर अवगत कराना है कि वार्ड 72 नसीमाबाद पार्क का नाम समाज सेवक व पूर्व सभासद स्व0 मुन्ना लाल गुप्ता (मन्ना बाबा) इस वार्ड में उनके द्वारा जनहित के अनेको कार्य शीलता देवी मन्दिर, बम्बा रोड सब्जीमण्डी, जच्चा–बच्चा अस्पताल , आदर्श व्यायामशाला, बरातशाला , नसीमाबाद पार्क का निर्माण कार्य कराये वह लोगों के कार्य के लिये हमेशा उपलब्ध व तैयार रहते जिससे वह बहुत चर्चित व्यक्ति थे।

अतः आपसे निवेदन है वार्ड 72 के नसीमाबाद पार्क का नाम स्व0 मुन्ना लाल गुप्ता (मन्ना बाबा) के नाम किये जाने की कृपा करें।

स्व0 श्री मन्ना लाल गुप्त उर्फ मन्ना बाबा (पूर्व सभासद) का संक्षिप्त परिचय

1. श्री मन्ना लाल गुप्त मन्ना बाबा 1959 में सम्पन्न नगर महापालिका, कानपुर के प्रथम चुनाव में सभासद निर्वाचित हुये थे इनका कार्यकाल सन् 1964 में समाप्त हुआ था।
2. इसके पश्चात सन् 1967 तक नगर महापालिका के चुनाव नही हुये। सन् 1968 में नगर महापालिका के पुनः चुनाव हुये और इस चुनाव में भी श्री मन्ना लाल गुप्त उर्फ मन्ना बाबा पुनः निर्वाचित हुये और पूरे कानपुर में सर्वाधिक प्रतिशत मत प्राप्त किये।
3. अपने कार्यकाल के दौरान बम्बा रोड स्थित सब्जीमण्डी की स्थापना नगर महापालिका में प्रस्ताव पास कराकर करायी, जिसके कारण तमाम गरीब सब्जी वाले व किसान अपने परिवार का जीवन यापन तो कर ही रहे है साथ ही साथ आज भी केवल दर्शनपुरवा की आम जनता वरन् आस–पास के वार्डो के अतिरिक्त आर्य नगर , स्वरूप नगर के लोग भी ताजी सब्जी खरीदकर लाभन्वित हो रहे है और वर्तमान समय में यह कानपुर की प्रमुख सब्जी मण्डियों में एक है।
4. अपने कार्यकाल के दौरान ही कालपी रोड स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय केन्द्र की स्थापाना करायी, ये उल्लेखनीय है कि पहले उक्त चिकित्सालय की जगह पर यहॉ सेवायोजन केन्द्र की शाखा (Branch of Employment Exchange) एवं मजदूरों के लिये बीमा चिकित्सालय था।
5. अपने द्वितीय कार्यकाल के दौरान उपरोक्त आयुर्वेदिक चिकित्सालय का विस्तारिकरण कराया व जच्चा–बच्चा केन्द्र की भी स्थापना करायी। जहॉ क्षेत्रीय जनता के बच्चों का जन्म सामान्य प्रसव द्वारा होता था। इसलिये वर्तमान समय में इस चिकित्सालय का नाम नगर महापालिका आयुर्वेदिक चिकित्सालय व जच्चा–बच्चा केन्द्र है।
6. उपरोक्त विशेष कार्यो के अतिरिक्त नसीमाबाद पार्क का सुन्दरीकरण व बम्बा रोड स्थित गांधी मजदूर पार्क (जहॉ आज व्यायामशाला व नगर निगम का नया दफ्तर निर्मित है) का निर्माण व सुन्दरीकरण एवं पानी टंकी पार्क का सुन्दरीकरण कराया । इसके साथ ही सामान्य विकास कार्य जैसी अच्छी सड़के व उनका रखरखाव फुटपाथ एवं सड़क के प्रत्यक खम्भे व गलियों, हातों में प्रकाश की सुन्दर व्यवस्था करना प्रमुख था।
7. सम्पूर्ण दर्शनपुरवा वार्ड (वर्तमान में नसीमाबाद व दर्शनपुरवा वार्ड) में पहले सीवर व्यवस्था नही थी विशेषकर सभी हातों और गलियों में तो सीवर लाइन ही नही थी तथा अधिकांश घरो में भी सीवर लाइन नही थी। अपने कार्यकाल के दौरान श्री मन्ना लाल गुप्त उर्फ मन्ना बाबा ने पूरे वार्ड में सीवर लाइन डलवाने की व्यवस्था करवायी और प्रत्येक मकान हाते वालों व गलियों के निवासियों का अपना कनेक्शन सीवर लाइन से जोड़ने के लिये प्रेरित भी किया।
8. वर्तमान में जो चौराहा सर्व धर्म चौक के नाम से प्रसिद्ध है वहॉ पर ट्राफिक की सुचारू व्यवस्था हेतु ट्रैफिक पुलिस स्टैण्ड का निर्माण कराया था, जहॉ ट्राफिक सिपाही नियमित खड़ा रहकर ट्राफिक का संचालन करता था।

ह0......महापौर

9. श्री शीतला देवी मदिर जो कि कालपी रोड पार स्थित है क्षेत्रीय जनता के सहयोग से उसके निर्माण हेतु कुशल नेतृत्व प्रदान किया, पूरे क्षेत्र में आज भी श्री शीतला देवी मंदिर जैसा मंदिर नही है फलतः श्री मन्ना बाबा के निधन के बाद क्षेत्रीय जनता ने उनके मदिर निर्माण में अतुलनीय योगदान के लिये मंदिर परिसर में उनका चित्र लगावाया जो आज भी लगा है।

यही कारण है कि 01 दिसम्बर, 1974 को श्री मन्नालाल गुप्त उर्फ मन्ना बाबा के अकास्मिक निधन के बाद आज भी क्षेत्रीय जनता उनका नाम अत्यन्त आदर औरसम्मान के साथ लेती है और उनकी लोकप्रियता का उदाहरण देती है।

.... **स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>प्रस्ताव संख्या–905</u>

श्री ओम प्रकाश बाल्मिकि , पार्षद द्वारा प्रस्तुत एंव 03 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

<u>प्रस्ताव</u>

12/445 सफाई कर्मचारी की बस्ती में खाली पड़ी भूमि में मानसिक विकास के लिये सिलाई केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यकारिणी की स्वीकृति हेतु पत्र यह है कि उपरोक्त बस्ती में काफी मात्रा में दलित सफाई कर्मचारी निवास करते है किनतु उक्त बस्ती में उनके व बच्चो आदि के लिये कोई भी मानसिक विकास हेतु कोई चीज नही है। इसलिये आपसे अनुरोध है कि खाली पड़ी भूमि में एक कमरा सिलाई केन्द्र हेतु बनाये जाने का आदेश देने का कष्ट करें।

.... **परीक्षण कर कार्यवाही की जाये।**

<u>प्रस्ताव संख्या–906</u>

श्री संजय लाल बाथम , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

<u>प्रस्ताव</u>

विषयः– जोन–6 वार्ड 20 नारामऊ के अर्न्तगत खेड़ा गांव में खाली जमीन जो पार्क के लिये छूटी है उस पर पार्क की वाउन्ड्री बनाकर पार्क का सुन्दरीकरण के सम्बन्ध मे।

विनम्र निवेदन के साथ हमारे वार्ड 20 नारामऊ के अर्न्तगत खेड़ा गांव में पार्क की खाली जमीन छूटी पड़ी हुई है जिस पर क्षेत्रीरय वासी उस छूटी हुई पार्क की जमीन पर उस पर वाउन्ड्री करवाकर उसका सुन्दरीकरण चाहते है उस खाली पड़ी जमीन पर कुछ दबंग लोग पार्क लमीन पर कब्जा करना चाहते है।

अस्तु जनहित में उस खाली पड़ी पार्क की जमीन पर वउन्ड्री कराकर उसका सुन्दरीकरण कराने की कृपा करें।

.... **स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जाये।**

<u>प्रस्ताव संख्या–906</u>ए–

श्री जितेन्द्र सचान , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

<u>प्रस्ताव</u>

विषयः– जोन–3 वार्ड 80 बर्रा –2 संकट मोचन हनुमान मन्दिर से बम्बा तक सुड़क फुटपाथ व नाली का सुधार कार्य।

ह0......महापौर

परिवर्तित स्थल

विषयः— जोन—3 वार्ड 80 बर्रा के अन्तर्गत बर्रा—2 पोस्ट आफिस वाली गली से होते हुये पार्क के दोनो तरफ सड़क नाली एवं फुटपाथ कार्य।

वार्ड 80 बर्रा के अन्तर्गत उपरोक्त स्वीकृति कार्य कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जा चुका है। उसी अवशेष धनराशि से परिवर्तित स्थल पोस्ट आफिस वाली गली के पास सड़क नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य जनहित में कराया जाना आवश्यक है।

कृपया उपरोक्त कार्य की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करे।

.... स्वीकृत

मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित—जोन—4

प्र0 सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम	निर्णय
907	जोन—4 वार्ड 51 के अन्तर्गत जी0टी0 रोड़ मकान नं0 109/359 से भदौरिया चौराहा मकान नं0 109/245 तक फुटपाथ पर इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं कर्ब स्टोन चैनेल ड्रेन का निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग	985416.00	837604.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 परिहार इण्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
908	जोन—4 वार्ड 06 के अन्तर्गत स्लाटर हाउस जाने वाले मार्ग पर पुलिया से छेदी शाह तक मार्ग का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	992798.00	843879.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 रामसिजोर	पढ़ा गया
909	जोन—4 वार्ड 22 के अन्तर्गत मकान नं0 112/168बी से खैराबाद हास्पिटल मोड़ तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	839921.00	713933.00	आगणन दर से 15.0 प्रतिशत निम्न	मे0 अभिषेक इण्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
910	जोन—4 वार्ड 15 के अन्तर्गत एफ0 एम0 कालोनी तिराहा से मन्दिर तक (एफ0 एम0 कालोनी मार्ग) तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	830332.00	736754.00	आगणन दर से 11. 27 प्रतिशत निम्न	मे0 अभिषेक इण्टरप्राइजेज	पढ़ा गया
911	जोन—4 वार्ड 65 के अन्तर्गत प्रेम नगर बारातशाला में खुली भूमि पर पार्किंग स्थल के लिए बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	पार्किंग स्थल अनुरक्षण	585783.00	585490.00	आगणन दर से 0.05 प्रतिशत निम्न	मे0 अतुल कुमार सिंह	पढ़ा गया
912	जोन—4 वार्ड 78 के अन्तर्गत मकान नं0 105/731 से 105/721 तक फुटपाथ/बालकनी का सुधार एवं कर्व चैनल ड्रेन का निर्माण कार्य।	राज्य वित्त आयोग	984175.00	968428.00	आगणन दर से 1.60 प्रतिशत निम्न	मे0 एच आर0 ट्रेडर्स	पढ़ा गया
913	जोन—4 वार्ड 43 के अन्तर्गत नगर निगम मोतीझील स्थित साईकिल स्टैण्ड में फाइबर शेड का निर्माण एवं इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	सड़क अनुरक्षण	1128382.00	974373.00	आगणन दर से 15. 00 प्रतिशत निम्न	मे0 रामसिजोर	पढ़ा गया
914	जोन—4 वार्ड 65 के अन्तर्गत पी रोड से प्रेम नगर चौराहे तक फुटपाथ पर इण्टरलाकिग टाइल्स लगाने एवं नाली सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	982986.00	982494.00	आगणन दर से 0.05 प्रतिशत निम्न	मे0 अतुल कुमार सिंह	पढ़ा गया
915	जोन—4 वार्ड 76 के अन्तर्गत विक्टोरिया मिल पुल से विक्टोरिया मिल गेट तक फुटपाथ/रोड पटरी पर इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	967407.00	822296.00	आगणन दर से 15. 00 प्रतिशत निम्न (लाटरी के आधार पर)	मे0 शाह ट्रेडिंग कारपोरेशन	पढ़ा गया
916	जोन—4 वार्ड 76 के अन्तर्गत सूटरगंज के अन्तर्गत विक्टोरिया मिल पुल से दुर्गा पूजा पार्क होते हुये वी0आई0पी0 रोड़ तक ट्रेन्च मरम्मत का कार्य।	सड़क क्षति के सापेक्ष	697737.00	697737.00	आगणन दर पर	मे0 शाह ट्रेडिंग कारपोरेशन	पढ़ा गया

मा0 कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित

कम सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम	निर्णय

ह0......महापौर

917	जोन–4 वार्ड 13 के अन्तर्गत खलासी लाईन में अविनाश ज्ञान स्कूल से 7/22 तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1317997.00	1182639.00	आगणन दर से 10. 27 प्रतिशत निम्न	मे0 अभिषेक इण्टरप्राइजेज	स्वीकृत
918	जोन–4 वार्ड 49 के अन्तर्गत डॉ0 विकास शुक्ला के मकान से 113/47ए फेन्ड्स कालोनी तक की सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1410473.00	1198902.00	आगणन दर से 15. 00 प्रतिशत निम्न	मे0 अभिषेक इण्टरप्राइजेज	स्वीकृत
919	जोन–4 वार्ड 49 के अन्तर्गत शक्ति मेडिकल स्टोर से 113/117, 113/145 से 113/155 तथा 113/161 से 113/166 तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1417751.00	1272148.00	आगणन दर से 10. 27 प्रतिशत निम्न	मे0 अभिषेक इण्टरप्राइजेज	स्वीकृत
920	जोन–4 वार्ड 11 के अन्तर्गत भदौरिया चौराहे से टूटी रेलवे लाईन तक फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1286884.00	1093852.00	आगणन दर से 15. 00 प्रतिशत निम्न	मे0 सिंह कान्सट्रक्शन	स्वीकृत
921	जोन–4 वार्ड 43 मोतीझील स्थित वाल्मीकि पुस्तकालय की क्षतिग्रस्त छत का पुनर्निर्माण एवं प्रथम तल पर हाल का निर्माण कार्य।	अन्य भवनों का रख–रखाव	1843197.00	1658140.00	आगणन दर से 10. 04 प्रतिशत निम्न	मे0 सिंह इन्जीनियर	स्वीकृत
922	जोन–4 वार्ड 11 के अन्तर्गत बालाजी चौक से ब्रह्म नगर चौराहे तक फुटपाथ पर इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने तथा नाली का सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	1485020.00	1262267.00	आगणन दर से 15. 00 प्रतिशत निम्न	मे0 श्री जी कान्सट्रक्शन	स्वीकृत
923	जोन–4 वार्ड 78 के अन्तर्गत मकान नं0 105/721 से 105/731 तक डीप डाट सीवर लाईन का रीहैबिलिटेशन का कार्य।	नाला/नाली अनुरक्षण	1426981.00	1419846.00	आगणन दर से 0.50 प्रतिशत निम्न	मे0 पी0आर0एस0टी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर	स्वीकृत

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या–924</u>

जोनल अभियन्ता–1, नगर निगम, कानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना :–

जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा विजन कानपुर के अन्तर्गत सी०एस०आर० फंड से नानाराव पार्क में शुद्धीकृत जल (आर०ओ० वाटर) हेतु आर०ओ० प्लांट ''अक्षय जल'' संस्था के माध्यम से लगाने हेतु प्रस्ताव किया है। इस कार्य में आने वाला व्यय सी०एस०आर० फण्ड से जिलाधिकारी के माध्यम से वहन किया जायेगा। प्लांट लगाने हेतु 40.00 वर्ग मी० भूमि की आवश्यकता होगी। संस्था द्वारा मात्र 5.00 रू० में 20.00 ली० शुद्धीकृत जल उपलब्ध कराया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त विजन कानपुर के अन्तर्गत एक ई–ट्रायलेट भी नानाराव पार्क में बनाने हेतु प्रस्ताव है। इसके निर्माण में आने वाला समस्त व्यय विजन कानपुर के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा वहन किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

.... नानाराव पार्क में 40.00 वर्ग मीटर भूमि पर अक्षय जल संस्था को शुद्धीकृत जल का प्लांट लगाये जाने हेतु इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गई कि उक्त भूमि पर स्वामित्व नगर निगम का ही यथावत् रहेगा।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या–925</u>

पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, कानपुर द्वारा प्रस्तुत एवं नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :–

अमर जवान चौक चौराहे को सौन्दर्यीकरण कार्य, रख–रखाव एवं अमर जवान ज्योति (गैस आधारित) स्थापित किये जाने हेतु गोद दिये जाने के सम्बन्ध में

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में सेन्ट्रल यू.पी. गैस लिमिटेड, सातवाँ तल, यू.पी.एस.आई.डी.सी. कॉम्पलेक्स, ए–1/4, लखनपुर, कानपुर द्वारा अमर जवान चौक चौराहे को सुन्दरीकरण एवं रख–रखाव हेतु गोद दिये जाने की अनुमति मांगी गयी है एवं इस हेतु कार्य योजना भी प्रस्तुत की गयी है। जिसके अनुसार सी.यू.जी.एल. द्वारा सम्पूर्ण चौराहे की पेंटिंग, टाइल्स रिपेयरिंग, तीन सी.यू.जी.एल. स्तम्भ का निर्माण (1.5 मीटर की ऊँचाई तक), फव्वारा लगाना, पेड़–पौधों का रख–रखाव, माली की नियुक्ति, लाइटिंग

व्यवस्था के साथ ही नई दिल्ली स्थित इण्डिया गेट की तर्ज पर अमर जवान ज्योति (गैस द्वारा प्रज्जवलित) स्थापित किया जाना है। संस्था द्वारा चौराहे की ग्रिल पर स्वच्छ कानपुर-स्वस्थ्य कानपुर-हरित कानपुर का डिस्पले बोर्ड भी लगाया जायेगा। यह चौराहा प्रदेश में अपने प्रकार का पहला चौराहा होगा।

अतः सहमति की दशा में सेन्ट्रल यू.पी. गैस लिमिटेड, कानपुर को उक्त चौराहे को अनुबन्ध सम्पादित कर सौन्दर्यीकरण कार्य, रख-रखाव एवं अमर जवान ज्योति (गैस आधारित) स्थापित किये जाने हेतु गोद दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.... उपरोक्तानुसार स्वीकृत प्रदान की गई साथ ही निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत स्थल एवं नगर निगम परिसर स्थित क्षेत्र को विज्ञापन प्रतिबन्धित क्षेत्र (No Advertisment Zone) घोषित किया जाये और यदि किसी विज्ञापनदाता द्वारा किसी भी प्रकार का विज्ञापन किया जाता है तो उसे तत्काल हटाते हुये उसके विरूद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जाये।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–926

प्रभारी वर्कशॉप, नगर निगम, कानपुर द्वारा प्रस्तुत एवं नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :-

वर्तमान में मा० महापौर जी के पास कोई सरकारी वाहन उपलब्ध नही है, कार्यहित में किराये के वाहन से कार्य चलाया जा रहा है। नगर आयुक्त सम्बद्ध एम्बेस्डर कार सं०- यू.पी.-78 ए सी/3333 काफी पुरानी हो गई है। यह कार 13 वर्ष पूर्व क्रय की गई थी, जो लगभग 4.00 लाख कि.मी. चल चुकी है। सम्बद्ध कार काफी पुरानी होने के कारण भ्रमण के दौरान प्रायः खराब हो जाने की सम्भावना बनी रहती है। मा० महापौर जी एवं नगर आयुक्त को प्रायः शहर से बाहर जाना पड़ता है, ऐसी स्थिति में मा० महापौर जी एवं नगर आयुक्त हेतु एक-एक इनोवा कार क्रय किया जाना आवश्यक है।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में 14 हल्के वाहन जैसे कार, जिप्सी, जीप आदि नीलाम किये जा चुके है। अतः नीलाम किये गये 14 वाहनों के विरूद्ध मा० महापौर जी एवं नगर आयुक्त के प्रयोगार्थ 02 नग इनोवा/समकक्ष गाड़ी नगर निगम निधि से क्रय किये जाने की अनुमति हेतु मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ प्रेषित है।

.... पद की गरिमा के अनुकूल ही वाहन का क्रय किया जाये।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–927

प्रभारी अधिकारी ''कार्मिक'' द्वारा प्रस्तुत एवं नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :-

कार्मिक विभाग में कार्यरत श्री अरूण कुमार द्विवेदी, द्वितीय श्रेणी लिपिक की पत्नी श्रीमती रानी द्विवेदी की गुर्दे खराब होने के कारण उपचार हेतु रू० 100000.00 (रू० एक लाख) धनराशि मा० कार्यकारिणी की स्वीकृति की प्रत्याशा में मा० महापौर जी की स्वीकृति दिनांक-07-10-2014 के अनुपालन में अग्रिम भुगतान किया गया।

अतएव श्री अरूण कुमार द्विवेदी, द्वितीय श्रेणी लिपिक, कार्मिक विभाग को उनकी पत्नी के इलाज हेतु रूपया 100000.00 (रू० एक लाख) अग्रिम भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

टेबुल प्रस्ताव संख्या–928

जोनल अधिकारी जोन-6 द्वारा प्रस्तुत एवं नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार करना :-

श्री जगत किशोर अवस्थी, राजस्व निरीक्षक श्रेणी-2 (अकेन्द्रीयत सेवा) जो कि जोनल कार्यालय जोन-6 में पदस्थ है। श्री अवस्थी को ब्रेन ट्यूमर सम्बन्धी रोग हो जाने के कारण चिकित्सक डा० पीयूष मिश्रा, एम.डी. गैस्ट्रो की सलाह से उनका आपरेशन कुलवन्ती अस्पताल में हो रहा है।

श्री जगत किशोर अवस्थी, राजस्व निरीक्षक श्रेणी-2 के आपरेशन एवं चिकित्सीय व्यय में अत्यधिक व्यय आ रहा है। अतः श्री अवस्थी के समुचित इलाज एवं नगर स्वास्थ्य अधिकारी (चि.) की संस्तुति के आधार पर रूपये एक लाख मात्र चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति का प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

सभापति ने कहा कि भविष्य में कार्यकारिणी समिति की बैठक में नीति निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाये तथा नामकरण से सम्बन्धित समस्त प्रस्ताव सर्वप्रथम नामकरण समिति को प्रेषित किये जाये और उनकी आख्या के पश्चात् कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाये। आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अन्य विषयों पर चर्चा हेतु एक सप्ताह के अन्दर कार्यकारिणी समिति की बैठक पुनः बुलाई जायेगी। आप लोगों द्वारा आज की बैठक में शालीनता बनाये रखने के लिये धन्यवाद् देता हूँ, साथ ही आज दिनांक–26.02.2015 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की पुष्टि हेतु अपना–अपना अभिमत व्यक्त करे।

.... सभी सदस्यों द्वारा आज दिनांक–26.02.2015 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की पुष्टि की गई।

तत्पश्चात् बैठक का समापन हुआ।

ह0.........

(जगतवीर सिंह द्रोण)
महापौर/सभापति

ह0......महापौर